सविस्तर

इथे दिपके, जरांगे का घडतात?

अभावग्रस्त भागातील नागरिकांच्या राजकीय जाणिवा अधिक खोलीच्या नेणिवेतून निर्माण झालेल्या असतात. परिणामी येणारा प्रश्न किंवा मांडणी अधिक धारदार बनते.

सुहास सरदेशमुख

सोलापूर – तुळजापूर हा रेल्वे मार्ग करावा अशी मागणी १९१३ साली निजामाकडे करण्यात आली होती. २०२६ च्या जुलै महिन्यात या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यास मान्यता मिळाली आहे. एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाकडे कानाडोळा करण्याची सरकारची वृत्ती किती दीर्घ आाणि क्रूर वाटावी अशी असू शकते, याचे हे उदाहरण. एक मागणी पुन्हा निजाम राजवटशी संबंधित. मराठवाड्यात साधारणतः ५५० हून निजामकालीन शाळा इमारती आहेत. दर दोन वर्षांनी या इमारती दुरुस्त करून द्या, अशी मागणी होत असते. त्याची चर्चा अगदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्येही होते. पण पुढे काही घडत नाही. २०२३ मध्ये म्हणजे तीन वर्षापूर्वी सिंचन प्रकल्पासाठी १३ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. पण हा सारा कागदी खेळ.

गेल्या २५ वर्षात तीन वेळा दुष्काळ, १३ वेळा गारपीट आणि १० वर्षे अतिवृष्टीची अशा भूभागातून दोन आवाज बुलंदपणे पुढे येतात. त्याचा थेट राजकीय पटलावर परिणाम होतो. एक आवाज अभिजीत दिपके यांचा आणि दुसरा मनोज जरांगे यांचा. या दोन्ही आंदोलकांची आपसात तुलना होऊच शकत नाही. कार्यपद्धती, विचार, राजकीय प्रश्नांना भिडण्याची पद्धत यात हे दोघेही वेगवेगळे. पण त्यांचा भूभाग एक आहे आणि तो अभावग्रस्तांनी भरलेला आहे. येथे पोलीस भरतीत यश मिळावे म्हणून जिवाच्या आकांताने तरुण मुले पळतात. अग्नीवीर होण्यासाठी धडपडतात. परिणामी गावागावांत भरतीची बाजारपेठ उभी ठाकली जाते. या भागातील तरुण मुलांनी आपल्या आईबापाचं राबणेही बघितलेले आणि शेवटी खंगून आत्महत्या करणेही सोसलेले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा प्रतिदिन तीन या सरासरीने वाढणारा. त्यामुळे सरकार विरोधात टोकदार प्रश्न विचारण्याचे साहस येथे जन्माला येते. दिपके आणि जरांगे हे केवळ चेहरे आहेत. रोष आणि राग वाढत जातो तो व्यवस्थेतील अनागोंदीमुळे. सेतू माधवराव पगडी यांनी एक निजाम सरकारच्या काळातील उदाहरण नोंदवले आहे. एका तहसीलदारांची नेमणूक करण्यासाठी निजामाने ३० हजार रुपयांचा 'नजराणा' घेतला आणि सिगारेटच्या पाकिटावर नियुक्ती देऊन टाकली. पुढे हा तहसीलदार रुजू झाला. कारकुनाने काही कागदपत्रे त्याच्यासमोर आणून ठेवली. शेवटी कागदपत्रे पाहून तहसीलदार वैतागला. यावर काय लिहू, असे त्याने कारकुनाला विचारले. तो म्हणाला, एक 'बा कैफियत' कार्यालयाने सादर करावे असे लिहा, किंवा 'बा मिसल' सादर करावे असे लिहीत जा आणि याचा कंटाळा आला तर 'बा तन्नकी' तपासून सादर करावे असे लिहीत जा. उत्तम हस्ताक्षरात सही करणे, हा त्या तहसीलदाराचा पुढे छंद होता. पुढे प्रशासकीय रचनेत अनेक सुधारणा झाल्या. पण नजराणा सुरू नाही का ? अजूनही मराठवाड्यातील किंवा अगदी राज्यातील कोणत्या तालुक्याचा कारभार अगदी योग्य सुरू आहे, किंवा आदर्शपणे चालला आहे, हे सरकारला सांगता येईल का ? समाजातील राग किंवा रोष वाढण्याची काही कारणे प्रशासकीय कार्यशैलीतही दडलेली असतात.

'नीट', 'जेईई' मध्ये कष्ट करून उरलेल्या मुलांचे काय होते ? जी मुले ना डॉक्टर होतात ना इंजिनीअर, ती काय शिकतात? शहरातील कोणत्याही चिंचोळ्या गल्ल्यांमधील दहा बाय दहाच्या खोलीत स्पर्धा परीक्षांच्या आवाढव्य पसाऱ्यात ती अडकून पडलेली असतात. दोनदा एमए झालेल्या, मानव्यशाखांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना शिक्षणातून काय कौशल्य मिळते? ते मोबाईल बघतात तेव्हा त्यांच्या कानावर पडणाऱ्या घटना खासदारांच्या फोडाफाडीच्या असतात. न शिकलेला आणि केवळ 'हां जी' करणारा त्यांचाच एखादा मित्र गळ्यात गमछा घालून किंवा मनगटात गंडेदोरे बांधून कंत्राटे घेतो. वर्षा दोन वर्षांत चारचाकी गाडीच घरासमोर उभी करतो तेव्हा राग वाढलेला असतो. यात इतर मोठे होतात ही असूया नसते. जी शिक्षण व्यवस्था उभी केली आहे, त्यापेक्षा पैसे कमावण्याचे मार्ग खूपच वेगळे आणि ते अवैध आहेत, हे कळते. तेव्हा येणारे नैराश्य अधिक आहे. ते एवढे अधिक आहे की, या व्यवस्थेतून नोकरी तर मिळणार नाहीच आणि पुरेसे पैसे हाती नसल्याने आपले लग्नही होणार नाही हेही कळून चुकते. त्यामुळे हे नैराश्य फक्त 'जेन झीं'मध्ये आहे, असे नाही. ते पहिल्यांदा व्यक्त करण्याचे धाडस तरुणांनी 'जंतरमंतर'वर दाखवले. गेल्या दहा-बारा वर्षात दबलेल्या भावनांना तरुणांनी वाट मोकळी करून दिली. विशेष म्हणजे आपण काय करत आहोत याची जाणीव या तरुणांना होती.

दिपके यांच्या मांडणीत ती दिसते.

कोठून तरी पुढे जाता यावे, यासाठी दरवाजा कोणता याचा शोध गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्याला मग कोणीतरी जातीच्या आरक्षणाचे दार दाखवले आणि तो लोंढा जरांगेच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाच्या दाराला धडका मारू लागला. यातील फोलपणा आता तरुणांना कळतो आहे. कोठूनही मार्गच दिसत नाही असे लक्षात आल्यानंतर व्यवस्थेत दोषी कोण याचा शोध घेणे सुरू होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाने व्यवस्थेतेतील दोषी कोण, याचा शोध घेणे सुरू झाले आहे. हा प्रवास जेव्हा प्रादेशिक पातळीवर येईल तेव्हा प्रादेशिक अस्मिता वाढतील. मतदारसंघात येईल तेव्हा शिक्षण संस्थाचालकांपर्यंत पोहोचेल. आमदार आणि खासदारांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा प्रश्न टोकदार राहिले तर ?

गल्लीबोळात फिरणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणा वेचून फक्त विरोधकांनाच ताब्यात घेतात. पुढे ते सारे सत्ताधारी गटात जातात. एखादा सत्ताधारी दारू पिऊन झिंगणाऱ्यांस उद्देशून 'आपलंच 'गिऱ्हाईक' आहे,' असं सांगतो तेव्हा तो करत असणाऱ्या मद्यविक्रीच्या धंद्याची प्रतिष्ठा वाढवत असतो. तेव्हा राग येत असतोच. पण व्यक्त करण्याच्या हिमतीचे वय हातून निघून गेलेले असते. मग अभिजीत दिपके नावाचा चेहरा पुढे होतो. या पिढीने जग पाहिले आहे. परदेशी शिक्षणामुळे आपला देश आणि परदेश यातील विकास कल्पनांची तुलना त्यांना सहज करता येते. ते एकाच वेळी जागतिक असतात आणि ते स्थानिकही. स्थानिक होतात तेव्हा तेच म्हणू शकतात, 'आता विचारसरणीचे राजकारण सोडा, बरोजगारीचा मुद्दा हाती घ्या. शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करा.' याच वेळी आंदोलनातून निर्माण होणारे नेतृत्व आणि त्यातून जन्माला येणारे स्वार्थ, बनचुकेगिरीही त्यांना कळते. मग कुठे गर्दी करायची आणि कोठे जायचे नाही, हेही ते ठरवतात. गर्दीचे उच्चांक आणि गर्दीसाठी माणसं जमवण्यासाठी केली जाणारी धडपडही या पिढीला कळते. १५०० रुपयांची आईला मिळणारी लाडक्या बहिणीची रक्कमही त्यांना कळते आणि शेतमालास भाव न मिळता पीएम किसानची सहा हजार रुपयांची बापाची निकडही त्यांना माहीत असते. मग तो धोरणात्मक प्रश्न विचारतो आणि हीच राज्यकर्त्यांसमोरची अडचण आहे.

अभावग्रस्त भागातील नागरिकांच्या राजकीय जाणिवा अधिक खोलीच्या नेणिवेतून निर्माण झालेल्या असतात. परिणामी येणारा प्रश्न किंवा मांडणी अधिक धारदार बनते. दिपके आणि जरांगे यांच्या आंदोलनात चुका नसतील असे नाही. पण सरकारी लाठी कशी चालवू नये, हे सांगण्यासाठी ते पुरसे आहे. दडपशाहीला न जुमानणारा वर्ग असे अनेक राग मनात साठवून असतो. तो असाच व्यक्त होतो, टोकदारपणे.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com

नोकरी नाही मिळाली तरी चालेल, पण काम हवे!

अजित रानडे

अलीकडे देशभर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला प्रश्नपत्रिका फुटीची तात्कालिक पार्श्वभूमी होती. पण त्याचबरोबर त्यामागे रोजगाराची चिंता होती. 'नीट' किंवा यूपीएससीसारख्या परीक्षेत यश मिळवणे हे लाखो तरुणांसाठी एक मोठे ध्येय असते. कारण अजूनही स्थिर, सुरक्षित आणि बऱ्यापैकी पगाराच्या नोकरीकडे जाणारे मार्ग फार कमी आहेत. ही परीक्षा नीट झाली नाही किंवा प्रश्नपत्रिका फुटली किंवा भरती पुन्हा लांबली तर अतोनात ताणाखाली काही विद्यार्थी खचून जातात; त्यांना पुढे काहीच मार्ग दिसत नाही आणि आत्महत्येचे विचारही मनात येतात. आणखी एक वर्ष हातातून निसटते. म्हणून ही आंदोलने परीक्षांबद्दल होतीच; पण त्याहून अधिक ती नोकऱ्यांबद्दल होती.

सरकारी नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा हे देशातील पदवीधर तरुणांचे आता एक मोठे प्रतीक्षागृह झाले आहे. वयाच्या बाविसाव्या-तेविसाव्या वर्षी पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक युवा पाच-सात वर्षे पुनःपुन्हा परीक्षा देतात. ते इतकी वर्षे थांबतात, ते काही उगीच नाही. खासगी क्षेत्रातील सुरुवातीचे पगार (स्टार्टिंग सॅलरी) अनेक वर्षे जवळजवळ स्थिर राहिले आहेत. एका अभ्यासानुसार तरुण पुरुष पदवीधराचे सरासरी मासिक उत्पन्न २०११ मध्ये सुमारे २१,८०० रुपये होते. २०२३ मध्ये ते १९,५७३ रुपयांवर आले. हा नाममात्र आकडा आहे; महागाई धरली, तर खरी घसरण आणखी मोठी आहे. सरकारी नोकरीत तुलनेने चांगला पगार, नियमितता, आरोग्यविमा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नोकरीची सुरक्षितता मिळते. त्यामुळे यूपीएससीचा आणखी एक प्रयत्न करू, असा विचार तरुण करतात.

या अस्वस्थतेमागची आकडेवारीही बोलकी आहे. २००४ ते २०२३ या काळात दरवर्षी सुमारे ५० लाख पदवीधर श्रमबाजारात आले; पण त्यापैकी फक्त सुमारे २८ लाखांना काम मिळाले. मात्र बेरोजगारीचा अधिकृत दर सगळे चित्र दाखवत नाही. २०२५ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ३.१ टक्के आणि तरुणांचा बेरोजगारी दर ९.९ टक्के असल्याचे आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण सांगते. पण नवीन सर्वेक्षणात काही बदल करण्यात आले. 'नेहमीची स्थिती' (युज्वल स्टेट्स) ची व्याख्याच बदलली. त्यानुसार आता एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात फक्त ३० दिवस काही पूरक आर्थिक काम केले असेल, तरीही तिला रोजगार आहे असे धरले जाऊ शकते. पण त्यातून घर चालेल एवढे उत्पन्न मिळतेच असे नाही. म्हणून रोजगाराचा प्रश्न फक्त 'काम आहे की नाही' असा नाही. अपुरा रोजगार, छुपी बेरोजगारी, कमी वेतन, अनियमित तास, लेखी कराराचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षेची कमतरता हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. शेती हे त्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. अनेक दशके कमी होत गेलेला शेतीचा रोजगारातील वाटा २०१७-१८ मधील ४४.१ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ४६.१ टक्क्यांवर गेला. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने पुरेशा प्रमाणात कामगार सामावून घेतले नाहीत, हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. अलीकडच्या एका अंदाजानुसार २०२० नंतर शेतीत काम करणाऱ्यांची संख्या सुमारे आठ कोटींनी वाढली. वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत कामगार शेतीतून उद्योग आणि सेवांकडे जातात. आपल्याकडे काही काळ उलट घडले. वेतनाचे चित्रही फार उत्साहवर्धक नाही. पुरुष प्रासंगिक कामगारांची सरासरी रोजची कमाई २०२४ मध्ये ४५६ रुपये होती; २०२५ मध्ये ती ४५५ रुपये झाली. स्त्रियांची रोजची कमाई २९९ रुपयांवरून ३१५ रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजे कृषी क्षेत्रात रोज काम मिळाले तरी वास्तविक उत्पन्न फारसे वाढलेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर प्लॅटफॉर्म किंवा 'गिग' अर्थव्यवस्थेची कामे वाढत आहेत. अलीकडे एका ॲपने 'एका तासाचे घरकाम २९ रुपयांत करून घ्या' अशी जाहिरात केली होती. ती कंपनीने ग्राहकांना दिलेली सवलत होती (प्रमोशनल ऑफर). अशा ॲपवर काम करणाऱ्या काही महिलांनी जुन्या पद्धतीच्या घरकामापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे या नव्या व्यवस्थेचे फायदे नाकारता येणार नाहीत.

पण त्याचबरोबर त्याला दुसरी बाजूही आहे. रजा किती घ्यायची, जेवणाची सुट्टी कधी मिळणार, कोणते काम स्वीकारायचे, उशीर झाला तर किती दंड आणि आपले रेटिंग कमी झाले तर पुढे काम मिळणार की नाही, हे सर्व ॲप ठरवते. काही कामगारांनी आजारपण किंवा घरातील आपत्कालीन प्रसंगातही रजा घेणे अवघड असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कामगाराला 'भागीदार' म्हटले म्हणून तो खरोखर स्वतंत्र उद्योजक ठरत नाही. तो कमी अधिकार असलेला कामगारच राहिला आहे, व्यवसाय भागीदार नाही. अर्थात, अशा प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेचे फायदे मोठे आहेत. ग्राहक आणि कामगार यांना पटकन जोडता येते. काम शोधण्याचा वेळ आणि खर्च कमी होतो.

पण या सगळ्यात जोखीम कोण उचलणार, हा प्रश्न आहे. मागणी कमी झाली, कामगार आजारी पडला, अपघात झाला, अल्गोरिदमने त्याचे खाते बंद केले किंवा नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्याचे कौशल्य कालबाह्य झाले, तर सगळी जोखीम फक्त कामगारावर टाकता येणार नाही.

पूर्वी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही ही अस्थिरता दिसते आहे. आयटी कर्मचाऱ्याचा 'बेंच'वरचा कालावधी कमी करणे, कामगिरी सुधारणा योजना, बदललेल्या कौशल्यांच्या नावाखाली बाहेर पडण्याचा दबाव किंवा राजीनामा देण्यास सांगणे, अशा मार्गांनीही ती होते. त्यामुळे, वेगवेगळ्या कौशल्यांच्या आयटी कामगारांच्या

आपल्या देशात कामाची कमतरता नाही. पण कायमस्वरूपी, सुरक्षित नोकऱ्या कमी होत आहेत. त्यामुळे नव्या प्रकारच्या कामासाठी नवे नियम आणि नवी सामाजिक सुरक्षा उभी करावी लागेल.

उत्पन्नामध्ये वाढती विषमता दिसून येत आहे. म्हणजे एकाच आयटी क्षेत्रात दोन टोकांचे चित्र दिसते. वरच्या टोकाला मोजक्या लोकांना फार मोठा मोबदला; तर नियमित कोडिंग, चाचणी, डेटा प्रक्रिया, कॉल सेंटर आणि बॅक-ऑफिसमधील प्राथमिक कामांवर वाढता दबाव. एका अंदाजानुसार भारतातील आठ ते बारा टक्के बिगरशेती रोजगारांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही प्रमाणात बदलीचा धोका आहे. आयटी क्षेत्रातील भरती मंदावली आहे, कंत्राटी काम वाढते आहे आणि सुरुवातीचे पगार अनेक वर्षे ठप्प आहेत. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत काम भरपूर असेल. पण ते नेहमीच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या रूपात असेलच असे नाही. एकाच नियोक्त्याशी (एम्प्लॉयर) दीर्घ संबंध, ठरावीक मासिक पगार, निश्चित तास आणि काही सामाजिक सुरक्षा–ही पारंपरिक नोकरीची कल्पना आहे. पुढील काळात काम प्रकल्प, कंत्राट, स्वतंत्र असाइनमेंट, ॲप आणि एकाच वेळी अनेक ग्राहक यांच्या माध्यमातून होईल. व्यापक अर्थाने गिग कामगार हा अपवाद राहणार नाही; तो श्रमबाजाराचा मोठा भाग बनेल.

नव्या उद्योगांनाही त्यातून चालना मिळेल. पण नियम नसतील, तर मालकाची लवचीकता ही कामगाराची असुरक्षितता बनते. भारताला म्हणून दोन गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागतील. गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण द्यायचे; पण त्यातील काम सन्मानजनकही ठेवायचे. आरोग्यविमा, अपघात संरक्षण आणि निवृत्ती बचत यांसारखे लाभ एका नोकरीशी नव्हे, तर कामगाराशी जोडले पाहिजेत. तो एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्यावर गेला, तरी हे लाभ त्याच्यासोबत गेले पाहिजेत. मोबदला, रेटिंग, कामाचे वाटप आणि खाते बंद करण्याचे निर्णय कसे घेतले जातात, याची माहिती कामगाराला मिळाली पाहिजे. वेळेवर पैसे, सोपी तक्रारनिवारण व्यवस्था आणि मनमानी पद्धतीने काम बंद करण्याविरुद्ध संरक्षणही हवे. प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील सन्मानजनक कामाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) करारावर मात्र यंदाच भारत सरकारने तटस्थ भूमिका दाखवली. विशेष म्हणजे भारतातील कामगार आणि नियोक्ते प्रतिनिधींनी कराराच्या बाजूने मत मांडले होते; सरकारी प्रतिनिधीने मात्र तटस्थ राहणे पसंत केले. या कराराला विरोध कशासाठी? हा करार काही प्लॅटफॉर्म व्यवसाय थांबवण्याबद्दल नाही. नव्या व्यवसायपद्धती वाढू द्यायच्या; पण त्याच वेळी कामगारांचे किमान संरक्षण, पारदर्शकता आणि न्याय्य नियम असावेत, एवढाच त्याचा आग्रह आहे. भारताला अधिक नोकऱ्या हव्यातच. पण पुढचा प्रश्न फक्त किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या एवढाच राहणार नाही. किती काम मिळाले, त्यातून किती उत्पन्न मिळाले, किती सातत्य होते आणि कामगाराला कोणते संरक्षण मिळाले, हेही प्रश्न विचारावे लागतील. उद्याचा तरुण कदाचित असे म्हणेल, ''मला नोकरी नाही मिळाली तरी चालेल; मला काम हवे. आणि त्या कामाला योग्य मोबदला, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितताही हवी.''

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
ajit.ranade@gmail.com

चांदनी चौकातून
दिल्लीवाला

विनोद तावडेंची 'नवी इनिंग'

भाजपचे नेते विनोद तावडेंची खासदार म्हणून नवी इनिंग सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये त्यांनी संघटनात्मक कौशल्य दाखवलं आहे. मोदी-शहा दोघेही तावडेंवर खूश आहेत, असं दिसतंय. नाही तर त्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली कशी असती? सध्या संसदेच्या सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ सुरू आहे, कोण काय बोलतंय हेही समजत नाही. त्यातही बोलायची संधी मिळताच तावडेंनी एक मुद्दा उपस्थित केलाच. विषय गंभीर होता. तावडेंच्या मातोश्रींच्या निधनानंतर हा मुद्दा लक्षात आला असं त्यांचं म्हणणं होतं. देशातील त्वचा दान आणि त्वचा बँकिंग मजबूत करण्याची गरज आहे. भाजलेल्या जखमांवर उपचारांसाठी दान केलेली त्वचा अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे संसर्ग आणि शरीरातील द्रवपदार्थांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होते, आणि जर कायमस्वरूपी उपचार शक्य नसतील, तर मानवी अवयव आणि उती (टिशू) प्रत्यारोपण कायद्याअंतर्गत (थोटा) त्वचा दान केले जाते. मृत्यूनंतर सहा तासांच्या आत त्वचा दान केले जाऊ शकते. यासाठी रक्तगट किंवा उती जुळवण्याची गरज नसते; फक्त त्वचेचा वरचा थर घेतला जातो, ज्यामुळे शरीराच्या दिसण्यावर परिणाम होत नाही, आणि तो पाच वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवता येतो. त्वचा संकलन व वाहतुकीचे एकात्मिक जाळे स्थापित करण्याचा मुद्दा तावडेंनी मांडला. पण, संसदेच्या गोंधळात तो विरून गेला. असो. तावडे सध्या जबरदस्त बॅटिंग करताहेत असं दिसतंय. ते खासदार झालेत. संसदेत बोलत आहेत. त्यांच्याकडं बिहार आहे. केरळमध्ये ते जाऊन आले. उत्तर प्रदेशाचाही काही भाग निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या अखत्यारीत असेल. शुक्रवारी ते मराठी खासदारांना घेऊन पंतप्रधान मोदींकडं गेले होते. त्यासाठी सगळे खासदार आधी तावडेंच्या घरी जमले. तिथून मोठ्या बसमधून ते मोदींना भेटायला गेले. तावडे मराठी खासदारांचा केंद्रबिंदू होऊ लागले आहेत की काय?

दोन-तीन-चार दहा!

संसदेमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये कामकाज झालंच नाही. काँग्रेसला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हवे होते, ते दिसत होते पण, हाताला लागत नव्हते. तीन आठवडे काँग्रेस आणि इतर 'इंडिया' आघाडीतील खासदार सकाळी दहा वाजता दिवसभर काय करायचं हे ठरवायचे. मग, ते मकरद्वारासमोर जमायचे. अमित शहा कुठं आहात, असा मोठा फलक हातात असायचा. समाजवादी पक्ष राम मंदिरातील देणगी अपहाराबद्दल निषेध करायचा. संसदेच्या आवारात निदर्शनं झाली की, विरोधक आपापल्या सभागृहांत जात. तिथं कामकाज सुरू झालं की गोंधळ होई. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणत, असा गोंधळ बरा नव्हे... तुम्हाला कामकाज व्हावं असं वाटत नाही का? चला, मग, मी कामकाज तहकूब करतो... मग सभागृहाचं कामकाज स्थगित व्हायचं. ते नंतर दिवसभरात क्वचितच सभागृहात येत असत. कारण काही कामकाज होतंच नव्हतं. याचं उघड गुपित असं होतं की, विरोधकांना सोडा, सरकारलाच कामकाज व्हावं असं वाटत नव्हतं. ते झालं की अमित शहांना सभागृहात यावं लागलं असतं. त्यापेक्षा गोंधळात विधेयकं मंजूर करणं सरकारला पथ्यावर पडलं. काही विधेयकं दोन-तीन-चार मिनिटांत मंजूर झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेलं विनियोग विधेयक कधी मंजूर झालं हे त्यांनाच कळलं नाही. त्या शेजारी बसलेल्या खासदाराला विधेयक संमत झालं का असं विचारत होत्या! लोकसभेत सर्वात जास्त चर्चा होऊन संमत झालेलं विधेयक म्हणजे वंदे मातरम्... ते दहा मिनिटांमध्ये मंजूर झालं. वक्ते होते मंत्री धरून चार. हा गोंधळ सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेच्या आपल्या दालनात बसून होते. ते संसदेत यायचे तुलनेत उशिरा. काही दिवस ते दुपारनंतर आलेले दिसले. पहिल्यांदा शहा मागच्या दारानं आत येताना दिसले. मग, मकरद्वारातून नेहमीप्रमाणं आले. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणतात ते खरं आहे, शहा संध्याकाळी उशिरापर्यंत संसदेत असत. शहांच्या बैठका चालत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आले. मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्याचं शिष्टमंडळ आलं. ख्रिश्चन संस्थांचं शिष्टमंडळ आलं. शहांनी या सगळ्यांबरोबर संसदेच्या वेगवेगळ्या दालनांमध्ये बैठका घेतल्या. काही बैठका तर संध्याकाळी साडेपाचनंतर झाल्या. शुक्रवारी शहा संसदेत आले आणि लगेच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांच्या दालनात गेले. बराच वेळ ते तिथंच होते. पुढील आठवड्यामध्ये सरकारला 'एफसीआरए' विधेयक आणायचं आहे. त्यासाठी सभागृह चालवावं लागेल, या बैठकीत त्याची तयारी झाली असं म्हणतात. शहांनी ख्रिश्चन शिष्टमंडळाचं ऐकून घेतलं पण, हे विधेयक संसदेत आणणार असं त्यांना स्पष्ट केल्याची चर्चा होती. हे विधेयक आणण्यामागं दोन कारणं आहेत. एक. आंतरराष्ट्रीय दबावाला भारत बळी पडत नाही हे दाखवणं. दोन. अमित शहा विरोधकांना घाबरत नाही हे सिद्ध करणं. एका दगडात अमित शहांना दोन पक्षी मारायचे आहेत. असो. शहा लोकसभेत येत नसल्यानं त्यांचा धाक कमी झाला की काय अशी चर्चा आहे. विरोधी पक्षांचे सदस्य लोकसभाध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी करतात. त्यातील कोणी तरी घोषणा दिल्या, तडीपार सदन में 'आओ, जवाब दो जवाब दो...' राज्यसभेत मध्यंतरी विरोधक देत असलेली 'वेण्णम वेण्णम...' ही तमिळ घोषणा गाजली. यावेळी लोकसभेत मराठी खासदाराने मराठीतून, 'या मंत्र्याचं करायचं काय...', अशी घोषणा द्यायला सुरुवात केली. भोवती जमलेल्या अमराठी खासदारांना ते कळेना. फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मग ही घोषणा विरून गेली.

तारांबळ

दिल्लीतील पाऊस नव्या संसदेची परीक्षा बघतो असं दिसतंय. ही नवी इमारत आता जुनी झालेली असल्यामुळं या वास्तूतील दोष दिसायला लागलेले आहेत. कुठलं तरी तंत्र-मंत्र असतं ते केलं नाही की काय, असा उपरोधिक प्रश्नही विचारला जात आहे. समोर इतकी सुंदर भव्य वास्तू उभी असताना तिच्याकडं बघून त्या तोडीचं नवं काही उभं करावं असंही वाटू नये, इतका कर्मदरिद्रीपणा असेल तर तारांबळच उडणार! नवं संसद भवन हे संसदेच्या आवारातील अडगळ आहे हे मान्य करायला हवं. ते अचानक गायब झालं तर कोणालाही दुःख वाटणार नाही हे नक्की. मागं या संसद इमारतीमध्ये गळती लागलेली होती. त्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. आता संसदेच्या बाहेरचे व्हिडीओ व्हायरल झालेले आहेत. मकरद्वारासमोर पोर्च नसल्यानं खासदार पावसात भिजत संसदेमध्ये जात आहेत, असे व्हिडीओ आहेत. राहुल गांधी छत्री न घेता पावसात भिजण्याचा आनंद घेताना एका व्हिडीओत दिसले. अलीकडं त्यांचे व्हिडीओ चांगलेच व्हायरल होत आहेत, ही सरकारसाठी नवी अडचण. असो. मुद्दा हा की, दोन दिवस दिल्लीत पावसाचा जोर आहे, अधिवेशनासाठी खासदार सकाळी संसदेत येतात, त्यांना कारमधून उतरून काही पावलं चालत जाऊन मग संसदेत प्रवेश करावा लागतो. समोर उभ्या असलेल्या जुन्या संसद भवनाच्या मुख्यद्वारातून खासदार आत जात. तिथं वर आडोसा उभा केलेला आहे, तिथंपर्यंत कार घेऊन जाता येत असे. तिथून थेट संसदेत प्रवेश करता येत असे. खासदारांना भिजावं लागत नसे. नव्या संसद भवनात तसं नाही. मकरद्वारावर आडोसाच नाही. शिवाय, पायऱ्याही जास्त. तिथला हिरवा गालिचा ओलाचिंब होतो. पाय घसरण्याची भीती. खासदारांची नुसती तारांबळ उडते. इथं आडोसा उभा करायचा म्हटला तरी समोर जुन्या संसदेचा आडोसा. घाईघाईने स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा अट्टहास केला की काय होऊ शकतं याचं दृश्यस्वरूप म्हणजे संसदेची नवी इमारत. आतमध्ये काय बट्ट्याबोळ सुरू आहे त्याबद्दल तर बोलण्याचीही गरज नाही. मुद्दा असा की, आता मकरद्वारावर आडोसा उभा केला जाणार आहे. त्यासाठी लोकसभाध्यक्षांनी फर्मान काढलं आहे.

भाजपमध्ये हे चाललंय काय?

दिल्लीमध्ये मोदी–शहा अडचणीत आलेले असताना उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपअंतर्गत मारामाऱ्या वेगळ्याच स्तरावर गेल्या आहेत. तिथं सहा-सात महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं काही खरं नाही असं दिसतंय. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या योगींच्या गोरखपूरमध्ये गेल्या आणि तिथल्या विद्यापीठातील अनेक त्रुटी त्यांनी जाहीरपणे मांडल्या. एकप्रकारे आनंदीबेन यांनी थेट योगींवरच हल्लाबोल केला. हे सगळं कोणाच्या आदेशावरून झालं असावं हे माहीत नाही! दीनदयाळ उपाध्याय गोरखपूर विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात आनंदीबेन बरंच काही म्हणाल्या. काही लोकांना माझं बोलणं कदाचित आवडणार नाही, पण त्रुटी दाखवून द्याव्याच लागतील. या उणिवा पुढील तीन महिन्यांत दूर केल्या पाहिजेत. हे गोरखपूर आहे, जिथे आपले मुख्यमंत्री स्वतः राहतात. इथं अशा त्रुटी असतील, तर काय होईल?... मुलींच्या वसतिगृहात खानावळ आहे, पण मुलांच्या वसतिगृहात नाही. बाहेरून डब्यातून जेवण आणलं जातं. का? हे चांगलं आहे का?... डब्यातून जेवण येऊ शकतं, तर डब्यातून अमली पदार्थही येऊ शकतात. डब्यातून काहीही येऊ शकतं... असं सगळं आनंदीबेन म्हणाल्या. योगींच्या गोरखपूरमध्ये त्यांनाच आव्हान? हे भाजपमध्ये काय चाललंय?

एका संपादकाचे होणे...

ललित लेखनाला कथात्मता देणारे आणि गद्यभाषेत काव्य आणणारे ज्येष्ठ साहित्यिक, विचक्षण संपादक श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचे नुकतेच निधन झाले . मॅट्रिकनंतर नोकरी करणे भाग पडले, तरी वाचनाची आवड वाढत राहिली, तेव्हापासून ते 'मौज प्रकाशन गृहा'च्या संपादकपर्यंतचा त्यांचा 'लोकसत्ता'ने टिपलेला प्रवास इथे त्यांच्याच शब्दांत ...

मी हायस्कूलमध्ये असताना 'सत्यकथा' मासिक आणि 'मौज' साप्ताहिक मला नेहमी वाचायला मिळत असे. तेव्हा मी सांगलीला आरवाडे हायस्कूलला शिकत होतो. ५० ते ५४ या काळात. तिथं माझे मामा विश्वनाथ जोशी हे उत्तम पुस्तकं वाचणारे गृहस्थ मला सापडले. ते अनेक पुस्तकं, मासिकं वगैरे स्वतः विकत घेऊन वाचत. त्यामुळे इथली चार वर्षं मला उत्तमोत्तम पुस्तकं वाचायला मिळाली. लहानपणापासून मी कविताही करीत असे. त्यावेळी 'सत्यकथा' आणि 'मौजे'त येणाऱ्या कविता मी वाचत होतो. इतरत्रच्याही कविता वाचत होतो. परंतु सत्यकथा-मौजेतल्या कविता याच खऱ्या कविता आहेतसं तेव्हाही मला वाटे. इतरत्र येणाऱ्या कविता मला कविता म्हणून तितक्याशा भावत नव्हत्या. सत्यकथा-मौजेतल्यासारख्या कविता आपण लिहाव्यात, आणि त्या लिहिण्यातून आणि प्रत्यक्षातदेखील तिथपर्यंत पोहोचावं असं मला नेहमी वाटे.

मॅनेजर, मॅनेजिंग डायरेक्टरही वाचक...

मी मॅट्रिकनंतर सरळ कॉलेजमध्ये गेलोच नाही. ५४ साली अकरावी झाल्यावर मी काही किरकोळ उद्योग करू लागलो. मी साइन बोर्ड पेंटिंग करत असे. गणपती संस्थान प्रेसमध्ये कम्पोझिंगही शिकत होतो. अशी बरीच कामं करीत होतो. तिथून नंतर मी ओगले ग्लास वर्क्सला आलो. ओगलेवाडी हे माझ्या आईचं माहेर. तिथं माझ्या मामांचा मुलगा गोपाळ हा ओगले ग्लास वर्क्समध्ये होता. त्यानं माझं अक्षर पाहिलं आणि मला म्हणाला, 'तू ओगले ग्लास वर्क्सचे मॅनेजर प्रभाकर पाध्ये यांना पत्र पाठव. तुझं अक्षर बघितल्यावर ते लगेच तुला बोलावतील.' प्रभाकर पाध्ये तिथं बिझनेस मॅनेजर होते. पुढे ते किर्लोस्करला गेले. मोठा रसिक, वाचणारा माणूस. इंग्रजी, मराठी पुस्तकं. गंगाधर गाडगीळ ओगलेवाडीला आल्यावर पाध्यांकडेच उतरत. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी माझी सहा महिन्यांची ऑर्डर काढली आणि मग पर्मनंटची! त्याकाळी ओगलेवाडीला सांस्कृतिक गोष्टी खूप होत्या. आमचे व्यंकटराव ओगले हे स्वतः चांगले चित्रकार होते. त्यांच्यामुळे माधवराव सातवळेकरांपासून अनेक चित्रकार मंडळी तिथं येत. असं सगळं वातावरण होतं. ओगलेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर शंकरराव ओगले हेही मोठे ग्रंथप्रेमी होते. ते सतत पुस्तकांतच असत. ते सकाळी ऑफिसला आल्यावर मला बोलावून घेत. 'आज मी एवढं एवढं वाचलं... तू नवं काय वाचलंस?' असं विचारीत.

***

परंतु क्वचितच असं असे, की मी जे वाचलंय ते शंकररावांनी वाचलेलं नसे. एकदा मी त्यांना म्हटलं, काल मी एक खूप चांगलं पुस्तक वाचलं. पॅटरसनचं 'मॅनईटर्स ऑफ साओ.' आफ्रिकेत ब्रिटिशांनी रेल्वेचे रूळ घालायचं काम सुरू केलं तेव्हाची ही गोष्ट. रेल्वेच्या वाघिणींत कामगार वगैरे बसलेले असत. खालून उडी मारून सिंह त्यांच्यावर हल्ला करीत आणि त्यांना मारून खात. असा तो सगळा भीषण व अद्भुत अनुभव त्यात कथन केलेला होता. शंकरराव मला म्हणाले, माझ्या वाचनात हे पुस्तक आलेलं नाही. तुम्ही मला ते आणून द्याल का? मी ते विलिंग्डन कॉलेजमधून आणलं होतं. त्यांना मी ते आणून दिलं. त्यांनी एका रात्रीत ते दोन-अडीचशे पानांचं पुस्तक वाचून काढलं. म्हणाले, उत्तम पुस्तक आहे. तुम्ही सांगितलं नसतंत तर माझं ते वाचायचं राहून गेलं असतं. पुढे त्यांनी माझं 'डोह' हे पुस्तकही असंच एका रात्रीत वाचून काढलं आणि दुसऱ्या दिवशी मला बोलावून घेतलं. आणि आपल्या कुर्त्याच्या खिशातले सगळे पैसे त्यांनी मला काढून दिले. मी त्यांना म्हटलं, 'भाऊ, मी हे पुस्तक तुम्हाला भेट दिलेलं होतं.' तर म्हणाले, 'मीही तुम्हाला ही भेटच देतोय. मी काही तुम्हाला पुस्तकाची किंमत देत नाहीए.' पुढे मग त्यांनी ओगले आणि ओगलेंचे सर्व डिस्ट्रिब्युटर्स यांना बोलावून माझा सत्कारही केला या पुस्तकाबद्दल.

पडक्या घराकडे श्रीपुंची शेव्हरलेट!

मौजेत माझा पहिला लेख १९६० साली प्रसिद्ध झाला- 'मनातल्या उन्हात.' तोपर्यंत मी मौजेकडे माझ्या कविता पाठवीत असे. त्यावेळेला मला कुणा-कुणाकडून भागवतांचा त्यावरचा अभिप्राय कळत असे, की 'कविता मिळाल्या. अक्षर चांगलं आहे!' अर्थात पुढे त्यांनी माझ्या पुष्कळ कविता छापल्या. पाडगावकरांचा आमचा परिचय होता. प्रल्हाद वडेर हे माझे मित्र. त्याकाळी श्रीपुंबद्दल मी सगळीकडनं ऐकत होतो. शांताराम शिंदे आमचे मित्र. ते इथं एजीएम कॉलेजला होते. 'शांताराम रामचंद्र' नावानं सत्यकथेत त्यांच्या कविता येत. त्यांची पुढं पुस्तकंही आली. मोठा माणूस होता तो. त्यावेळी आणखीही वाङ्मयप्रेमी मंडळी इथं होती. त्यात बी. के. पाटील नावाचे एक काव्यप्रेमी होते. हा दांडगाच्या दांडगा, मिशाबिशा असलेला असा माणूस! पुढं ते आष्टा कॉलेजला प्रिन्सिपॉल झाले. ते आम्हाला बोदलेयर वगैरे शिकवीत. आणि 'कळ्ळलं का?' म्हणून पाठीत गुद्दा मारून मला विचारीत. मी म्हणे, 'अहो, हुकबिक भरेल ना ब्राह्मणाच्या पाठीत. तुम्ही असं मारू नका.'

***

श्रीपुंची माझी पहिली गाठ पडली ती माझ्या लेखनामुळेच. कविता पाठविण्याच्या निमित्तानं त्यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला होता. 'मनातल्या उन्हात'नंतर त्यांचं मला लहानसं पत्र आलं- 'नवं काय लिहिताय?' आणि दुसरा लेख जेव्हा प्रसिद्ध झाला ऑक्टोबर ६१ मध्ये- 'आम्ही वानरांच्या फौजा'- त्यावेळी त्यांचं मला फार चांगलं पत्र आलं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, इथं हे खूप लोकांना आवडतंय. उदाहरणार्थ इरावती कर्वे, माधव आचवल, दिल्लीच्या मीना मराठे, पाडगांवकर वगैरेंना तुमचा लेख खूप आवडलाय. इरावतीबाई तर त्यांना म्हणाल्या की, या लेखकाकडे लक्ष द्या. पुढच्या काळात इरावतीबाईंशी माझी गाठभेटही झाली. यानंतर श्रीपुंशी माझा पत्रव्यवहार सुरू झाला.

***

आणि असे दोन-तीन-चार लेख झाल्यानंतर एके दिवशी श्रीपु स्वतः गाडी घेऊन कराडला आले. त्यांची मोठ्ठी शेव्हरलेट गाडी होती. त्यांच्या सोबत विमलाबाई- त्यांच्या पत्नी, मुलगा अशोक आणि विमलाबाईंच्या आई असे चौघंजण होते. आमचं तेव्हा सोमवारात पडकं, घुशीनं पोखरलेलं घर होतं. आम्हाला अगदी लाजल्यासारखं झालं. एवढा मोठा माणूस आपल्या घरी आलाय आणि... पण श्रीपुंनी सगळं निभावून नेलं. माझे चार लेख प्रसिद्ध झाले होते त्यावेळेला. आम्ही सगळे जेवत होतो. विमलाबाई म्हणाल्या, 'भागवतांना सांजेच्या पोळ्या आवडतात हे कुणी सांगितलं का तुम्हाला?' तेव्हा माझी आई म्हणाली, 'नाही. कुणीतरी चांगलं माणूस आलं तर काहीतरी चांगलं बनवायचं म्हणून बनवल्यायत.' तेव्हा श्रीपु मला म्हणाले, 'हे तुम्ही लिहिताय त्याचं पुस्तक काढायचं नं?' मी काही बोललो नाही. माझ्या आईला ते म्हणाले, 'बघा- आम्ही त्यांना पुस्तक काढायचं का विचारतोय, तर लेखक त्यावर काहीच बोलत नाहीए.' मी मग म्हटलं भागवतांना, की 'फक्त चारच लेख झालेयत. त्यात पुस्तक कसं होणार?' तर म्हणाले, 'होईल.'

***

भागवतांनी 'डोह' काढायचं ठरवलं १९६५ साली. तेव्हा त्यांनी मला मुंबईला बोलावलं. म्हणाले, चार दिवस इथं माझ्या घरीच राहायला या. चार दिवस लेख वाचून, त्यावर चर्चा करून असं ते पुस्तक झालं. लेखनावर संस्कार असे काही करायचे नव्हते. राम पटवर्धन मौजेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांची दूरदर्शनवर एक मुलाखत झाली होती. तीत त्यांनी सांगितलं होतं की, शरश्चंद्र चिरमुले आणि श्रीनिवास कुलकर्णी यांच्या लेखनावर आम्हाला कधीही संस्कार करावे लागले नाहीत. बाकीच्यांच्या बाबतीत आम्ही काही ना काही सुचवत असू. लेखकाला ते पटलं तर ते करायचे/ करायचे नाहीत- असं होई.

नकारानंतरचा होकार...

राम पटवर्धन मौजेतून निवृत्त झाले तेव्हा श्रीपुंनी मला फोन केला. 'मुंबईला निघून या,' म्हणाले. तत्पूर्वी 'डोह' पुस्तक काढण्याची ऑफर द्यायला जेव्हा ते कराडला आले होते, तेव्हाही त्यांनी मला 'तुम्ही मौजेत येता का?' असं विचारलं होतं. त्यावेळेला मी म्हटलं की, 'मी मुंबईत कुठं राहणार?' म्हणाले, 'आमच्याकडे एक ब्लॉक आहे, तो तुम्हाला आम्ही देऊ.' सरोजिनीबाई (वैद्य) त्यावरती म्हणाल्या- 'यांना घरसुद्धा बांधून देतील भागवत मुंबईत!' पण मी तेव्हा त्यांना म्हणालो, 'मला ना भागवत, बरं वाटतं... इथंच कराडात. शांत.' त्यावर ते म्हणाले, 'मलासुद्धा मुंबई आवडत नाही, परंतु आम्ही आता तिथं रुतलोत. त्यामुळे तिथंच राहणं प्राप्त आहे. पण तुम्ही निर्णय घेतलाय तर ठीक आहे.'

दुसऱ्यांदा जेव्हा मला श्रीपुंनी संपादक म्हणून बोलावलं, तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, 'अहो भागवत, मी काही संपादक नव्हे. मी लिहिणारा आहे. मला इतकं सगळं जमणार नाही.' त्यावर ते म्हणाले, 'तुमच्या पत्रांतून तुमचं संपादकत्व लक्षात आलेलं आहे. तुमच्यामध्ये एक चांगला क्रिटिक आहे. तुम्ही कुठच्याही लेखकाचं योग्य ते मूल्यमापन करू शकता. आणि मुख्य म्हणजे तुमची माझी वेव्हलेंग्थ, विचार जुळणारे आहेत. तेव्हा तुम्ही इथं या. मला मदत करा.' मी म्हटलं, 'पण मी मुंबईत राहणार कुठं?' म्हणाले, 'भागवतांच्या घरी राहायचं.' म्हटलं, 'कायमचं इथं राहणं मला जमणार नाही. मी पंधरा दिवस राहीन, पंधरा दिवस कराडला जाईन.' म्हणाले, 'बरं.' त्यांनी मला अशोकची- त्यांच्या मुलाची (तो तेव्हा अमेरिकेला गेला होता) स्वतंत्र एसी रूम मला राहायला दिली. म्हणाले, 'इथं आपल्या प्रेसची गाडी आहे, तिनं ऑफिसला ये-जा करा. दुसरीकडे मुंबईच्या धावपळीत जायची काही एक गरज नाही.' असा तो सगळा त्यांच्या निर्व्याज प्रेमाचा मामला होता. मौजेत जॉइन होण्याआधी वीसेक वर्षं तरी माझा भागवतांचा संपर्क होता. त्या काळात ते मला निरनिराळ्या लेखकांच्या स्क्रिप्ट्स पाठवीत. त्या वाचून मी त्यांना त्यावरचा माझा अभिप्राय देत असे. ते त्याचं मला मानधन देत. चांगलं मानधन देत. अधिक माझा पत्रव्यवहार! असं सगळं धरून त्यांनी मला हे काम जमेल असं गृहीत धरलं. मी मौजेत साहाय्यक संपादक म्हणून जॉइन झालो. ८५ साली. नंतर कार्यकारी संपादक झालो आणि पुढं संपादक. २००७ मध्ये 'मौज' सोडलं. तोपर्यंत काम तेच होतं- जे मी पूर्वी कराडात राहून, स्क्रिप्ट्स वाचून करीत असे! पुस्तक किंवा लेखांच्या निवडीच्या बाबतीत श्रीपुंनी मला कधी काही सांगितलं नाही. मी निवडलेल्या पुस्तकांतही श्रीपुंनी कधी हस्तक्षेप केला नाही. क्वचित त्यांना पसंत पडलं नाही, तरीही! त्याबाबतीत संपादकाचा अधिकार ते अंतिम मानत. त्यामुळे आमचे कधी मतभेद झाले नाहीत.

विज्ञानवादी आणि 'अतिंद्रिय'

श्रीपु लेखकाचा शब्द अंतिम मानत. एखादं पुस्तक त्यांना आवडलं नाही तर ते काढीत नसत. परंतु त्या पुस्तकात गुणवत्ता नाही, असं मात्र ते म्हणत नसत. माझी निवड ही व्यक्तिगत निवड आहे, त्यात चूक होऊ शकते, असं त्यांचं यावर म्हणणं असे. माझ्या काही लेखांमध्ये अतिंद्रिय म्हणावेत असे अनुभव आलेले आहेत. तरीही मौजेनं त्यांचं पुस्तक काढलं. श्रीपुंना ते मान्य नव्हते. याबद्दल तेंडुलकरांनीही त्यांना प्रश्न विचारला होता. तेव्हा ते म्हणाले होते की, 'यातल्या अनुभवांशी मी सहमत नाही. मी विज्ञानवादी आहे. परंतु असे काही अनुभव कुणाला येत असतील, आणि त्यानं ते कलात्मकरीत्या लेखनातून व्यक्त केले, तर ते प्रसिद्ध करण्यात मला काही गैर वाटत नाही.'

नदीकाठचा लेखक!

एक लेख मला सुचला, की त्यात एखादा संदर्भ जो असेल, त्यातून मला दुसरा लेख सुचायचा. उदाहरणार्थ, 'घंटीवाला' म्हणून एक लेख आहे. त्यात एक हुप्प्या आहे. तो लेकाचा नदीला जाऊन वाकून पाणी पीत असे. तर मी त्यात म्हटलंय की, 'सुसरीनं याला नेऊ नये.', कारण सुसरी न्यायच्या कुत्रीबित्री औदुंबरला आमच्या. पण वानरंही सहसा याप्रकारे पाणी पीत नसत तिथं... आणि मग असंही मनात आलं की, सुसरीवरही लिहिता येईल. मग सुसरीवर लिहिलं. सुसरीवरचा लेख वाचून व्यंकटेश माडगूळकरांनी मला सांगितलं की, 'अण्णा (म्हणजे गदिमा) मला म्हणाले की, हा नदीकाठचा लेखक आहे. याच्यावर लक्ष ठेव.'

(मुकुंद संगोराम आणि रवीन्द्र पाथरे यांनी 'लोकसत्ता दिवाळी अंक- २०१२' साठी घेतलेल्या मुलाखतीवर आधारित)

धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली...

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ लागू झाल्यानंतर धर्मांतर रोखण्याच्या सरकारच्या उद्देशासोबतच व्यक्तीच्या विवेकस्वातंत्र्य, खासगीपणा आणि वैयक्तिक निवडीच्या अधिकारांवर नव्याने प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधोरेखित केलेल्या 'संविधानिक नैतिकते'च्या कसोटीवर हा कायदा कितपत टिकतो, हा आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे .

ॲड्. गणेश पंडित

संविधान सभेत बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला होता. तो असा की, ''सांविधानिक नैतिकता' ही माणसाच्या स्वभावात जन्मतः नसते; ती समाजाने जाणीवपूर्वक जोपासावी लागते.'' डॉ. आंबेडकरांचा हा इशारा आज पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६'. महाराष्ट्र विधान मंडळाने मार्च २०२६ मध्ये मंजूर केलेला हा कायदा ३० जुलै २०२६ पासून राज्यात लागू झाला.

सरकारच्या मते, या कायद्याचा उद्देश फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे. मात्र, या कायद्यातील अनेक तरतुदी केवळ धर्मांतरापुरत्याच मर्यादित राहत नाहीत; त्या व्यक्तीच्या धर्म निवडण्याच्या स्वातंत्र्यावर आणि स्वतःच्या पसंतीने विवाह करण्याच्या अधिकारावरही परिणाम करू शकतात. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. तो असा की 'धर्मस्वातंत्र्य' असे नाव असलेला हा कायदा खरोखरच धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो की राज्याचा हस्तक्षेप व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात आणखी वाढवतो?

कायदा नेमके काय सांगतो?

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ हे विधेयक विधान मंडळात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आणि ३० जुलै २०२६ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर ते राज्यात लागू झाले. पहिल्या नजरेला हा कायदा फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी असल्याचे वाटते. मात्र, 'आमिष', 'गैरवाजवी प्रभाव', 'फसवणूक' आणि 'जबरदस्ती' यांसारख्या संज्ञांच्या व्यापक व्याख्यांमुळे त्यांच्या वापराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे धर्मांतराची प्रक्रिया. एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तरी तिला धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना द्यावी लागते. त्यानंतर ही सूचना संबंधित ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर ३० दिवसांसाठी जाहीर केली जाते, जेणेकरून कोणालाही त्यावर आक्षेप घेता येईल. धर्मांतर पूर्ण झाल्यानंतरही २१ दिवसांच्या आत स्वतंत्र घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेतील कोणतीही अट मोडली, तर संबंधित धर्मांतर कायद्याने अवैध ठरू शकते.

शिक्षेच्या तरतुदीही कठोर आहेत. विवाहाच्या निमित्ताने कथित बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अल्पवयीन, महिला, दिव्यांग तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींच्या बाबतीत शिक्षा अधिक कठोर असून, पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

मात्र, या कायद्यातील सर्वांत वादग्रस्त तरतूद वेगळीच आहे. धर्मांतराबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार केवळ धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, रक्ताचे किंवा वैवाहिक नातेवाईक यांनाही स्वतंत्रपणे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणजेच, एखादी प्रौढ व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलत असली, तरी तिच्या निर्णयावर कुटुंबीयांना कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग या कायद्याने खुला करून दिला आहे. याच कारणामुळे हा कायदा केवळ धर्मांतराचा नसून, व्यक्तीच्या स्वायत्ततेचा आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याचा प्रश्न करतो.

वास्तविक हेतू काय आहे? कोणताही कायदा करताना एक मूलभूत प्रश्न विचारावा लागतो तो कोणत्या समस्येवर उपाय म्हणून आणला जात आहे आणि त्या समस्येचे पुरावे काय आहेत? हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमिष, दबाव आणि विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या कथित धर्मांतरांचा उल्लेख केला. मात्र, अशा घटनांची स्वतंत्र आणि पडताळणी करता येईल अशी अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कायद्याची गरज आणि त्याची व्याप्ती याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.

या संपूर्ण चर्चेत वारंवार 'लव्ह जिहाद' ही संकल्पना पुढे आणली जाते. मात्र, भारतीय कायद्यात 'लव्ह जिहाद' अशी कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर संज्ञा नाही. तरीही या संकल्पनेभोवती भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. समाजशास्त्रात यालाच 'नैतिक घबराट' (मॉरल पॅनिक) असे म्हटले जाते. जिथे एखाद्या घटनेचा किंवा समूहाचा धोका वास्तवापेक्षा खूप मोठा असल्याची भावना समाजात निर्माण होते आणि त्यातून अधिक कठोर कायद्यांची मागणी वाढते.

या कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाचा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. कायद्याने 'सामूहिक धर्मांतर' अधिक गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले आहे. पण हाच महाराष्ट्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांसह केलेल्या ऐतिहासिक बौद्ध धर्मांतराचा साक्षीदार आहे. ते धर्मांतर कोणत्याही दबावातून नव्हे, तर स्वेच्छेने, विवेकबुद्धीने आणि सामाजिक सन्मानाच्या शोधातून झाले होते. त्यामुळे आजचा प्रश्न केवळ शिक्षेचा नाही; तर भविष्यात एखादा वंचित समाजगट मोठ्या प्रमाणावर, पूर्ण स्वेच्छेने धर्मांतराचा निर्णय घेतल्यास त्यालाही या कायद्यातील नोटीस, चौकशी आणि फौजदारी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल का, हा आहे. याचे उत्तर या कायद्याच्या भविष्यातील अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल; पण ही शक्यता घटनात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे आवश्यक आहे.

घटनात्मक चौकट कशी मोडते?

या कायद्याविषयीचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, तो भारतीय संविधानाच्या चौकटीत कितपत बसतो? संविधानातील अनुच्छेद २५ प्रत्येक नागरिकाला सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य तसेच धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देतो. सरकार या कायद्याचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेव्ह. स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (१९७७) या निर्णयाचा आधार घेते. त्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धर्माचा 'प्रसार' करण्याचा अधिकार म्हणजे दुसऱ्याला बळजबरीने किंवा फसवून धर्मांतर घडवून आणण्याचा अधिकार नव्हे. त्यामुळे फसवणूक किंवा दबावाने होणारे धर्मांतर रोखण्याचा अधिकार राज्याला आहे.

मात्र, तेव्हापासून भारतीय घटनात्मक न्यायशास्त्रात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यक्तीची श्रद्धा, विश्वास, जीवनशैली आणि वैयक्तिक निवड या तिच्या खासगी आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलण्यापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला सूचना देणे आणि ती सूचना सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करणे, हा तिच्या वैयक्तिक निर्णयात राज्याचा अनावश्यक हस्तक्षेप ठरतो का, हा गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो. अशा सार्वजनिक प्रक्रियेमुळे संबंधित व्यक्तीवर सामाजिक दबाव किंवा विरोधाचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याच दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने शफिन जहान विरुद्ध अशोकन (हादिया प्रकरण, २०१८) या निकालातही महत्त्वाचे तत्त्व मांडले. न्यायालयाने म्हटले की, प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचा जीवनसाथी आणि स्वतःची श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा गाभा आहे. त्या निवडीवर कुटुंब किंवा राज्य कोणालाही पहारा देण्याचा अधिकार नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या नव्या कायद्यात धर्मांतराबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार आई-वडील आणि इतर नातेवाईकांनाही देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तीच्या वैयक्तिक निर्णयात कुटुंबाच्या हस्तक्षेपाला कायदेशीर आधार मिळतो, अशी टीका या कायद्यावर केली जात आहे.

या कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पुराव्याची जबाबदारी. सामान्यतः फौजदारी कायद्यात आरोपी दोषी आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यावर असते. मात्र, या कायद्यानुसार धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वालाच अपवाद निर्माण होतो. तसेच या कायद्यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. परिणामी, दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच अटक आणि दीर्घ काळ कारावासात राहण्याची शक्यता निर्माण होते.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि वेळेचा विरोधाभास

या कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तो लागू करण्यात आला, ती वेळ. विविध राज्यांतील अशाच स्वरूपाच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अनुच्छेद १४, २१ आणि २५ च्या कसोटीवर या कायद्यांचे परीक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ ची घटनात्मक वैधताही अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द आठवतात. संविधानाची खरी ताकद केवळ बहुमताने मंजूर झालेल्या कायद्यांत नसते; ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या राज्याच्या बांधिलकीत असते. धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने बनवलेला कोणताही कायदा, व्यक्तीच्या विवेकस्वातंत्र्यावर, खासगी आयुष्यावर आणि स्वायत्ततेवर अतिक्रमण करू लागला, तर त्याची घटनात्मक कसोटीवर तपासणी होणे अपरिहार्य ठरते. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ संदर्भातील खरी चर्चा म्हणूनच धर्मांतराची नसून, राज्य आणि नागरिक यांच्या नात्याच्या मर्यादा नेमक्या कुठे आखायच्या, याची आहे. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर केवळ विधान मंडळात नव्हे, तर संविधानाच्या मूल्यांमध्ये शोधावे लागेल.

हे राज्यसंस्थेचे काम आहे का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत बोलताना दिलेला इशारा आजही तितकाच महत्त्वाचा वाटतो. त्यांनी सांगितले होते की, राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर तिचा पाया सामाजिक लोकशाही आणि सांविधानिक नैतिकतेवर असला पाहिजे. अन्यथा, लोकशाहीची रचना कायम राहील; पण तिचा आत्मा हरवेल.

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ नेमका याच प्रश्नासमोर आपल्याला उभे करतो. फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखणे हे कोणत्याही लोकशाही राज्याचे वैध उद्दिष्ट असू शकते. मात्र, त्या उद्देशासाठी स्वीकारलेली साधने नागरिकाच्या धर्म निवडण्याच्या अधिकारावर, वैयक्तिक स्वायत्ततेवर आणि घटनात्मक स्वातंत्र्यावर किती परिणाम करतात, याची कसोटी तितकीच महत्त्वाची आहे.

या कायद्याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल. मात्र, त्याआधी समाज म्हणून आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ राज्याने नागरिकाच्या धार्मिक निवडीवर अधिक देखरेख ठेवणे हा आहे, की प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला भीती, दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय स्वतःच्या विवेकानुसार निर्णय घेण्याची हमी देणे हा आहे? याच प्रश्नाचे उत्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांविधानिक नैतिकतेच्या संकल्पनेतून दिले होते. संविधानाची खरी ताकद बहुमताच्या इच्छेत नसते; ती प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या त्याच्या क्षमतेत असते. म्हणूनच या कायद्याविषयीची खरी चर्चा केवळ धर्मांतराची नाही, तर भारतीय संविधानाने नागरिक आणि राज्य यांच्यात आखून दिलेल्या मर्यादांची आहे.

adv.ganeshpandit2000@gmail.com

दैनिक जागरण

दूसरे को क्षमा करना स्वयं पर भी बोझ हल्का करता है

परिसीमन बिल के आसार

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की घोषणा एक ओर जहां यह बताती है कि दोनों पुराने सहयोगी दल करीब आ रहे हैं, वहीं यह भी कि मोदी सरकार उक्त विधेयक को शीघ्र ही पारित कराने को लेकर गंभीर है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का लोकसभा में एक ही सांसद है, लेकिन उसकी ओर से परिसीमन बिल का समर्थन करने की घोषणा इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगी। यह उल्लेखनीय है कि जब संसद के बजट सत्र में इस विधेयक को लाया गया था, तब शिरोमणि अकाली दल ने उसका विरोध किया था। जैसे इस दल ने अपना रवैया बदला, वैसे ही कुछ अन्य दल भी बदल सकते हैं। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र आने तक संसद की तस्वीर बदल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में टूट हो चुकी है और उसके 20 लोकसभा सदस्य एक नए दल का हिस्सा बनकर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी कई सांसद भाजपा की सहयोगी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस से छिटक चुकी द्रमुक भी अपना रवैया बदल ले और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। इससे सरकार का काम आसान हो सकता है।

यदि सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होते हुए सचमुच देखना चाहते हैं तो उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर परिसीमन विधेयक का समर्थन करना ही होगा। जब सरकार सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमत हो गई है, तब फिर परिसीमन विधेयक के विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि परिसीमन विधेयक पारित नहीं होता तो महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का संसद का वादा पूरा नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आधी आबादी के सवालों का सामना सत्तापक्ष के साथ विपक्ष को भी करना होगा। सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव के बाद विपक्ष की यह दलील खोखली हो जाती है कि कुछ राज्यों और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होगा। विपक्ष को समझना होगा कि आबादी कम करने में सफल रहे राज्यों को राजनीतिक नुकसान तो तब होगा, जब परिसीमन नई जनगणना के बाद लागू होगा। वर्तमान परिस्थितियों में यही उचित है कि परिसीमन विधेयक को संसद से पारित कर महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। इसमें जितना अधिक विलंब होगा, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने में उतनी ही देरी होगी।

मानसून की चुनौती

उत्तराखंड में लगातार हो रही वर्षा और भूस्खलन से आमजन की परेशानी बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां जलभराव चुनौती बना हुआ है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने से यातायात बाधित हो रहा है। विषम परिस्थितियों वाले राज्य के लिए हर बार मानसून बड़ी परीक्षा लेकर आता है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। दैनिक कार्यों से लेकर स्कूल और अस्पताल जाने तक के रास्ते भूस्खलन से बंद हो जाते हैं। यद्यपि, सरकार ने इस बार मानसून से पहले ही सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन फिर भी कई जगह जिस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, उससे आपदा तंत्र को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जनजीवन को गंभीर संकट से बचाने के लिए समय रहते सभी उपाय किए जाने बेहद जरूरी हैं। इस क्रम में सबसे आवश्यक तथ्य है संवेदनशील क्षेत्रों को पहले ही चिह्नित कर लेना। ऐसा होने पर उन भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और उपचार समय पर हो सकेगा, जो हर बार आफत बनते हैं। गंभीर संकट की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पहले से ही तैयार करना भी जरूरी है। साथ ही आपदा प्रबंधन के कार्यों में लगे विभागों के बीच समन्वय से संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मानसून हर बार आता है और प्रकृति के चक्र को रोकना भी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तो बनाया ही जा सकता है। इससे मानसून के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

> आपदा तंत्र को और अधिक मजबूत किए जाने की जरूरत है

दोयम दर्जे के निर्माण का सिलसिला

संजय गुप्त

प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद सरकारी एजेंसियां ही उनकी बातों पर गौर नहीं कर रही हैं

अवधेश राजपूत

लगभग एक माह पहले जब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ था तो उसे आधुनिक एक्सप्रेसवे की संज्ञा दी गई थी, लेकिन बरसात शुरू होते ही यह जगह-जगह धंसने लगा। इस एक्सप्रेसवे का इंतजार कानपुर और लखनऊ के साथ अन्य शहरों के लोग पिछले 15 वर्षों से कर रहे थे। जब यह एक्सप्रेसवे बार-बार धंसना शुरू हुआ तो उसका निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इन्फ्रा के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और पैच वर्क करके आवागमन बहाल करने के कदम उठाए गए। कहना कठिन है कि यह एक्सप्रेसवे कब तक ठीक हो सकेगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इसमें निर्माण की कमियां सामने आने से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की किरकिरी हो रही है। यह कोई पहला ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं, जिसमें किसी तरह की खामी सामने आई हो। यह एक्सप्रेसवे जिस तरह बार-बार अनेक स्थानों पर धंसा, उससे यही स्पष्ट होता है कि जिन एजेंसियों के हाथों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवाने की जिम्मेदारी है, उनका कामकाज ठीक नहीं है। हमारे देश में अधिकांश परियोजनाएं सरकारी पैसों अर्थात जनता के धन से बनती हैं। इस तरह की परियोजनाएं एनएचएआइ, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी या राइट्स जैसे भारत सरकार के उपक्रमों के जरिये पूरी की जाती हैं। क्या ये उपक्रम निर्माण के विश्वस्तरीय गुणवत्ता के मानकों से परिचित नहीं या फिर उन्होंने दोयम दर्जे के मानकों को ही विश्वस्तरीय समझ रखा है?

अपने देश में बहुत कम परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरती हैं। सरकारी एजेंसियां सीधे तौर पर निर्माण कार्य नहीं करतीं, बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के जरिये काम कराती हैं और उनके काम की निगरानी करती हैं। अब इसमें संदेह नहीं कि सरकारी एजेंसियां निजी कंपनियों के कार्यों की सही तरह निगरानी नहीं कर पा रही हैं। यही बात बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाली राज्य सरकार की एजेंसियों पर भी लागू होती है। इसका कारण जवाबदेही का अभाव और भ्रष्टाचार है।

जब किसी परियोजना में खामी-खराबी का मामला सामने आता है तो सरकारी एजेंसियां संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाती हैं और उन्हें काली सूची में भी डालती हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। दोयम दर्जे के निर्माण का सिलसिला कायम है। इसके चलते जनता के धन की बर्बादी ही हो रही है। हैरानी यह है कि आधारभूत ढांचे का निर्माण करने वाली जिन कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है, वे कई बार नाम बदलकर फिर सरकारी एजेंसियों का काम करने लगती हैं। सरकारें इससे परिचित हैं कि सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के बीच जो साठगांठ है, वही दोयम दर्जे के बुनियादी ढांचे के निर्माण का कारण बन रही है, लेकिन यह साठगांठ टूट नहीं पा रही है। जब किसी निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाला जाता है तो निजी कंपनियों को अनेक शर्तों से बांधा जाता है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कई कंपनियां इन शर्तों पर खरी न उतर पाने के बावजूद बड़े-बड़े ठेके पा जाती हैं। हमारे नीति- नियंता इससे परिचित हैं कि टेंडर प्रक्रिया में खामियां हैं, लेकिन वे उसे दूर कर पाने में नाकाम हैं। समय आ गया है कि टेंडरिंग प्रक्रिया में तकनीकी बोली और लोएस्ट बिडिंग के नियमों में बदलाव किया जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दोयम दर्जे का निर्माण करने वाली कंपनियों को दंडित करने के आश्वासन कई बार दे चुके हैं, लेकिन स्थिति बदल नहीं पा रही है। लगातार यह सामने आ रहा है कि सड़कों का निर्माण सही डिजाइन और इंजीनियरिंग के तहत नहीं हो पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में ऐसे ब्लैक स्पाट बन जा रहे हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। जब प्रसिद्ध उद्योगपति सायरस मिस्त्री की एक मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुई थी तो राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि राजमार्गों के निर्माण में ब्लैक स्पाट न निर्मित होने पाएं, लेकिन अभी भी सड़कों के साथ-साथ पुलों और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण में इंजीनियरिंग की बुनियादी खामियां देखने को मिलती हैं।

अपने देश में चार-पांच सौ वर्ष पुराने कई किले और हवेलियां अभी भी सही-सलामत हैं। अंग्रेजों के बनाए अनेक पुल और भवन भी कायम हैं, लेकिन आजादी के बाद निर्मित बुनियादी ढांचा टिकाऊ नहीं साबित हो पा रहा है। क्या आजादी के बाद हम मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भूल गए? बात केवल सड़कों और पुलों की ही नहीं, अन्य बुनियादी ढांचे में व्याप्त खामियों की भी है। इनमें नई बनी कालोनियां भी हैं। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश भर में एक व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हुआ है, लेकिन यह कहना कठिन है कि यह निर्माण गुणवत्ता के मानकों पर खरा साबित हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाली सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही का अभाव है। बहुत कम निजी कंपनियां ऐसी हैं, जिनकी ओर से कराए गए निर्माण कार्य गुणवत्ता की कसौटी पर खरे साबित हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण निर्माण का कौशल और तकनीक नहीं है, लेकिन एक के बाद एक सरकारों ने ठोस एवं टिकाऊ निर्माण को सुनिश्चित करने को कभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी। मोदी सरकार भी तमाम प्रयत्नों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी एजेंसियां ही उनकी बातों पर गौर नहीं कर रही हैं। समय आ गया है कि सरकारी एजेंसियों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाए, अन्यथा अरबों रुपये का जो ढांचा निर्मित हो रहा है और जिसकी देश को जरूरत भी है, वह सरकारी एजेंसियों और भ्रष्ट ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण वैसे ही समस्याएं खड़ी करेगा, जैसी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे ने की।

response@jagran.com

सिस्टम के आगे सब नाकाम

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

आप आंदोलन के तरीके बदल सकते हैं, मुद्दे बदल सकते हैं, सरकार भी बदल सकते हैं, पर सिस्टम को कतई नहीं

आंदोलन खत्म हो चुका था। आंसू गैस के गोले और लाठी-डंडे तनिक विश्राम के लिए सुस्ताने लगे थे। सड़क का शोर बैरिकेड तोड़कर संसद में 'शिफ्ट' हो गया। मोर्चे पर डटी सूरतें बदल चुकी हैं, लेकिन देश की सूरत बदलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब संवाद संसद से निकलकर इंटरनेट मीडिया पर तैरने लगा है। अब सवाल यही है कि आंदोलन से क्या हासिल हुआ, इसका ठीकठाक अनुमान न तो करने वालों को अभी तक हो पाया है और न ही उसे दबाने वालों को। जनसंघर्ष को राष्ट्रीय मनोरंजन में बदल दिए जाने से सरकार के सिपहसालार भी हैरान हैं। उन्हें विपक्ष के पारंपरिक हथियारों से लड़ने का अनुभव खूब रहा है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी उनकी समझ के बाहर लग रही है। यह 'जेन-जी' का जंजाल है या देश का भविष्य, सरकार के कर्ताधर्ता इस पर अभी इसी पर मंथन में रमे हैं।

किसी भी सरकार की पहली सफलता यह होती है कि जो मुद्दा उस पर भारी पड़ने वाला हो, उस पर एक राय न बनने दी जाए। जनमत बंट जाने पर उसकी जवाबदेही भी समाप्तप्राय हो जाती है। आंदोलन में लाठी चल जाने के बाद जनता आपस में लाठी भांजने लगी। यही वजह रही कि परीक्षा-सिस्टम में हुई गड़बड़ी का आंदोलन लाठी-गोली और गालियों के विमर्श में तब्दील हो गया। यह देखकर आखिरकार सियासत को दखल देना पड़ा और सरकार भी 'वायरल रील' बनाने लगी। विमर्शकार तो मानो इसी मौके के इंतजार में बैठे थे। वे रील की टाइमिंग, उसकी गुणवत्ता और कैमरे के एंगल पर विमर्श करने लगे। 'वायरल-पीड़ित' पीढ़ी उसी पर मीम और रील बनाने में जुट गई। इंटरनेट मीडिया में आई बाढ़ ने देश के कई इलाकों में आई बाढ़ को भी ढक लिया।

किसी समस्या का समाधान अधिक बार तभी होता है, जब उसके बरक्स कोई नई समस्या खड़ी हो जाए। इस घटना से एक बात साबित हुई कि जो काम पुलिस की गोली और लाठी नहीं कर सकती, वह दो मिनट की एक 'रील' कर सकती है। आज की सरकार तो वैसे भी 'फ्लोर-मैनेजमेंट' करने में उस्ताद है। सदन हो, सड़क हो या विमर्श की धारा, उसके पास सब कुछ 'मैनेज' करने का हुनर हासिल है। कह सकते हैं कि सरकार ने रोजगार के नए फ्रंट खोल दिए हैं और जनता के विरोध का तरीका भी बदल दिया है। सरकार का हर 'स्ट्रोक' अंततः 'मास्टर-स्ट्रोक' की गति को प्राप्त होता है। अब हर मुद्दे के दो पक्ष निकल आते हैं। एक वह, जो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी मीडिया फैलाता है और दूसरा वह जो हर मोबाइल पर रील बनकर वायरल होता है। हर आदमी की गोदी में मोबाइल-स्क्रीन चमकने लगी है और पल भर में एक अंगुली दुनिया भर की खबरों को स्क्राल करके उदरस्थ कर लेती है। हर कोई विश्लेषक बन चुका है। आम आदमी के अंदर ही खास आदमी निर्मित हो चुके हैं, जो किसी भी विमर्श को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं और किसी के चरित्र को तार-तार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत नहीं लगती। नकली बुद्धि की मांग तेजी से बढ़ ही रही है। इन तमाम बातों के साथ एक स्थापित सत्य यही सामने आया है कि आप आंदोलन के तरीके बदल सकते हैं, मुद्दे बदल सकते हैं, सरकार भी बदल सकते हैं, पर सिस्टम नहीं। उसका बाल बांका करना बेहद कठिन है। अच्छी बात यह है कि इस एक मुद्दे पर सरकार, विपक्ष और जनता में आम सहमति है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

यूपीआइ लेन-देन

(संख्या अरब में)

स्रोत: एनपीसीआइ

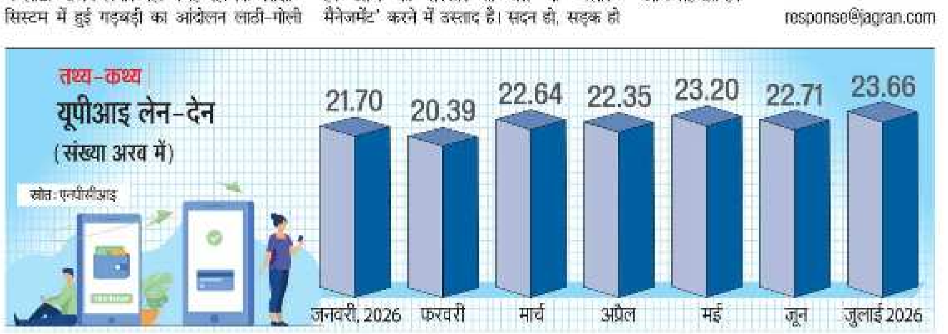

ऊर्जा

सही दिशा

पानी बरस रहा हो, ताल तलैया भर गए हों और नदियां उफान पर हों, फिर भी आंगन में रखा घड़ा खाली रह जाए तो दोष वर्षा का नहीं, घड़े की स्थिति का है। घड़ा उलटा रखा है तो अमृत जैसी वर्षा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। संसार में अवसरों, ज्ञान और संभावनाओं की वर्षा निरंतर होती रहती है, लेकिन यदि हमारी दिशा ही उलटी है तो उपलब्ध अवसर भी जीवन को समृद्ध नहीं कर पाएंगे।

जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सत्य को जानते हुए भी मोह, भय और भ्रम के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। सही दृष्टि केवल परिस्थिति को देखने में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य को पहचानने में है। रामचरितमानस में भगवान श्रीराम ने 'धर्ममय रथ' का वर्णन किया है। इसके अनुसार शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं। सत्य और सदाचार उसकी ध्वजा हैं। बल, विवेक, संयम और परोपकार उसके घोड़े हैं, जिन्हें क्षमा, दया और समता की डोर नियंत्रित करती है। ईश्वर-स्मरण उसका सारथी, वैराग्य उसकी ढाल और संतोष उसकी तलवार है। निर्मल मन तरकश और आत्मसंयम उसके बाण हैं। यह रथ बाहरी युद्ध के लिए नहीं, अपितु जीवन के संघर्षों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जब सत्य, संयम, विवेक, संतोष और परोपकार को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब कठिनाइयां उसे पराजित नहीं कर पातीं। इसके विपरीत, छल, अधर्म, अहंकार और अनुशासनहीनता की उलटी चाल व्यक्ति को कुछ समय के लिए भले ही आगे ले जाए, परंतु अंततः संकट में ही डालती है।

जीवन में सफलता तेज गति से नहीं सही दिशा में चलने से मिलती है। इसलिए अपने कदमों को परखते रहें कि हमारी चाल धर्म, सत्य व सदाचार की ओर है या स्वार्थ-अहंकार की ओर।

सलिल पांडेय

आबादी का बड़ा हिस्सा पौष्टिक तत्वों से वंचित

मुकुल व्यास

> **बहुत से लोगों में विटामिन बी2, बी9, सी और ई व कैल्शियम, आयरन एवं आयोडीन जैसे खनिजों की कमी पाई गई है**

दुनिया में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज पदार्थों से वंचित है। हैरानी की बात यह है कि यह समस्या उन कारणों से बढ़ रही है जिनका लोगों की खाने-पीने की पसंद से कोई लेना-देना नहीं है। इसका जवाब उन फसलों में छिपा है, जिन पर गर्म माहौल का असर पड़ रहा है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी में विटामिन बी2, बी9, सी और ई के साथ-साथ कैल्शियम, आयरन और आयोडीन जैसे खनिजों की कमी पाई गई है। यह कमी सिर्फ गरीब देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमीर देशों में भी देखी जा सकती है। आहार विज्ञानी इसे 'छिपी हुई भूख' (हिडन हंगर) कहते हैं और यह कैलोरी की कमी से नहीं, बल्कि विटामिन और खनिज की कमी से उपजती है।

दुनिया की मुख्य फसलों में पके हुए सफेद चावल से सबसे कम पोषक तत्व मिलते हैं। पौष्टिकता के मामले में यह मक्का और गेहूं, दोनों से काफी पीछे है। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अरबों लोगों के लिए रोजाना मिलने वाली कैलोरी का सबसे बड़ा स्रोत चावल ही है। एशिया के ज्यादातर हिस्सों में चावल की तीन पूरी थालियां खाने वाले व्यक्ति को जरूरी विटामिन और खनिज की सही मात्रा नहीं मिल पाती। चावल पेट तो भर देता है, लेकिन पोषण की ऐसी कमी छोड़ जाता है जिसे सामान्य मात्रा में खाने से पूरा नहीं किया जा सकता।

जलवायु परिवर्तन अब इस बुरी स्थिति को और भी बदतर कर रहा है। अनाज में जमा होने वाले प्रोटीन, बी ग्रुप के विटामिन और खनिजों की मात्रा कम होती जा रही है। एक अनुमान है कि चावल की गुणवत्ता में आ रही इस गिरावट के कारण वर्ष 2050 तक लगभग 24 करोड़ लोग फोलेट की कमी का शिकार हो सकते हैं। फोलेट एक ऐसा विटामिन है जिसके बिना शरीर का काम नहीं चल सकता। जिन विटामिन पर हमारा शरीर निर्भर करता है, वही विटामिन मुश्किल हालात में जीवित रहने के लिए पौधों के भी काम आते हैं। थायमिन (विटामिन बी-1) से टूट की गई फसलें, उन फसलों के मुकाबले सूखे का बेहतर सामना करती हैं जिनमें यह नहीं होता।

फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन पौधों को सूखे और खारी मिट्टी जैसी मुश्किल स्थितियों से निपटने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन खाद्य आपूर्ति पर दोहरी मार करता है। यह खेतों की फसलों से पोषक तत्व छीन लेता है, और ठीक उसी समय उन खेतों पर सूखा, गर्मी और बाढ़ का कहर भी बरपाता है। प्रजनकों के प्रयासों से दुनिया में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने में मदद अवश्य मिली, लेकिन मात्रा बढ़ाने पर अधिक जोर देने से फसलों की पौष्टिकता भी कम हुई। अब प्रजनकों के समक्ष बड़ी चुनौती फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ उनकी पौष्टिकता बढ़ाना है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

हंगामा तो करने देते

संसद का मानसून सत्र इस बार बिल्कुल वैसे ही चला है, जैसे कि कुछ देर के लिए कार्यवाही के बाद फुहार शुरू हो जाए और तुरंत स्थगन का सहारा लेना पड़े। शायद सांसदों से लेकर पीठ तक यह पूरी तरह मानकर बैठे हैं कि जब तक सरकार और विपक्ष में पूरी तरह सहमति नहीं बन जाएगी, तब तक किसी भी सूरत में संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पाएगी। ऐसी ही परिस्थिति गत दिवस राज्यसभा में देखने को मिली। सुबह के स्थगन के बाद सांसद फिर से सदन के भीतर पहुंचे। उपसभापति आसन पर विराजे और विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो ही पाए थे कि पीठ से आदेश हो गया कि सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है। बिना हंगामा स्थगन पर विपक्षी सांसद भी हैरान रह गए कि आखिर हुआ क्या? खैर, कांग्रेस खेमे से एक सांसद ने हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर कर ही दीं। बोले, सर हुआ क्या? कम से कम हंगामा तो कर लेने देते।

टर्बनेटर ने बढ़ाई सक्रियता

टर्बनेटर के नाम से प्रसिद्ध हरभजन सिंह की संसद के गलियारों में मौजूदगी काफी चर्चा में है। वैसे तो संसद में उनकी एंट्री 2022 में ही हो गई थी, लेकिन अब तक वे शायद ही संसद में दिखते थे। आम आदमी पार्टी में रहते हुए संसद से उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल भी उठते थे, लेकिन भाजपा के साथ जुड़ते ही उनकी संसदीय सक्रियता खासी बढ़ गई है। मानसून सत्र इसकी गवाही भी दे रहा है। इस दौरान वे न केवल रोजाना संसद पहुंच रहे हैं, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मेल-मुलाकात भी कर रहे हैं। जेपी नड्डा, नितिन नबीन से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं के दफ्तर के बाहर उन्हें अक्सर देखा जा सकता है, जहां वे उनके सहयोगियों के मोबाइल नंबर ले रहे होते हैं। चर्चा है कि भज्जी यह सक्रियता पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी पिच पर भज्जी भाजपा की झोली कितनी भर पाते हैं?

राजरंग

मौन व्रत

अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले अभिनेता एवं सांसद रवि किशन वैसे तो बोलने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, लेकिन संसद के भीतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी दलों को लेकर पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने की जगह कहा कि वे मौन व्रत पर हैं। पंडित जी ने उन्हें मौन रहने के लिए कहा है। इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोगों ने ठहाके लगाए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने ऐसे ही मौन व्रत नहीं रखा हुआ, बल्कि उन्हें मौन व्रत रखने के लिए कहा गया होगा।

बिस्कुट-गवर्नेंस

कृषि भवन में बैठने वाले एक सचिव महोदय हाल ही में एक मीटिंग में आग-बबूला हो गए। किसी खास उद्देश्य के साथ बुलाई गई बैठक चल ही रही थी कि तभी उनकी नजर चाय और बिस्कुट पर पड़ी। पूछा गया कि चाय की व्यवस्था कौन कराता है? बिस्कुट किसके निर्देश पर आते हैं? एक छोटे बाबू ने बताया कि अमुक बाबू का आदेश है। उन्हें बुलाया गया। एक के बाद एक सवाल पूछे गए। बिस्कुट क्यों मंगाया गया? अगर कोई बिस्कुट नहीं खाता है तो पैकेट से निकाले गए बिस्कुट का क्या होता है? आदि इत्यादि। बैठक में उपस्थित अन्य सदस्य चुपचाप इस वार्तालाप को सुनते रहे। किसी ने जवाब दिया कि बाकी बिस्कुट फेंक दिए जाते हैं। सचिव बाबू संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि मुझे मालूम है कि बिस्कुट के साथ क्या होता है? इसे लिफाफे में रखकर घर ले जाते होंगे। मामला ज्यादा नीचे जाते देख किसी ने धीरे से हस्तक्षेप किया, लेकिन इस बार कृषि भवन की बात कृषि भवन तक सीमित नहीं रही।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2012/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹ 2 अतिरिक्त।

66 के आसपास टेक्सटाइल मिलें थीं अहमदाबाद में वर्ष 1980 में, जिस कारण इसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन तकनीकी और आर्थिक कारणों से अधिकांश मिलें धीरे-धीरे बंद हो गईं।

आजकल

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

सफेद सागर में शौर्य की अग्नि

पिछले कुछ वर्षों से ओटीटी प्लेटफार्म इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इस पर आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसारण अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। ऐसे में आपरेशन सफेद सागर नामक एक वेबसीरीज आई है जो साफ-सुथरी और वैचारिक है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के आपरेशन पर आधारित इस सीरीज की पटकथा इस प्रकार तैयार की गई है कि दर्शक को यह पूरी तरह से बांध कर रखती है

एयरफोर्स के पायलटों से जुड़े तमाम तथ्यों और रिश्तों की संवेदना को उकेरती है वेबसीरीज आपरेशन सफेद सागर।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और उसके बाद की परिस्थितियों के संदर्भ में ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म पर चलनेवाले वेबसीरीज में दी जानेवाली गालियों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके पहले जी-5 पर फिल्म सतलुज के प्रदर्शित होने और उसको हटाने के बाद ओटीटी पर अंकुश लगाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जा रहे हैं। उधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि ओटीटी के विनियमन के लिए एक विस्तृत संवैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। यह भी जोड़ा गया कि विनियमन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता बाधित न हो। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। वह यह कि सरकार ओटीटी प्लेटफार्म पर किसी वेबसीरीज या फिल्म के रिलीज होने के बाद विशेषज्ञों के पैनल से समीक्षा पर विचार कर रही है। अगर सीरीज या फिल्म में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री हो तो उसको हटाने का उपक्रम किया जा सके। जानबूझकर मैंने इस संभावना को दिलचस्प कहा। अगर कोई फिल्म या वेबसीरीज रिलीज हो गई तो उसे भारत में तो हटवाया जा सकता है, लेकिन क्या भारत के बाहर के दर्शकों के लिए हटवाया जा सकता है। तकनीक के विस्तार से यह लगभग मुमकिन नहीं है। फिल्म सतलुज के केस में हमने यह देखा कि जी 5 से फिल्म को हटवा देने के बाद भी वह इंटरनेट पर उपलब्ध रही। इस रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि ओटीटी प्लेटफार्म ने मनोरंजन की दुनिया में पारंपरिक मनोरंजन के साधन यथा सिनेमा को पीछे छोड़ दिया है। फिल्मों में तो प्रदर्शन के पूर्व प्रमाणन की व्यवस्था है, लेकिन ओटीटी मुख्यतया स्वनियमन के फार्मूले पर कार्य करता है। इसमें दर्शकों की उम्र को चेक करने का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, जिससे बहुधा कम उम्र के बच्चे भी सेक्सुअल कंटेंट या गाली गलौच वाले संवादों से भरी सीरीज देखते हैं। इसका दुष्प्रभाव भी उन पर पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार तो इस तरह के कंटेंट सामने आते हैं जो समाज में वैमनस्यता परोसते हैं। दो समुदायों के बीच में कटुता बढ़ाते हैं। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय पोस्ट रिलीज पैनल के माध्यम से इसे विनियमित करना चाहता है।

अभी भी लगभग इसी तरह की व्यवस्था है। स्वनियमन की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शिकायत मिलने पर मंत्रालय की समिति विचार करती ही है। उसके बाद निर्णय करती है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। वर्ष 2024 में श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होनेवाला था। उससे एक महीने पहले नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म अन्नपूर्णी, द गाडेस आफ फूड रिलीज की गई। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक ब्राह्मण लड़की देश का श्रेष्ठ शेफ बनना चाहती है। उसको बताया गया कि इसके लिए उसे नानवेज खाना बनाना सीखना होगा। इस फिल्म के संवाद में प्रभु श्रीराम को मांसाहारी बताया गया। हिंदू लड़की को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। तर्क दिया गया कि उसने बिरयानी बनाना एक मुस्लिम महिला से सीखा था, इसलिए आभार प्रकट करने के लिए नमाज पढ़ी। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद इसके संवाद और दृश्यों को लेकर मुकदमा हुआ। केस होने के बाद इसके निर्माता कंपनी ने क्षमा मांगी। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटाया गया। एक तो इसके प्रदर्शन की टाइमिंग पर विचार करना चाहिए। पहले ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। दर्शक इसको नकार चुके थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों पूर्व इसे ओटीटी पर रिलीज करने के पीछे की मंशा क्या थी। इस तरह की स्थितियों में पोस्ट रिलीज पैनल की क्या भूमिका होगी। क्या मुकदमा होने के बाद वह फिल्म देखेगा। क्या दर्शकों की आपत्ति या शिकायत के बाद फिल्म देखेगा। सरकारी प्रक्रिया में जब तक पैनल देखेगा, तब तक कितना समय बीत चुका होगा। किसी भी वैधानिक फ्रेमवर्क को बनाने के पहले इन बातों और पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

ओटीटी को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच एक ऐसी सीरीज आई जिसको लेकर किसी भी प्रकार का विवाद संभव नहीं है। नाम है- आपरेशन सफेद सागर। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारतीय वायुसेना के आपरेशन पर आधारित छह एपिसोड की इस सीरीज में निर्देशक ओनी सेन ने अपने क्राफ्ट, संवाद और परिस्थितियों की रचना इस प्रकार से की है कि दर्शक बंधा रहता है। इस सीरीज में केवल काकपिट और युद्ध की कहानी ही नहीं है। शांति के समय पायलटों और उनके परिवारों की भावनाओं का सुंदर चित्रण भी है। युवा और अनुभवी पायलटों के जीवन को इस तरह से दिखाया गया है जो लगभग वास्तविक जैसा है। एक युवा पायलट की प्रेमिका जब अपने घर से भागकर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचती है तो उसके बाद के दृश्य एकदम वास्तविक प्रतीत होते हैं। लड़की को बगैर मेकअप या गहरे मेकअप के प्रस्तुत करने का जोखिम निर्देशक ने उठाया है। इसी तरह से इस सीरीज के केंद्रीय पात्रों में से एक स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जिसका किरदार सिद्धार्थ ने निभाया, उसने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से इसे निभाया गया है। उनकी पत्नी अलका आहूजा का किरदार अमृता बागची ने किया है। कैसे सीनियर पायलट का परिवार भी जूनियर पायलट के परिवार को बातों बातों में ट्रेनिंग देते हैं। इसको स्वाभाविक तरीके से संवाद के माध्यम से चित्रित किया गया है। युवा पायलट की प्रेमिका अजय आहूजा के घर में रहती है। एक दिन बातों बातों में अलका आहूजा उससे कहती है कि जब भी उसके पति जहाज लेकर जाते हैं, उस दिन वह झगड़ा नहीं करती। लेकिन शिकायतों की सूची बनाती रहती हैं। जब उनके पति को जहाज नहीं उड़ाना होता है, उस दिन वह सारा हिसाब बराबर कर लेती हैं। वेबसीरीज आपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स से जुड़े पायलटों की जीवन की तमाम बारीकियों को छूती है। रिश्तों की संवेदना को इस तरह से उकेरती है कि कई बार दर्शकों की आंखें भर आती हैं। बेहद सधा हुआ संवाद।

इस वेब सीरीज के पहले भी माधुरी दीक्षित अभिनीत क्राइम थ्रिलर मिसेज देशपांडे आई थी। वह भी सलीके से बनाई गई थी। दरअसल जिन निर्देशकों को अपने हुनर और कहानी पर भरोसा होता है वो अकारण यौनिकता, हिंसा, गाली गलौच नहीं दिखाते। जिनको अपने हुनर पर भरोसा नहीं होता और जो कला में वैचारिकी की मिलावट करते हैं। राजनीति करते हैं। उससे सफलता का रसायन तैयार करना चाहते हैं। उससे ही विवाद खड़े होते हैं। ओटीटी को लेकर अगर सरकार को विनियमित की व्यवस्था करनी है तो पोस्ट रिलीज पैनल के स्थान पर प्री रिलीज पैनल बनाने पर विचार करना होगा। ताकि नग्नता और अश्लीलता परोसने पर तो लगाम लगे ही सीरीज के बहाने राजनीति करनेवालों की पहचान भी हो सके। उनके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। इससे न केवल विवाद कम होंगे, बल्कि अकारण सरकारी कामकाज भी नहीं बढ़ेगा।

खरी खरी

लचकलाल का इंस्टाग्राम में प्रवेश

भूपेंद्र भारतीय

पिछले दशक में लचकलाल वाट्सअप यूनिवर्सिटी में गोते लगाते रहा। अब उसका मन उससे भर गया तो समय की नजाकत को देखते हुए लचकलाल इन दिनों इंस्टाग्राम एकेडमी में प्रवेश लेने में लगा है। इधर देखा तो इंस्टाग्राम एकेडमी में प्रवेश ही लेना बहुत महंगा है। उसके लिए सबसे पहले तो बड़ा मोबाइल चाहिए, जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। कम से कम दिल्ली में बैठा व्यक्ति कन्याकुमारी तक के फोटो ले सकता हो, इतनी कैमरे की क्षमता हो। भले उसके लिए कर्ज के जाल में फंसना पड़े। इंस्टाग्राम पर भले ज्ञान कम हो, लेकिन चेहरे का मेकअप सही होना चाहिए।

यह एकेडमी इन दिनों किशोरों से लेकर युवाओं का प्रमुख केंद्र बन गया है, लेकिन पिछले दिनों देखने में आया कि इस पर भी अब सभी उम्र के इंटरनेट मीडिया जीवीयों ने चहलकदमी शुरू कर दी है। लोग अपनी तरह तरह की गतिविधियां इसके माध्यम से साझा कर रहे हैं। लचकलाल के लिए यह सब नया है। वे ठहरे देशी पुरुष। अब तक जैसे तैसे वाट्सअप विश्वविद्यालय का संचालन व प्रबंधन कर लेते थे, लेकिन इंस्टाग्राम में लगा "ग्राम" भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। पहले उन्हें लगा था कि इस एकेडमी को किसी गांव वाले ने बनाया होगा, तभी इसमें "ग्राम" जोड़कर इंस्टाग्राम बना दिया। जैसे कोई मैगी नूडल्स बनाने का काम हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। इस मंच पर तो सब अपने आप को बेचने में लगे हुए हैं। कोई पहाड़ों पर जाकर शहरों की गंदगी पर रील बना रहा है तो कोई अपनी ही पत्नी का पल्लू सही करते हुए रील बना रहा है। लचकलाल एक बार रील कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उससे बाहर निकलने में घंटों लग जाते हैं। रील देखो और दुनिया जीतो की अंधी दौड़ में सब मदहोश हैं।

लचकलाल को इस इंस्टाग्राम एकेडमी में मनोरंजन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन वे इस मनोरंजन को अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं और न ही दिखा सकते हैं। बस कभी कभी रील गुपचुप तरीके से गुप्त मित्रों को शेयर जरूर कर देते हैं। जब से लचकलाल ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री भी इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो गए हैं तो उसे थोड़ी प्रसन्नता हुई है। उसे लगने लगा कि वह गलत दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस एकेडमी में रीलबाज युवा की भाषा इतनी निम्नस्तरीय क्यों है?

कुछ इसी तरह की उधेड़बुन में था लचकलाल और वह भी प्रयास कर रहा है कि कोई धमाकेदार रील बनाए जिससे वह अपने क्षेत्र में चर्चित हो जाए। उसके दोस्तों, यारों में उसकी रील की चर्चा हो। वह इंस्टाग्राम एकेडमी की भाषा सीखने में दिन रात एक कर रहा है। यहां तक कि इसके लिए वह छुपकर जेन-जी के साथ आनलाइन जुड़कर उनके तौर-तरीकों को भी सीख रहा है, ताकि इंस्टाग्राम पर उसके फालोअर्स बढ़ जाएं। साथ ही वह इंस्टाग्राम एकेडमी में फैमस भी हो जाए। उसमें कुछ दिनों से सेलिब्रिटी वाली भावनाएं उछाल मार रही हैं। लचकलाल को अपने गली मोहल्ले में सब रील बनाने वाला इंटरनेट मीडिया क्रांतिकारी कहें। वह विज्ञापन की दुनिया में चर्चित होने लगे। ऐसी रील से लचकलाल अपने मन की बात भी कह सके। धीरे धीरे लचकलाल को लगने लगा है कि वह इंस्टाग्राम एकेडमी का तेजस्वी व क्रांतिकारी जेन-जी बन सकता है। उसमें भी बड़े शहरों के जंतर मंतर पर जाकर क्रांति करने का जोश भरा पड़ा है। वह भी रात को 12 बजे तक जागकर रील क्रांति ला सकता है।

(लेखक व्यंग्यकार हैं)

पोस्ट

एक समय वह भी था जब भारतीय राजनीति में दलबदल के चलन को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था और इसे नैतिक असफलता मानते हुए उसके सुधार की आवश्यकता भी महसूस की जाती थी। अब यह एकदम सामान्य हो गया है। इस पर आक्रोश तो बहुत दूर की बात अब इस पर कोई असंतोष या आपत्ति तक नहीं जताता।

सदानंद धुमे@dhume

पंजाब में नए गठबंधन की तैयारी पूरी हो गई है। अकाली दल ने परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देने का एलान किया। 17 अप्रैल 2026 को जब यह बिल आया था, तब अकाली दल ने विरोध किया था। अब बाजी पलटी है। करीब-करीब यह मान लीजिए कि अकाली दल की फिर से राजग में वापसी होने वाली है।

पीयूष पद्माकर@PiyushPadmakar

हजारों करोड़ की लागत वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद बार-बार मरम्मत की नौबत आना और सड़क को सुखाने के लिए पंखे लगाए जाना गंभीर चिंता का विषय है। अगर यह दावा किया गया था कि सड़कें अमेरिका जैसी होंगी तो जनता यह पूछने का अधिकार रखती है कि फिर इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ रही है?

प्रमोद मीणा@pramodDagal

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए?

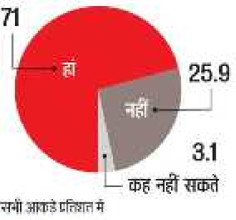

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या पंजाब में भाजपा और अकाली दल के मिलकर चुनाव लड़ने से उनकी सत्ता में वापसी संभव है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

मेटा-रोटा बन गए बड़े सुपारीबाज,
बदनामी सबकी करें रहा न लाज-लिहाज।
रहा न लाज-लिहाज करें मनमानी काफी,
जब इंटर पड़ जाय मांग लें इट से माफी।
कर लो जरा सुधार समय है अब भी बेटा,
वरना भारतवर्ष सहेगा ना अब मेटा!

-ओम प्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

अंधेरे कमरों का सच

मनीष त्रिपाठी

संस्मरणात्मक निबंधों की यह कृति 20वीं शताब्दी के आठवें दशक के गुजरात और विशेषकर अहमदाबाद के सामाजिक-आर्थिक भूगोल का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है...

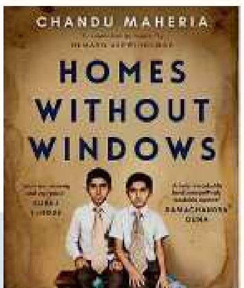

पुस्तक : होम्स विदाउट विंडोज
लेखक : चंदू महेरिया
अनुवाद : हेमांग अश्विनकुमार
प्रकाशक : जगरनाट बुक्स, नई दिल्ली
मूल्य : 699 रुपये

प्रमुखतः पश्चिम-मध्य भारत से आने वाली दलित आत्मकथाएं और संस्मरण मूलतः एक ऐसी सामाजिक बनावट का प्रति इतिहास रहे हैं, जिसे मुख्यधारा का विमर्श अक्सर हाशिए पर धकेल देता है। चंदू महेरिया की अनूदित पुस्तक 'होम्स विदाउट विंडोज' इसी श्रेणी का एक महत्वपूर्ण और वैचारिक रूप से परिपक्व दस्तावेज है। मूल रूप से गुजराती में लिखे गए इन संस्मरणात्मक निबंधों का हेमांग अश्विनकुमार द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह कृति अपने स्थानीय यथार्थ को खोए बिना अखिल भारतीय स्तर पर संवाद कर सके।

यह पुस्तक केवल एक व्यक्ति के निजी संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि 20वीं शताब्दी के आठवें दशक के गुजरात और विशेषकर अहमदाबाद के सामाजिक-आर्थिक भूगोल का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इस पुस्तक का शीर्षक उस भौतिक और ढांचागत वंचना का प्रतीक है, जिसमें लेखक का बचपन बीता। पूर्वी अहमदाबाद के मिल-मजदूर बहुल इलाके राजपुर की तंग चालों के वे बंद कमरे, जहां नौ लोगों का परिवार एक साथ रहने को मजबूर था, कोई खिड़की न होने के भौतिक दृश्य को भेदभाव के शिकार सामाजिक वर्गों के बुनियादी अधिकारों के उन प्रश्नों में बदल देते हैं, जो हमेशा ही समाज की सहूलियत के लिए कालीन के नीचे सरकाए जाते रहे हैं।

महेरिया बहुत संजीदगी से तथ्य स्थापित करते हैं कि जातिगत भेदभाव व्यवहार या मानसिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे शहरी बुनियादी ढांचे और नगर नियोजन में भी गहराई से धंसा हुआ है। यहां सार्वजनिक शौचालयों के बाहर लगने वाली अपमानजनक कतारें, पानी के लिए होने वाले दैनिक संघर्ष, मानसून के दिनों में चालों में गंदे पानी का भर जाना और बिना जूतों के स्कूल जाने की मजबूरी जैसे प्रसंग पाठक के भीतर किसी सतही सहानुभूति को पैदा नहीं करते, बल्कि उस प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे के प्रति आक्रोश और बुनियादी सवाल खड़े करते हैं।

इस आख्यान के दो प्रमुख चरित्र (लेखक के माता और पिता) इस व्यवस्था के विरुद्ध दो अलग-अलग प्रकार के मानवीय और वैचारिक प्रतिरोध को दर्शाते हैं। यहां महेरिया की मां चरम आर्थिक और सामाजिक अभावों के बीच भी मानवीय गरिमा और सामुदायिक जुड़ाव की एक अटूट धुरी हैं। वे न केवल अपने परिवार को संभालती हैं, बल्कि पूरी चाल के संकटों में सुरक्षा कवच की तरह खड़ी होती हैं। इसके विपरीत पिता का चरित्र गहरा वैचारिक अंतर्विरोध लिए हुए है। इसी प्रकार बचपन में पहली बार चप्पल मिलने पर उसे रात को सोते समय भी न उतारने का प्रसंग केवल एक बच्चे की अबोध खुशी नहीं, बल्कि नंगे पैरों की उस नियति से मुक्ति का पहला एहसास है, जो व्यवस्था ने उसके हिस्से लिखी थी।

यह पुस्तक वैचारिक स्तर पर अपनी तटस्थता और बौद्धिक स्पष्टता से भी विशिष्ट बन जाती है। इसकी पृष्ठभूमि वह कालखंड है जो गुजरात के इतिहास में आरक्षण-विरोधी दंगों, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कपड़ा मिलों के बंद होने से उपजे गहरे संकट का दौर था। जहां उनका तत्कालीन परिवेश और परिवार गांधी की नीतियों का आलोचक था, वहीं महेरिया ने गांधी के नैतिक साहस और उनके कुछ बुनियादी सामाजिक सिद्धांतों के प्रति तार्किक सम्मान बनाए रखा। इसके साथ ही वे बाबासाहेब आंबेडकर के समतावादी दर्शन को अपनी बौद्धिक और राजनीतिक चेतना की रीढ़ मानते हैं। गांधी और आंबेडकर के विचारों का यह सह-अस्तित्व इस संस्मरण को आत्मा को खुरचने वाले एक गंभीर विमर्श में बदल देता है।

गौरवशाली इतिहास से परिचय

मुकेश चौरसिया

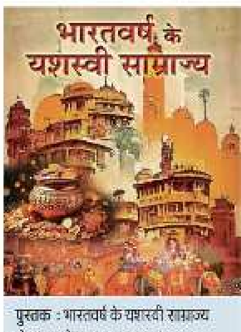

पुस्तक : भारतवर्ष के यशस्वी साम्राज्य
लेखक : मेजर (डा.) परशुराम गुप्त
प्रकाशक : ग्रंथ अकादमी
मूल्य : 350 रुपये

भारत का इतना समृद्ध, गौरवशाली और विविधता भरा इतिहास है कि एक समय इसे सोने की चिड़िया तक कहा जाता था। यह इतिहास कई सहस्राब्दियों तक फैला है। इस काल में कई साम्राज्यों, राज्यों और राजवंशों का उदय और पतन हुआ। हर युग ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो हमारे देश की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को आकार देती रही है। "भारतवर्ष के यशस्वी साम्राज्य" पुस्तक हमारे देश के इसी गौरवशाली इतिहास पर समग्रता के साथ रोशनी डालती प्रतीत होती है।

भारतवर्ष में कई ऐसे गौरवशाली साम्राज्य रहे, जिन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र पर लंबे समय तक बड़ी गरिमा के साथ शासन किया था। इन साम्राज्यों और राजवंशों ने हमारे देश के इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। देश पर शासन करने वाले कई साम्राज्यों और राजवंशों के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त राजवंश, चौहान वंश, सिसौदिया राजवंश, विजय नगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के साथ ही दक्षिण भारत के सातवाहन राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश और पल्लव राजवंश के उत्थान और पतन के कारणों को बताया गया है। पुस्तक में इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है।

पुस्तक में नंद वंश के पहले शासक महापद्मनंद से लेकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त साम्राज्य के पहले शासक चंद्र गुप्त प्रथम और उनके पुत्र समुद्र गुप्त समेत तमाम प्रतापी राजाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इतिहासकारों द्वारा गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। विभिन्न अध्यायों में देश के व्यापक इतिहास को समेटती यह पुस्तक प्राचीन भारत के यशस्वी साम्राज्य के बारे में पढ़ने वालों के लिए उपयोगी हो सकती है।

सभ्यता, शक्ति, हिंसा का दार्शनिक अनावरण

यतीन्द्र मिश्र

आधुनिक सभ्यता की बड़ी विडंबना है कि उसने मनुष्य को अभूतपूर्व भौतिक समृद्धि और वैज्ञानिक उपलब्धियां दीं, पर साथ ही हिंसा के ऐसे सूक्ष्म और व्यापक रूप भी रचे, जिन्हें पहचानना दिन-ब-दिन कठिन होता गया। भय, वर्चस्व, विचारहीनता और संस्थागत क्रूरता के इस परिदृश्य को समझने के लिए केवल राजनीतिक इतिहास पर्याप्त नहीं, मनुष्य की दशा, शक्ति की प्रकृति, राजनीति की गरिमा और आधुनिकता पर भी विचार आवश्यक है। 'हन्ना आरेंट : हिंसा का स्थापत्य' इसी व्यापक प्रश्नभूमि पर खड़ी गंभीर कृति है, जो 20वीं शताब्दी की अग्रणी राजनीतिक विचारक हन्ना आरेंट के चिंतन के माध्यम से राजनीति और शक्ति के वास्तविक अर्थ को उद्घाटित करते हुए आधुनिक सभ्यता में हिंसा के गहरे स्थापत्य को समझने का प्रयास करती है। यहां लेखक ग्रीक, ब्राह्मिक और अब्राह्मिक परंपराओं के आलोक में राजनीति, शक्ति और हिंसा का तुलनात्मक विवेचन करते हुए उन परतों को सामने रखते हैं, जो मनुष्य को सहयोग से हटाकर हिंसा की ओर धकेलती हैं। शुरुआत मानव-दशा की दार्शनिक पड़ताल से होती है।

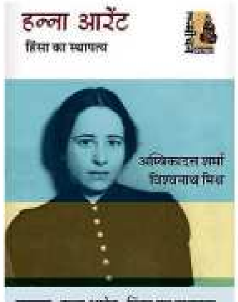

पुस्तक : हन्ना आरेंट : हिंसा का स्थापत्य
लेखक : अंबिकादत्त शर्मा/विश्वनाथ मिश्र
प्रकाशक : वाणी प्रकाशन
मूल्य : 425 रुपये

आधुनिकता की औद्योगिक और जनसमाजी संरचनाओं ने शक्ति के प्रामाणिक अर्थ को विकृत कर हिंसा को उसका पर्याय बना दिया है। ऐसे में यह पुस्तक हिंसा द्वारा विस्थापित शक्ति को उसकी प्रामाणिक नैतिक और राजनीतिक भूमिका में पुनः प्रतिष्ठित करने की वैचारिक पहल बनती है। हिंसा की साधारणीकृत संरचना के विश्लेषण के अलावा-सर्वाधिकारवाद पर आरेंट के अनुसार-सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं उस सार्वजनिक क्षेत्र को ही नष्ट कर देती हैं जहां स्वतंत्र विचार और प्रतिरोध संभव हो सके। लेखक समाज-विज्ञान की स्थापित पद्धतियों को अंतिम मानक मानने से इन्कार करते हुए भारतीय ज्ञान-परंपरा को समकालीन सभ्यतागत संकट के पुनर्विचार का सक्रिय स्रोत मानते हैं। गांधी, मार्क्स, वेबर, फूको, हैबरमास, फुले, तिलक और आंबेडकर जैसे विविध विचारकों को वे नए अर्थ-संदर्भों में संवादरत करते हैं। इस ग्रंथ के साथ उन्मोचन ग्रंथमाला की ही 'अनागत गांधी' का पाठ आधुनिकता, हिंसा और नैतिक राजनीति के प्रश्नों को अधिक स्पष्ट करता है। गांधी और आरेंट दोनों हिंसा से परे शक्ति की खोज के प्रश्न से जूझते दिखाई देते हैं। यहां दार्शनिक विषय होने पर भी लेखन बोझिल नहीं होता।

सुरों के तपस्वी का जीवन

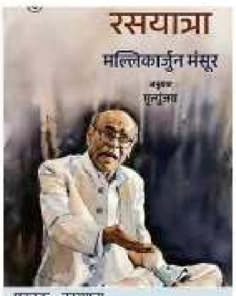

पुस्तक : रसयात्रा
लेखक : मल्लिकार्जुन मंसूर
अनुवाद : मृत्युंजय
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
मूल्य : 250 रुपये

भारतीय शास्त्रीय संगीत की गौरवशाली परंपरा में 20वीं शताब्दी के महानतम गायकों में अग्रगण्य पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर (1910-1992) हिंदुस्तानी खयाल गायन के विलक्षण साधक और जयपुर-अतरौली घराने के सर्वोच्च प्रतिनिधि माने जाते हैं। कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ अंचल के छोटे-से गांव मंसूर की सांगीतिक मिट्टी से उठकर उन्होंने ग्वालियर और जयपुर-अतरौली, दोनों घरानों की श्रेष्ठ परंपराओं को आत्मसात किया और अपनी एक विशिष्ट संगीत-भाषा रची। वे 10 वर्ष की अल्पायु से लेकर 82 वर्ष की आयु तक, जीवन के अंतिम दिनों तक निरंतर गाते रहे; मानो उनका समूचा अस्तित्व ही सुर-साधना में ढल गया हो। अपनी इस दीर्घ संगीत-यात्रा को उन्होंने प्रशंसकों के आग्रह पर शब्दों में बांधा और 1980 में कन्नड़ भाषा में अपनी आत्मकथा दर्ज की। बाद में उनके पुत्र पंडित राजशेखर मंसूर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 'माई जर्नी इन म्यूजिक' किया। इस महत्वपूर्ण कृति को मृत्युंजय के हिंदी रूपांतरण 'रसयात्रा' ने मंसूरजी के संगीत, अनुभव व साधना को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाया है।

नाटक मंडलियों के अभिनय, रियाज और गायन से शुरू हुई उनकी यात्रा आगे चलकर शास्त्रीय संगीत की गहन साधना में बदलती है। 'रसयात्रा' में मंसूरजी अपनी सांगीतिक यात्रा को सुरों के परिष्कार और आत्मानुभूति की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह संगीत के भीतर जन्म लेने, साधना से निखरने और समाज तक पहुंचने की अंतरंग यात्रा को सामने लाती है। निजी जीवन के प्रसंग उनकी संगीत-यात्रा को समझने के लिए आवश्यक हैं। गुरुओं की स्मृतियां, महफिलों की अनुगूंज, समकालीन कलाकारों पर आत्मीय टिप्पणियां और राग-साधना के सूक्ष्म अनुभव इस कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। आत्मकथा में परिवार के अलावा एचएमवी का उनके लिए दूसरे घर जैसा बन जाना, आकाशवाणी से उनका संबंध, सम्मान-उपाधियां और संगीत को लेकर उनके विचार भी दर्ज हैं। दो घरानों की परंपराओं पर समान अधिकार प्राप्त कर मंसूरजी ने जिस स्वतंत्र संगीत-भाषा का निर्माण किया, वही उनकी विशिष्ट पहचान बनी। वे अप्रचलित रागों के अद्भुत साधक थे। द्वितीय खंड में राजशेखर मंसूर ने अपने पिता के जीवन के अंतिम 11 वर्षों (1981-1992) को स्मरण करते हुए लिखा है। यह अध्याय एक महान साधक की अंतिम सुर-यात्रा का मर्मस्पर्शी साक्ष्य है, जिसमें मल्लिकार्जुन मंसूर ने जीवन की अंतिम सांस तक संगीत को ही अपनी साधना, आराधना और परम सत्य बनाए रखा।

धूत ट्रांसमिशन के आइपीओ में कल से आवेदन

नई दिल्ली: आटो उपकरण निर्माता धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए 10-12 अगस्त तक खुलेगा। 3,067 करोड़ रुपये के इस आइपीओ का शेयर मूल्य 829–871 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आइपीओ में 1,400 करोड़ रुपये के नए शेयर और 1.91 करोड़ प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 918.3 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। (प्रेट्र)

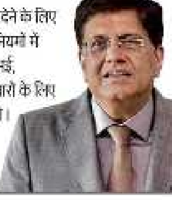

ई-कामर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश नियमों में किए गए बदलावों से एमएसएमई, कारीगरों, किसानों और मछुआरों के लिए बाजार के नए अवसर पैदा होंगे।
- पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री

रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर सख्ती में दी गई ढील

आरबीआइ ने रिकवरी एजेंटों व बैंकों पर लगाम लगाने संबंधी मसौदा नियमों में किए बदलाव, एक जनवरी 2027 से होंगे लागू

- वेबसाइट पर व्यक्तिगत एजेंटों के नाम, पता दिखाने की बाध्यता खत्म की गई
- रिकवरी एजेंटी की पृष्ठभूमि जांच को भी पहले से ज्यादा आसान बनाया गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ ऋण वसूली करने वाले रिकवरी एजेंटों के ग्राहक उत्पीड़न पर फिर से नरम होता दिख रहा है। इसका संकेत केंद्रीय बैंक की ओर से दो दिन पहले जारी 'फीडबैक स्टेटमेंट' से मिलता है। आरबीआइ ने ऋण वसूली और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति को लेकर जारी ड्राफ्ट निर्देशों पर मिले फीडबैक के बाद कई प्रविधानों में बदलाव कर रिकवरी एजेंटों व बैंकों को बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं। कुछ महीने पहले जब इन प्रविधानों का प्रस्ताव लागू किया गया था, तब ऐसा लगता था कि देर से ही सही केंद्रीय बैंक अब सख्ती करेगा। लेकिन नए बदलावों से रिकवरी एजेंटों के मनमाने रवैये पर सख्ती से लगाम लगाने के मूल प्रस्तावों में नरमी साफ दिखती है।

फीडबैक स्टेटमेंट के अनुसार, व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण प्रदर्शित करने की जरूरत हटाई गई है। यानी अब बैंकों को अपनी वेबसाइट या एप पर सिर्फ रिकवरी एजेंसियों का नाम, पता, अवधि और क्षेत्र बताना होगा। व्यक्तिगत एजेंटों के नाम-पते आदि दिखाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हाई टर्नओवर का हवाला देकर यह शर्त हटाई गई, जिससे एजेंसियों पर निगरानी का दबाव कम हुआ। प्रस्तावित प्रविधान में साफ तौर पर एजेंटों के नाम लिखने की बात कही गई थी। साफ है कि ग्राहकों को कौन एजेंट फोन कर रहा है या उनके घर पर कौन पूछताछ करने गया, इसका पता लगाना अब मुश्किल होगा।

पृष्ठभूमि जांच को भी अब पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। रिकवरी एजेंटों की पूर्व जांच अब सिर्फ एजेंसी ही नहीं, बल्कि बैंक भी कर सकता है। इससे एजेंसियों पर एकतरफा जिम्मेदारी कम हुई और प्रक्रिया आसान बना दी गई। इसी तरह से डिजिटल पहचान और अनुमति पत्र की मंजूरी संबंधी नियम भी आसान बनाए जा रहे हैं। एजेंट अब फिजिकल आइडी कार्ड और सत्यापन पत्र के बजाय डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेज भी ले जा सकते हैं। फील्ड में काम करने वाले एजेंटों के लिए यह बड़ी सुविधा है। लेकिन दूर दराज जगह में रहने वाला आम ग्राहक किसी एजेंट के डिजिटल पहचान पत्र को कैसे सत्यापित कर सकेगा?

इसी तरह से प्रभावी तिथि और प्रमाणन के लिए अतिरिक्त समय देने को भी आरबीआइ तैयार हो गया है। निर्देशों को लागू होने की तारीख एक अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर एक जनवरी 2027 कर दी गई। साथ ही कुछ मामलों में मौजूदा एजेंटों को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आइआइबीएफ) प्रमाणन के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया, ताकि वे अचानक काम से बाहर न हों। एक अन्य प्रमुख राहत कानूनी फर्मों को दायरे से बाहर रखा गया है। आरबीआइ ने अब कहा है कि कानूनी फर्में, जो सिर्फ नोटिस ड्राफ्ट करती हैं या कोर्ट में केस लड़ती हैं, रिकवरी एजेंसी की परिभाषा में नहीं आएंगी। इससे संबंधित एजेंसियों और फर्मों को अतिरिक्त नियमों से राहत मिली। जबकि ग्राहकों को धमकी देने और उनका मानसिक उत्पीड़न करने में इस तरह की फर्मों की भूमिका काफी चर्चित रही है। ये सारे बदलाव रिकवरी एजेंटों और बैंकों के परिचालन बोझ को हल्का करते हैं तथा उनके कामकाज पर सख्त नियंत्रण के प्रस्तावों में नरमी दर्शाते हैं।

बैंक ग्राहकों के उत्पीड़न मामलों में सुप्रीम कोर्ट कई बार दे चुका है आदेश

रिकवरी एजेंटों की तरफ से आम बैंक ग्राहकों के उत्पीड़न के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ही (आइसीआइसीआइ बनाम प्रकाश कौर) मामले को 'मसलमैन' संस्कृति बताकर कड़ी निंदा की थी। 2008 में भी एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंटों के व्यवहार के लिए बैंकों को दोषी ठहराने की बात कही थी। देश के कई हाईकोर्ट में इससे जुड़े सैकड़ों मामले आए हैं। इसके बीच आम ग्राहकों की तरफ से लगातार शिकायतें आती रही हैं। आरबीआइ ने बीच-बीच में सर्कुलर और फेयर प्रेक्टिसेज कोड जारी किए, लेकिन व्यापक, बाध्यकारी और विस्तृत निर्देश अब लाया जा रहा है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

बीमा रजिस्टर बनेगा, लेकिन क्या इससे सुरक्षा मिलेगी

धीरेंद्र कुमार, संपादक, हिंदी डाट वैल्युरिसर्चआनलाइन डाट काम

बोनस

पिछले सप्ताह दिल्ली में इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन के रजत जयंती समारोह में बीमा नियामक इरडा के चेयरमैन अजय सेठ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे असहमत होना मुश्किल है कि हर पालिसी को सिर्फ बैंक या ब्रोकिंग फर्म तक नहीं, उस व्यक्ति तक ट्रेस किया जा सके जिसने उसे बेचा हो। एक पब्लिक रजिस्टर में यह दर्ज होगा, ताकि जब किसी को टर्म कवर की जगह महंगा एंडोमेंट प्लान बेचा जाए तो बेचने वाले की पहचान हो सके और उसका रिकार्ड एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक उसके साथ जाए। यह असली जवाबदेही की शुरुआत जैसा लगता है और एक सीमित मायने में है भी।

इरडा चेयरमैन ने बिक्री के फायदे को कारोबार की मात्रा की बजाय सलाह की गुणवत्ता से जोड़ने की बात कही। अनुपयुक्त बिक्री को ऐसी चीज बनाने की बात कही जिसके लिए बीमा कंपनी को इनाम नहीं बल्कि सजा मिले और इन उत्पादों को बेचने के तरीके में एक बड़े सुधार की बात कही। यह ऐसा नियामक नहीं है जो इंसेंटिव की अहमियत भूल गया हो। उन्होंने समस्या के दोनों उपाय बताए हैं। दिक्कत यह है कि इन दोनों उपायों के लागू होने की संभावना बराबर नहीं है।

इससे मुझे चार्ली मंगर की सबसे काम की बात याद आती है कि अगर आप उसे इंसेंटिव दिखाएं, तो वह आपको नतीजा दिखा देगा। दोनों उपायों में से एक, आखिर में, सिर्फ एक डाटाबेस है जो यह दर्ज करता है कि किसने क्या किया और यह वितरण कारोबार का कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि इससे कमाई के किसी मौजूदा जरिये को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, उद्योग से उन्हीं कमीशन में कटौती मांगता है जो बैंक काउंटर, ब्रोकर नेटवर्क और उस पूरे तंत्र को चलाते हैं जिसके जरिये ज्यादातर पालिसी बेची जाती हैं। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन दोनों में से कौन-सा लागू होगा और कौन-सा एक डिस्कशन पेपर बनकर रह जाएगा। फिर एक कंसल्टेशन और आखिर में इतना साधारण सर्कुलर कि सेल्स की मशीन वैसे ही चलती रहे।

बीमा बेचने वालों का रजिस्टर बनाकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस एजेंट ने कौन-सी पालिसी बेची, लेकिन यह पता नहीं चलता कि उसे वह पालिसी बेचने के लिए किस तरह का इंसेंटिव दिया गया था। एजेंट उस व्यवस्था को बनाने वाला नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाला है। इसलिए सिर्फ उसका रिकार्ड रखना समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचता। बेचने वाले का इतिहास उसके साथ रखना सुनने में सख्त कदम लगता है, लेकिन अगर अगला एजेंट भी उसी व्यवस्था में काम करेगा, तो वह भी वही करेगा। जब जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ हर पांच में से एक से ज्यादा शिकायत पालिसी बेचने के तरीके को लेकर हो, तो वह कुछ खराब एजेंटों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ओर इशारा करता है।

इसका मतलब यह नहीं कि रजिस्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। असली सुधार तब होगा, जब गलत तरीके से पालिसी बेचने को कंपनी के लिए फायदे का नहीं, नुकसान का सौदा बनाया जाए। पहले गलत इंसेंटिव को बदला जाए और फिर रजिस्टर से उसकी निगरानी की जाए। तब तक बीमा खरीदार की अपनी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। खरीदने से पहले बस यह सवाल पूछिए- अगर मैं हां कहता हूं, तो बेचने वाले को क्या मिलेगा?

एक नजर में

मैसूर दीप ने लांच की ब्लंट ब्लैक परफ्यूम रेंज

नई दिल्ली: देश की अग्रणी अगरबत्ती निर्माता कंपनी मैसूर दीप परफ्यूमरी हाउस ने 'ब्लंट ब्लैक' नाम से प्रीमियम परफ्यूम रेंज लांच की है। कंपनी के निदेशक अंकित अग्रवाल ने कहा कि ब्लंट ब्लैक पोर्टफोलियो में चार सिग्नेचर फ्रेगरेंस शामिल किए हैं। इसमें डार्क अलिक्सर, नियो आरा, वेलवेट नाइट और फ्रेंच एक्वा शामिल हैं। (वि.)

इंडसइंड बैंक को ब्रोकिंग कंपनी बनाने की मंजूरी

नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक को आरबीआइ से स्टाक ब्रोकिंग कारोबार के लिए एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि वह प्रस्तावित सहायक कंपनी में इक्विटी पूंजी भी लगा सकेगी। हालांकि, यह मंजूरी कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन है। (एएनआइ)

नए पोर्टल से पुराने पीएफ खातों को ढूंढ़ने में मिलेगी मदद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आधार-आधारित एक नया डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है। इससे कर्मचारियों को उनके पुराने या निष्क्रिय पड़े भविष्य निधि (पीएफ) खातों को ढूंढ़ने में मदद मिलेगी। यह पहल उन लाखों कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी, जिन्होंने 2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रणाली लागू होने से पहले अपने करियर की शुरुआत की थी और जिन्होंने अपने पूर्व पीएफ खातों को लिंक नहीं किया था। इस पोर्टल की लांचिंग से पुराने खातों की पहचान करने और पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर या क्लेम करने में आसानी होगी।

इसलिए पड़ी नए पोर्टल की जरूरत

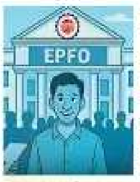

2014 में यूएएन प्रणाली के लागू होने से पहले प्रत्येक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को एक अलग कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्य आईडी जारी करता था। जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था तो नया नियोक्ता भी नया ईपीएफ खाता बनाता था। यूएएन लागू होने के बाद एक ही यूएएन के तहत कई सदस्य आइडी को लिंक किया जा सकता है। हालांकि, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 2014 से पहले नौकरी बदली और उन्होंने अपने पुराने खातों को कभी लिंक नहीं किया या उन्हें अपनी पूर्व सदस्य आइडी याद नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक 30.9 लाख से अधिक निष्क्रिय ईपीएफ खातों में 9,330 करोड़ रुपये बिना दावे वाले पड़े हैं।

आधार से होगा कर्मचारी का सत्यापन

ईपीएफओ का नया पोर्टल कर्मचारियों को आधार का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करने की अनुमति देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, कर्मचारी के विवरण से जुड़े पुराने ईपीएफ खातों की खोज की जाएगी। यदि कोई निष्क्रिय खाता पाया जाता है तो कर्मचारी अपने मौजूदा यूएएन में फंड बैलेंस ट्रांसफर करने या अपनी पात्रता के आधार पर पीएफ निपटान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पूर्व नियोक्ता की मदद भी ले सकते हैं कर्मचारी

जिन कर्मचारियों को अपनी पुरानी ईपीएफ सदस्य आइडी याद नहीं है, वे अपने पूर्व नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं। कंपनियां ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से सदस्य आइडी विवरण पुन: प्राप्त कर सकती हैं। यदि पूर्व नियोक्ता अस्तित्व में नहीं है तो कर्मचारी निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में सहायक दस्तावेजों के साथ जा सकते हैं। सत्यापन के बाद ईपीएफओ अधिकारी पुराने रिकार्ड को खोजने में मदद कर सकते हैं।

इन जानकारियों की हो सकती है जरूरत

पुराने पीएफ खाते की खोज के लिए कर्मचारियों को ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा, पुराने ईपीएफ खाते का विवरण भी मांगा जा सकता है। पुराने पीएफ खाते को मौजूदा खाते से जोड़ने के लिए वर्तमान यूएएन, पैन और बैंक खाते का विवरण भी मांगा जा सकता है। ये दस्तावेज कर्मचारी की पहचान सत्यापित करने में मदद करेंगे और पीएफ ट्रांसफर या निपटान अनुरोधों के निपटान में भी सहायक होंगे।

कब तक लांच होगा नया पोर्टल

श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से नए पोर्टल की लांचिंग की आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि अगस्त के अंत तक यह पोर्टल लांच हो सकता है। कर्मचारियों को पोर्टल के सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

जागरण इन्फो

राष्ट्रीय फलक

उपभोक्ता और छोटे कारोबारी यूपीआइ सेवाओं का लाभ मुफ्त में उठाते रहेंगे

- यूपीआइ भुगतान में शुल्क लगाने की आशंकाओं के मद्देनजर सरकार ने किया स्पष्ट
- सिर्फ कुछ कारोबारी लेनदेन पर लगाया जा सकता है नाममात्र का एमडीआर

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) से होने वाले भुगतान में शुल्क लगाए जाने की आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने शनिवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि उपभोक्ता और छोटे कारोबारी यूपीआइ सेवाओं का लाभ मुफ्त में उठाते रहेंगे। हालांकि एक निश्चित सीमा से ऊपर के कुछ मर्चेंट लेनदेन पर नाममात्र का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) तब लगाया जाएगा जब यह शुल्क लगाने की शुरुआत होगी।

सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे केवल वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआइ से दी गई आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। गौरतलब है कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के बाद यूपीआइ से लेनदेन पर शुल्क लगाने की आशंकाएं जताई जा रही थीं। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ये नियम सिर्फ कुछ खास मर्चेंट ट्रांजेक्शन या कारोबारी लेनदेन पर लागू होंगे। इन पर लगने वाली दर बहुत कम होगी—डेबिट या क्रेडिट कार्ड के एमडीआर से भी काफी कम। पर्सन-टू-पर्सन यूपीआइ लेनदेन मुफ्त बने रहेंगे।

वित्त मंत्रालय का यह बयान लोकसभा में 2007 के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कानून में संशोधन बिल पारित होने के दो दिन बाद आया है, जिसमें प्रविधान है कि सरकार बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआइ सहित अन्य डिजिटल भुगतान मोड से भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सकती है।

बाहरी प्रभावों की वजह से नीति में बदलाव किए जाने से इन्कार

बाहरी प्रभावों की वजह से नीति में बदलाव होने जैसे दुष्प्रचार के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये बातें बेबुनियाद, पूरी तरह गलत और गुमराह करने वाली हैं। यदि बाहरी दबाव से ऐसा किया जाता तो सरकार 2016 में यूपीआइ को पेश नहीं करती या जनवरी 2020 से इसे व्यापारियों और नागरिकों दोनों के लिए मुफ्त नहीं बनाती।

दस वर्ष बाद मैगी विवाद में नेस्ले को राहत, हाई कोर्ट ने आपराधिक केस किए खत्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: वर्ष 2015 में मैगी नूडल्स में तय सीमा से अधिक लेड पाए जाने के विवाद से जुड़े मामलों में नेस्ले इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के अधिकारियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाद में हुई वैज्ञानिक जांच में मैगी में लेड की मात्रा मानकों के भीतर पाई गई, ऐसे में मुकदमे को आगे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति मधु जैन ने वर्ष 2015 और 2016 में जारी समन आदेशों के साथ संबंधित आपराधिक शिकायतों और उनके आधार पर शुरू हुई सभी परिणामी कार्यवाहियों को भी निरस्त कर दिया। बता दें कि उस समय मैगी को लेकर काफी विवाद हुआ था।

सड़ी-गली सब्जियां, एक्सपायर्ड दूध...फाइव स्टार होटलों पर पड़ी रेड तो सामने आया सच

- बेंगलुरु के 26 थ्री-स्टार और फाइव स्टार होटलों पर खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने की कार्रवाई
- विशेष जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा के मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया, नोटिस थमाए गए

6 माह से लेकर उम्रकैद की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रविधान है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर

3 लाख रुपये तक के जुर्माना लग सकता है गलत या झूठे लेबल लगाकर सामान बेचने पर

बेंगलुरु, एएनआइ : बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने कई थ्री और फाइव स्टार होटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इनमें एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, सड़ी-गली सब्जियां, एक्सपायर्ड दूध, अस्वच्छ तरीके से भंडारण और रखरखाव, खाद्य पदार्थों पर गलत लेबलिंग और शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग न रखना शामिल हैं।

उल्लंघन पाए जाने के बाद संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार, 30 विशेष टीमों ने शहर के 26 होटलों का निरीक्षण किया और जांच के लिए 35 खाद्य नमूने एकत्र किए। अधिकारियों ने पाया कि कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के लेबलिंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। कई जगह गलत लेबलिंग और मिस ब्रांडिंग के मामले भी सामने आए।

खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों की बढ़ती शिकायतों के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया। इससे पहले भी सरकार ने 'आपरेशन ईट राइट' के तहत इसी तरह की कार्रवाई की थी।

दूध, पनीर, चिकन, मटन समेत 35 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए : अभियान के दौरान एकत्र किए गए 35 खाद्य सैंपलों में चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाद्य तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी, टोमैटो सास, नींबू का रस, चीज, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर, पनीर और दूध आदि शामिल हैं। कई स्थानों पर शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था भी नहीं मिली।

शाह ने तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तिरुवन्नामलाई के श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सौ. पीआइबी

चेन्नई, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तिरुवन्नामलाई के प्रसिद्ध मंदिर शहर का दौरा किया। उन्होंने श्रीअरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने तिरुवन्नामलाई में भगवान शिव के मंदिर में पूजा की। वह श्रीरमणाश्रमम भी गए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। शाह मुंबई से यहां पहुंचे थे। रविवार को वह पड़ोसी राज्य पुडुचेरी में एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वह पुडुचेरी पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर्स' (राष्ट्रपति का सम्मान चिह्न) प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम पुडुचेरी के गोरिमेडु स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही वह पुडुचेरी में 'हर घर तिरंगा यात्रा' का उद्घाटन भी करेंगे।

ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए बनेगा आयोग, बिल लाएगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए एक आयोग गठित करने वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति तथा उनकी दक्षता बढ़ाना, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता लाना और एकरूपता कायम करना है।

इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा। आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज या किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। लोकसभा सदस्यों को वितरित मसौदे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रविधानों को निरस्त कर दिया था।

साप्ताहिक राशिफल

रविवार, 9 अगस्त, 2026 से शनिवार 15 अगस्त, 2026 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ) वाणी पर संयम, कार्य क्षेत्र में विस्तार से बचें, अर्थसाधन में विस्तार, विदेश कार्य में अवरोध, लक्ष्य के प्रति सजगता, चिन्ता का समाधान, भवन साजसज्जा का योग, सन्तान के लिये कार्य योजना, मित्रों से सहयोग, जीवनसाथी का मिलन, धर्म में रुचि, रुके कार्य सम्पन्न, शुभ अंक 4

वृष (इ, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) धनागम में प्रयास, कार्य में श्रम से सफलता, विदेश कार्य में देरी, महिला से सहयोग, सामाजिक कार्य में यश, सन्तान से सहयोग, सिर दर्द, वायु विकार प्रभावी, ससुराल से सहयोग, भ्रमण, मनोरंजन योग, राज्य पक्ष से सावधान, आय में सुधार, शुभ अंक 5

मिथुन (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा) साझेदारी में सावधानी, व्यापार कार्य में सफलता, अर्थसाधन में विस्तार, युक्ति तथा अनुभव से कार्य करें, स्व सम्पत्ति की वृद्धि, साधनों की पूर्ति, शिक्षा, लेखन कार्य में सफलता, खानपान का ध्यान रखें, प्रणय में सुख, राजनीति में अपयश, व्यय अधिक, शुभ अंक 6

कर्क (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) शिक्षा में रुचि, कार्य क्षेत्र में विस्तार से बचें, अर्थसाधन में सुधार, धन के आवागमन में सावधानी, निजी सम्बंधों में सुधार, पारिवारिकजनों का सहयोग, स्वार्थीजनों से सावधान, त्वचा, रक्त विकार प्रभावी, दाम्पत्य में सुख, भ्रमण योग, वाहन से सावधानी, व्यय पर नियन्त्रण, शुभ अंक 7

सिंह (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे) साझेदारी में सावधानी, धनागम में प्रयास, महिला से सहयोग, लक्ष्य के प्रति सजगता, स्वार्थीजनों से बचें, युक्ति और अनुभव से कार्य करें, सामाजिक कार्य का योग, भूमि, भवन कार्य में देरी, लेखन में प्रगति, चयन में सफलता, मित्रों से सहयोग, प्रणय में सुख, आय में सुधार, शुभ अंक 8

कन्या (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो) अर्थसाधन में प्रयास, व्यापार कार्य में सलाह लें, नकारात्मक कार्य करने वालों से सावधान, विदेश कार्य में देरी, निजी संबंधों में सुधार, स्व सम्पत्ति की वृद्धि, शिक्षा में अवरोध, चयन में देरी, वायु, रक्त विकार योग, वाद में विजय, दाम्पत्य में सुख, व्यय अधिक, शुभ अंक 9

तुला (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते) कार्य क्षेत्र में सफलता, धनागम में सफलता, लक्ष्य के प्रति सजगता, अतिविश्वास से बचें, सामाजिक कार्य का योग, साधनों की पूर्ति, चयन में सफलता, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष प्रभावी, जीवनसाथी का मिलन, अधिकारी से सहयोग, आय में सुधार, शुभ अंक 1

वृश्चिक (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू) विचारों से मन अशांत, साहस से कार्य करें, निजी संबंधों में सुधार, लक्ष्य के प्रति सजगता, महिला से सहयोग, स्व सम्पत्ति की वृद्धि, विदेश कार्य में देरी, शिक्षा में अवरोध, चयन में देरी, क्रोध, ईर्ष्या से बचें, जीवनसाथी का मिलन, राजनैतिक अपयश, व्यय अधिक, शुभ अंक 2

धनु (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे) अर्थ साधन में प्रयास, व्यापार कार्य में प्रगति, साझेदारी में सावधानी, निजी संबंधों में सुधार, भूमि, भवन कार्य में देरी, शिक्षा में रुचि, चयन में अवरोध, खानपान का ध्यान रखें, प्रणय में सुख, राज्यपक्ष से सावधान, व्यय अधिक, शुभ अंक 4

मकर (भो, जा, ज, खी, खू, खे, खो, गा, गी) धनागम में अवरोध, कार्य क्षेत्र में प्रयास से सफलता, साझेदारी में सावधानी, निजी संबंधों में सुधार, अतिविश्वास से बचें, विशेष व्यक्ति से सहयोग, भवन साजसज्जा का योग, शिक्षा में रुचि, चयन में सफलता, त्वचा, रक्त विकार, दाम्पत्य में सुख, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

कुम्भ (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा) साधनों की पूर्ति, पूंजी निवेश में सावधानी, निजी मतभेद, सामाजिक कार्य का योग, धन के आवागमन में सावधानी, वाहन, भवन साजसज्जा योग, सन्तान से अनबन, मित्रों से सहयोग, दाम्पत्य में सुख, राज्यपक्ष से सावधान, व्यय अधिक, शुभ अंक 6

मीन (दी, दू, थ, झ, दे, दो, चा, ची) निर्णय सलाह से करें, नकारात्मक विचारों से बचें, कार्य क्षेत्र में सावधानी, सामाजिक कार्य का योग, निजी संबंधों में सुधार, विदेश कार्य में देरी, निर्माण सजावट योग, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष प्रभावी, जीवनसाथी का मिलन, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक शुभ अंक 7

अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ की ओर खिसकते हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है। हमें अपनी प्रतिभाओं के संरक्षण और संवर्द्धन पर ईमानदारी से काम करना होगा। इसी पर हमारी तरक्की, सामाजिक विकास और सीमाओं की सुरक्षा का भार टिका हुआ है।

आजकल लाल के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

नए संकल्प का वक्त

शशि शेखर

आजकल

सिंगापुर के शीर्ष पुरुष ली कुआन यू ने एक बार अपने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा था- 'यदि आपके पास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जो सर्वश्रेष्ठ लोगों को सरकार में आकर्षित नहीं करती, तो आपको घटिया दर्जे के लोग देश का संचालन करते हुए मिलेंगे और आपको परिणाम भी घटिया ही मिलेंगे।'

अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ की ओर खिसकते हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है। हमें अपनी प्रतिभाओं के संरक्षण और संवर्द्धन पर ईमानदारी से काम करना होगा। इसी पर हमारी तरक्की, सामाजिक विकास और सीमाओं की सुरक्षा का भार टिका हुआ है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के सौ से अधिक वैज्ञानिकों के पलायन ने इस स्थिति की भयावहता को एक बार फिर सामने ला खड़ा किया है। दुर्भाग्य से इसरो अकेला नहीं है। सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे संस्थानों से प्रतिभाओं का पलायन आम बात हो गई है। सिविल सेवाओं को छोड़ दें, तो प्राथमिक विद्यालयों से मेडिकल कॉलेजों तक प्रतिभाओं का टोटा पड़ गया है।

ऐसा क्यों हो रहा है?

सरकारी संस्थानों को छोड़ने वाले पेशेवरों ने अपने पद मुख्यतः दो वजहों से छोड़े। निजी क्षेत्र उनको दो से पांच गुना अधिक वेतन प्रदान करते हैं। इसके अलावा उनके वेतन और भत्ते व्यापार की वृद्धि के अनुपात में बढ़ते रहते हैं। निजी क्षेत्र में उन्हें लंबे समय तक काम करने की गारंटी भी हासिल होती है। सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट सहित तमाम नियम-कायदे औपनिवेशिक काल की याद दिलाते हैं। कोढ़ में खाज यह कि लालफीताशाही आए दिन साबित करती है कि 'गोरे साहबों' की जगह 'काले साहबों' ने ले ली है। इन दिनों भारत में तेजी से रक्षा, स्पेस और अन्य जरूरी तकनीक से जुड़े स्टार्टअप पनप रहे हैं। यह नया अवसर इस पलायन की सबसे बड़ी वजह है। सवाल उठता है कि इस 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में कैसे बदला जा सकता है?

इसके लिए हमें अमेरिका, चीन और यूरोप से कुछ सीख लेनी चाहिए।

अमेरिका में नासा और रक्षा विभाग अपने वैज्ञानिकों व तकनीकी कर्मियों को निजी कंपनियों के साथ मिलकर नाम-दाम कमाने की सहूलियत प्रदान करते हैं। वहां 'स्पेस एक्स' और 'ब्लू ओरिजिन' जैसी कंपनियां सरकारी संरक्षण के कारण तेजी से पनपी हैं। यूरोप में 'कॉरपोरेट और अकादमिक लिंकेज' को बढ़ावा देकर प्रतिभाओं के संरक्षण और संवर्द्धन का काम किया जा रहा है। वहां के वैज्ञानिक और प्रोफेसर एक ही समय में विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के साथ निजी शोध कंपनियों से जुड़ सकते हैं। उन्हें 'स्वतंत्र कंसल्टेंट' की तरह काम करने की छूट हासिल है। इससे उन्हें सरकारी संरक्षण के साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं।

चीन ने तो पिछले दो दशकों में 'रिवर्स ब्रेन ड्रेन' की तमाम मिसालें कायम कर दी हैं। वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं को अपनी धरती पर बुलाने के लिए वहां की सरकार ने 200 से अधिक कार्यक्रम चला रखे हैं। इन सुधारों को निर्णायक बढ़त 2008 में शुरू किए गए 'थाउजेंड टैलेंट्स प्लान' से हासिल हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम में सेवाएं दे रहे चीनी मूल के वैज्ञानिकों और विद्वानों को वापस लाना था। इसके तहत अब तक हजारों वैज्ञानिकों की घर वापसी हो चुकी है। इस योजना को सफल होता देख शी जिनपिंग ने क्विमिंग प्रोग्राम का लोकार्पण किया। इसके तहत वहां काम करने वाले युवाओं को सरकारी शोधकार्यों में शामिल होते ही 10 लाख युआन तक का 'साइनिंग बोनस' दिया जाता है। यदि वे उम्मीद के अनुरूप काम करते हैं, तो उन्हें 20 से 40 लाख युआन के बीच वेतन-भत्ते दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 50 से 80 लाख युआन तक स्टार्टअप इमदाद भी आसानी से मिल जाती है।

इसके अलावा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराता है।

हमारे इस पड़ोसी महादेश में कामगार वैज्ञानिक और शोधार्थी के परिवार को बसाने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। इसके तहत उनके बच्चों को श्रेष्ठ स्कूल में दाखिला मिलता है। बुजुर्ग माता-पिता को जीवन-यापन की समस्त सुविधाएं दी जाती हैं और जीवनसाथी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाती है। वहां वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि के अनुसार स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में बांटा जाता है। यही नहीं, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता या फॉर्च्यून 500 कंपनियों का शीर्ष अधिकारी अगर चीन में बसना चाहता है, तो उसे तुरंत तमाम 'वीआईपी' सुविधाएं और करोड़ों का फंड जारी कर दिया जाता है।

मतलब साफ है। चीन जानता है कि प्रतिभाओं को सिर्फ देशभक्ति की भावुक अपील से नहीं लुभाया जा सकता। उन्हें अपनी सरजमीं पर रखने, वापस बुलाने और पनपाने के लिए लुभावनी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। नतीजा सामने है। पिछले दो दशक के दौरान चीन आने वाली कल की टेक्नोलॉजी में पुरोधा बनकर उभर रहा है।

सवाल उठता है कि इस दिशा में भारत क्या कर रहा है?

हमारी सरकार ने भी 'लेटरल एंट्री' के बाद तमाम स्टार्टअप को हर तरह से बढ़ावा देना शुरू किया है। यही वजह है कि हमारा रक्षा निर्यात पिछले 10 वर्ष में 4.5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। हम आयातक से निर्यातक बन रहे हैं। मंगलयान और चंद्रयान मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों को तरह-तरह के पुरस्कार भी पहली बार दिए गए हैं। सरकार ने 'इन-स्पेस' संस्था बनाई है, ताकि वैज्ञानिक इसरो जैसी संस्थाओं में काम करने के साथ निजी क्षेत्र में भी योगदान कर सकें। इन योजनाओं और उभरते 'स्टार्टअप' ने उम्मीदें भी जगाई हैं। भारतीय स्टार्टअप स्काईरूट ने लगभग चार वर्ष के छोटे से काल में नई मिसालें कायम की हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को उसने विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के जरिये हमारी अंतरिक्ष आकांक्षा को नए पंख प्रदान किए। स्काईरूट के संस्थापक पवन चांदना और नागा भरत डाका पहले इसरो के लिए काम करते थे।

इसके बावजूद दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसका संदेश साफ है- सरकारी संस्थाओं, कॉरपोरेट और स्टार्टअप का संयुक्त ढांचा बिना समय गंवाए तैयार करना होगा। यह व्यवस्था भारतीयों को भारत में रहने और काबिल भारतवासियों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित कर सकेगी। यहां मशहूर उद्यमी जेम्स गोल्डस्मिथ का कथन याद आ रहा है। उन्होंने पैसा बुद्धि को बचाकर रखने पर जोर देते हुए कहा था 'अगर आप मूंगफली बांटेंगे, तो आपको बंदर ही मिलेंगे।'

पिछले 79 सालों ने साबित कर दिया है कि हम लोकतंत्र, संप्रभुता और सामाजिक एकता की रक्षा में सक्षम हैं। हमें आर्थिक महाशक्ति का ख्वाब पालने का हक है। इस सपने को यथार्थ में बदलने का अकेला तरीका यही है। हम इसे 80वें बरस का संकल्प क्यों नहीं बनाते?

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने रखी आजादी की नींव

वायसराय लिनलिथगो को यह इलहाम न था कि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डालने के बाद खुद जनता आंदोलन का नेतृत्व करने लगेगी। विंस्टन चर्चिल को भेजे तार में उन्होंने लिखा, यह 1857 की बगावत के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है।

रजनी चांदीवाल | इतिहासकार एवं सहायक प्रोफेसर

भारत छोड़ो आंदोलन

आज से ठीक 84 साल पहले 9 अगस्त, 1942 को देश की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ आया था, जिसकी स्मृतियां आज भी भारतीयों को प्रेरित करती हैं। 9 अगस्त को ही 'भारत छोड़ो आंदोलन' की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त, 1947 को मिली आजादी की नींव इस आंदोलन ने पुख्ता कर दी थी।

यह आंदोलन देश के इतिहास का एक ऐसा अनोखा आंदोलन था, जो बड़ा प्रभावी अग्रणी नेताओं के बिना चला, इसीलिए यह आज भी जन-आंदोलनों के लिए एक मिसाल है और सबक भी कि अगर जनता ठान ले, तो वह अत्याचारी शासन के सामने भी असंभव को संभव कर सकती है। यह आंदोलन आम जनता की शक्ति का प्रतीक भी है।

1940 का दशक भारत और विश्व, दोनों के लिए मुश्किल दौर था। जहां दूसरा विश्व-युद्ध अपने चरम पर था, वहीं ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन पाबंदियों के चलते आम भारतीय की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। बर्मा (म्यांमार) से आने वाले चावल की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। खराब फसल व युद्ध प्रबंधन के चलते कर (टैक्स) भी लोगों पर बढ़ा दिए गए थे।

इन हालात में जब ब्रिटिश हुकूमत ने बिना सलाह-मशविरा किए भारत को भी ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस ने यह मांग रखी कि युद्ध में सहायता के बदले में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस समय भारत में वायसराय थे, इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कई युद्धकालीन प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत को जबरन युद्ध में झोंकने के लिए जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 'करो या मरो' का नारा दिया, तब कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को लिनलिथगो ने बिना कोई देरी किए तत्काल गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि, उसके बाद जो हुआ, उसके लिए वायसराय बिल्कुल तैयार न थे, मगर तीर कमान से निकल चुका था।

भारत के अलग-अलग शहरों में स्वतः जन-आंदोलन उभरने लगे। 9 अगस्त को बंबई (मुंबई), गुजरात, संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश), मध्य प्रांत, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा (ओडिशा), बंगाल, मद्रास और पंजाब में जनजीवन लगभग ठप हो गया, व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी गईं। पूरे देश में सड़कों पर जुलूसों और विरोध-प्रदर्शनों की बाढ़-सी आ गई। बिना नेतृत्व के आंदोलन में आम भारतीयों की इतनी विशाल भागीदारी से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। जब लोगों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटने से मना कर दिया, तब शासन के दमन का चक्र शुरू हुआ। सिर्फ दिल्ली में 11-12 अगस्त को पुलिस ने 27 बार प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। इसमें 76 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक घायल हुए।

लिनलिथगो को शायद कांग्रेस के आंदोलन के भड़कने की आशंका थी, इसीलिए 8 अगस्त, 1942 को उन्होंने गवर्नरों को भेजे अपने पत्र में लिखा था- 'मेरा अचूक विश्वास है कि अगर वर्तमान हालात में कांग्रेस का कोई भी गुट या वर्ग (ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध) युद्ध घोषित करता है, तो उसका एकमात्र संभव उत्तर उसे (संगठन को) पूरी तरह से कुचल देना है।' हालांकि, जैसे-जैसे हुकूमत का जुल्म बढ़ा, लोगों का गुस्सा फूटता गया। यह आंदोलन आम लोगों में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने ऐलान किया कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए औरतें व आदमी स्वतंत्र हैं। इससे आम लोगों में व्यक्तिगत तौर पर देश के लिए एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई।

विद्यार्थी, मजदूर और किसान इस जन-लहर का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। कारखानों, कॉलेजों और स्कूलों में हड़तालें हुईं। पुलिस थानों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों में, जो उन दिनों औपनिवेशिक सत्ता के घृणित प्रतीक माने जाते थे, आग लगा दी गई या उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस आंदोलन की उग्रता व व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार स्तब्ध रह गई थी। विंस्टन चर्चिल को भेजे गए एक निजी तार में लिनलिथगो ने चिंता जताते हुए लिखा, 'यह 1857 की बगावत के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है।' उन्होंने आगाह किया कि 'अब तक यह आंदोलन सैन्य-सुरक्षा के कारणों से दुनिया से छिपाकर रखा था, पर आपको और इसके विस्तार की गंभीरता से लेने की जरूरत है।'

युद्ध-काल में मौजूद सेना का उपयोग किया गया। भीड़ को 'नियंत्रित' करने के लिए पुलिस व सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 1942 के अंत तक 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें सबसे अधिक संख्या बंबई प्रेसीडेंसी से थी (21,416)। इसके बाद संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) से 16,796 और बिहार से 16,202 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 'होम पॉलिटिकल फाइल्स' के अनुसार, पुलिस और सेना की गोलीबारी में 1,060 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस उभार को नियंत्रित करने के प्रयास में 63 पुलिसकर्मी मारे गए और 216 पुलिसकर्मी विद्रोहियों के पक्ष में चले गए थे।

भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में 9 अगस्त को बंबई में एक पर्चा बांटा गया था, जिसमें ऐलान था-

'यह हमारी आजादी की आखिरी लड़ाई है। आइए, ऐसा आंदोलन करें, जो सरकार की पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दे।... विद्यार्थी (हम) भारतीय आकांक्षाओं की रीढ़ हैं।

यह आंदोलन आम लोगों में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने ऐलान किया कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए औरतें और आदमी स्वतंत्र हैं। इससे आम भारतीय में व्यक्तिगत तौर पर देश के लिए एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई और लोग इससे जुड़ते चले गए।

हमें संघर्ष करना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए, जब तक भारत आजाद न हो जाए। दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को आजादी देने वाली नहीं है; हमें अपने साम्राज्यवादी शत्रु से अपनी आजादी छीननी होगी। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।

आजाद विद्यार्थी'

इस वर्ष की श्रावण का ही नतीजा है कि आज हम आजाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं। अगस्त क्रांति की सालगिरह हमें याद दिलाती है, हर भारतीय नेता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

वो लम्हा

मकबूल शेरवानी
शहीद सेनानी

अपने हिन्दुस्तान को बंटने न दूंगा

यह जुमला बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार मुल्क के बंटवारे की बात करने वाला और सिर्फ अपने मजहब की दुहाई देने वाला शख्स पूरे मुल्क का रहनुमा कैसे हो सकता है? इसे लोग कायद-ए-आजम क्यों कहते हैं? यह कैसे कायद है और कैसे आजम है?

तब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी भारत की आजादी की बयार बहने लगी थी। अपने रंगारंग खुशनुमा मुल्क के ख्वाब देखते उस नौजवान की रगों में वतन के लिए बेहिसाब मुहब्बत ठीक वैसे ही बहती थी, जैसे झेलम में पानी बहता है। बारामूला का यह नौजवान बहुत सजग था कि देश जब आजाद होगा, तब अमन-चैन की जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। फिरकापरस्ती से सबको दो-दो हाथ करने पड़ेंगे।

उन्हीं दिनों बारामूला में कायद-ए-आजम साहब तशरीफ लाए हुए थे। उस नौजवान को यह जुमला बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। वह लगातार बंटवारे की बात करने वाला, मजहब की दुहाई देने वाला शख्स पूरे मुल्क का रहनुमा कैसे हो सकता है? इसे लोग कायद-ए-आजम क्यों कहते हैं? यह कैसे कायद, मतलब नेता है और कैसे आजम, यानी महान है? तब साल 1944, जुलाई का महीना था। वहीं झेलम किनारे कायद-ए-आजम जलसा-ए-आम से मुखातिब थे। वहां बारामूला के वह नौजवान भी लोगों को तोड़ती-बांटती तकरीर को झेल रहे थे। बीच-बीच में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन मतलब कार्यकर्ता नारे लगाने लगते थे, कायद-ए-आजम जिंदाबाद। मुस्लिम इत्तिहाद जिंदाबाद। बहरहाल, नारों का शोर जब थमा, तब कायद-ए-आजम ने कहा, 'मैं बार-बार अपील करता हूं। आप सब मजहब के एक ही परचम तले आ जाइए। तमाम गमों का इलाज यही है कि हम मुस्लिम एक हो जाएं। मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ाएं।'

नौजवान से यह बर्दाश्त न हुआ। वह मंच के करीब पहुंच गए और नारा बुलंद किया, 'शेर-ए-कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तिहाद।' बांटने की कोशिश नाकाम होगी, नाकाम होगी। बंट जाएंगे, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे।'

वहां उस नौजवान के साथ एक-दो और साथी भी थे। हाथ-पैर चलने लगे। मामला जब ज्यादा बिगड़ा, तो वह चतुर नौजवान मौका देखते ही कूदते हुए वहां से भागे। उनके पीछे कायद-ए-आजम के मुरीद दौड़े, पर नौजवान में जितना दमखम था, उतनी ही फुर्ती थी। वह तत्काल पास ही बहती झेलम में कूदे और बहते पानी के साथ दुश्मनों की नजर से ओझल हो गए। पीछे से कायद-ए-आजम ने पूछा, 'वह नौजवान कौन था?' जवाब मिला, 'साहब, वह मकबूल शेरवानी है। नेशनल कांफ्रेंस का मामूली कारकुन है।' कायद-ए-आजम मन मसोसकर रह गए। उनका जलसा-ए-आम बिगड़ गया। बारामूला से श्रीनगर तक बच्चा-बच्चा मकबूल शेरवानी को जान गया। इससे कश्मीर और पूरे भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत बल मिला।

मकबूल शेरवानी ने बारामूला में जो किया, उससे कायद-ए-आजम का यह अहंकार टूट गया कि पूरा कश्मीर मुस्लिम लीग के साथ है। वह समझ गए कि कश्मीर में उनकी दाल आसानी से नहीं गलेगी। असर यह हुआ कि वह बारामूला से बेइज्जत होने के बाद फिर कभी कश्मीर नहीं गए। कहा जाता है कि मकबूल कायद-ए-आजम को जूतों की माला पहनाना चाहते थे।

खैर, देश आजाद हुआ और बंट गया, पर मकबूल की एक ही तमन्ना रही कि कश्मीर भारत के साथ रहे। वह सनातन और सिखों के बिना कश्मीर की कल्पना नहीं कर पाते थे। जब पाकिस्तानी सेना ने लुटेरे-बलात्कारी कबाइलियों की मदद से कश्मीर हड़पने की साजिश रची, तब मकबूल का यह कहना ही सच साबित हुआ कि ये पाकिस्तान मांगने वाले लोग अच्छे व सच्चे नहीं हैं। जब उन्हें लगा कि देश को बचाने के लिए ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, तब उन्होंने मात्र तीन दिन में मोटरसाइकिल चलानी सीख ली। वह जुल्म करने वाले पाकिस्तानी हमलावरों को लगातार इधर-उधर घुमाते रहे। वह चाहते थे कि कश्मीर का जल्द से जल्द भारत में विलय हो और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचकर हवाई अड्डे व अन्य जगहों पर तिरंगा फहरा दे।

उन्होंने किसी तरह पाकिस्तानियों को घाटियों और जंगलों में भटकाए रखा, पर बदकिस्मती से एक दिन उनका राज खुल गया। बेरहम फिरकापरस्तों ने उनको एक दीवार पर कीलों के सहारे ठोक दिया। खुद मकबूल के खून से उनकी कमीज पर काफिर लिख दिया। तरह-तरह से तड़पाया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर मकबूल ने आखिरी सांस तक अपने हिन्दुस्तान को जिंदाबाद रखा। बताते हैं, हारे हुए हैवानों ने उनकी देह में 14 गोलियां उतार दीं।

उनकी शहादत नाकाम नहीं गई। तिरंगा जब श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचा, तब मकबूल की शहादत को पूरी भारतीय सेना ने नम आंखों से सैल्यूट किया। आज भी भारतीय सेना मकबूल शेरवानी को अपना लाडू मानती है और जब भी उनके स्मारक के पास से कोई जवान गुजरता है, तो सलामी देना नहीं भूलता।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

चाय के साथ कविता की चुस्की

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी | हिंदी साहित्यकार

कविता गोड़ रही है। लोग जुड़ रहे हैं। कमाल हो रहा है। केरलम के एक गांव में चाय की दुकान पर लोग रोज शाम काव्य पाठ करते हैं। शुरू में दस-बीस पुरुष, स्त्रियां, लड़के-लड़कियां आते थे, अब गांव में विविध काम करने वाले स्त्री-पुरुष, व्यापारी, नौकरीपेशा, युवा और बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ अपनी-अपनी कविताएं पढ़ते हैं।

आप सोचेंगे, क्या कारण है कि केरलम के इस गांव के इतने सारे लोग रोज कविता पढ़ने-सुनाने को एकत्र होने लगे? उनमें काव्य प्रतिभा अचानक इतनी कैसे फूट पड़ी कि हर कोई अपने ही घर में कविता करने लगा? शुरू-शुरू में ऐसी काव्य गोष्ठी एक गांव तक सीमित थी, धीरे-धीरे ऐसी काव्य संध्याएं केरलम के अन्य गांवों में भी होने लगीं, जहां आकर बहुत से ग्रामीण कवि-जन हर शाम दो-ढाई घंटे तक काव्य पाठ करते-कराते हैं और काव्यानंद प्राप्त करते हैं।

कविता संबंधी ऐसी क्रांतिकारी खबर देखते ही हम जैसे और उत्कंठित हो उठे और सोचने लगे कि कहीं केरलम में दूसरा 'काव्य रेनेसां' (कविता का पुनर्जागरण) तो शुरू नहीं होने जा रहा? हम आकुल थे कि इन गांवों में आखिर ऐसा कौन-सा बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया है कि बहुत से ग्रामीण हर शाम एक-दूसरे की कविता के साथ बिताने लगे?

मानिए रोज सौ-पचास लोग अपनी-अपनी एक-एक कविता भी एक-दूसरे को सुनाते हों, तो एक महीने में कुल कितनी कविताएं इकट्ठी हो जाएंगी? फिर, एक बरस में कुल कितनी हो जाएंगी और इस तरह कितने नए कवि बन जाएंगे? उनके कितने संकलन बन पाएंगे? सवाल यह भी है कि इन कविताओं को सहेजता कौन होगा? कौन उनका रिकॉर्ड रखता होगा और कौन इन सबका प्रकाशन करेगा? कौन इन कविताओं का इतिहास लिखेगा? इनकी समीक्षा कौन करेगा? इनकी गुणवत्ता कौन निर्धारित करेगा या कहीं ये भी सोशल मीडिया में 'डाटा' बनकर अखिल दफन तो न हो जाएंगी?

जरा देखिए, एक तरफ केरलम है, जहां के एक इलाके की ग्रामीण जनता, जनता के लिए नित्य कविता करती है और सुनती-सुनाती है। दूसरी ओर हिंदी कविता है, जिसने अपने बीच से जनता को ही 'कैंसिल' कर दिया है। यह अब चंद कवियों द्वारा चंद कवियों के लिए लिखी जाती है। जनता द्वारा जनता के लिए की बात तो दूर, कई बार यह व्यक्ति के लिए भी नहीं होती। यह अपने ही कमरे में बंद कविता है।

कितनी बढ़िया बात है कि केरलम के गांवों में तो कविता क्रांति हो रही है, लेकिन हिंदी क्षेत्रों की हिंदी कविता गांव जाना छोड़ चुकी है और अब तो निगोड़ी शहरी आदमी के पास भी नहीं जाती। इसका कारण हिंदी का 'एलीटिज्म' है। हिंदी वाले सम्मानों की खातिर या अपने-अपने दल के लिए लिखते हैं! कहने की जरूरत नहीं, केरलम में यह प्रयोग सिर्फ कविता सुनने-सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह जनता से जनता का संवाद स्थापित करने का काम करता है।

हम सब जानते हैं कि आज संवादहीनता का बोलबाला है। लोग एक-दूसरे से बात करना, एक-दूसरे से कुछ कहना-सुनना तक भूल गए हैं। इसीलिए गांवों में चाय की दुकान पर चाय के साथ कविता की चुस्की लेते हैं, ताकि एक-दूसरे से मिल सकें, एक-दूसरे से संवाद कर सकें। यह जन-संवाद की वापसी है, जो आज बेहद जरूरी है। चाय पर काव्य पाठ, सोशल मीडिया के अकेलेपन के खिलाफ एक जायकेदार मीठी चुस्की है। चाय के साथ काव्य पाठ के बहाने लोग दिल से दिल की बात कहते हैं और अपने बिगड़ैलेपन को बहाल करते हैं।

मैं भी सोच रहा हूं कि अपने मुहल्ले में 'पचौरी की चाय' नाम से एक खोखा खोल लूं और अपने आस-पास टहलते 'टाल्ड' और 'रिटायर्ड' कवियों का हर शाम काव्य पाठ कराऊं और फ्री में चाय पिलाऊं, लेकिन आजकल हिंदी में कोई चाय पीता कहां है?

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

संपन्न व्यापारिक घराने में जन्म। पिता और बड़े भाई की असमय मृत्यु के कारण सिर्फ सातवीं कक्षा तक पढ़ाई। स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन। साथ ही वैदिक वांग्मय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जन। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी, 1889 – 14 जनवरी, 1937) ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध जैसी अनेक साहित्यिक विधाओं में भरपूर लेखन किया। कालजयी महाकाव्य 'कामायनी' के रचनाकार और लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध प्रेम कहानी 'पुरस्कार' से प्रस्तुत है एक अंश…

पुरस्कार

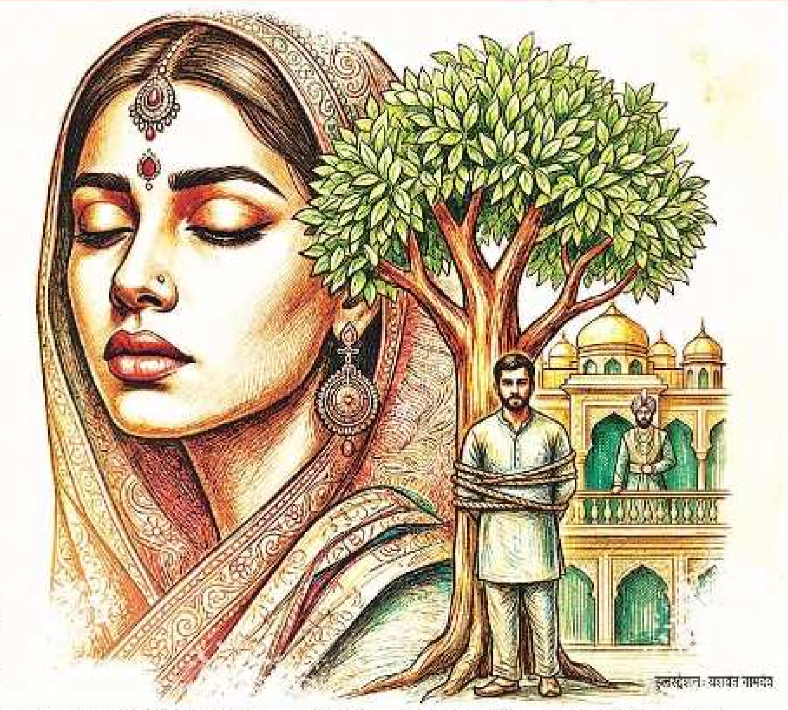
इलस्ट्रेशन : यशवंत नामदेव

प्रेम-कथा - 9

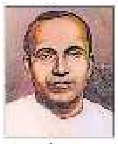
■ जयशंकर प्रसाद

अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूं। केवल सौ सैनिकों से तुम...

रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय-यात्रा होगी। अवश्य, तुम अपनी झोंपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राज-मंदिर ही तुम्हारा लीला-निकेतन बनेगा।

तो तुमको इस विजय पर विश्वास है?

मधूलिका उदास थी; किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण-कामना सशंक थी। वह कभी-कभी उद्विग्न-सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा- अच्छा, अंधकार अधिक हो गया। अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राण-पण से इस अभियान के आरंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए; तब रात्रि भर के लिए विदा! मधूलिके!

मधूलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से, बढ़नेवाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधूलिका का हृदय भी निविड़-तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी, वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी, पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी- वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिरशत्रु!

ओह, उसकी विजय! कोशल नरेश ने क्या कहा था- 'सिंहमित्र की कन्या!' सिंहमित्र, कोशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, नहीं, मधूलिका! मधूलिका!!' जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई।

रात एक पहर बीत चला, पर मधूलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेड़बुन में विक्षिप्त-सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्रायः एक सौ उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे-आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधूलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधूलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा- कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा- 'तू कौन है, स्त्री? कोशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे।'

रमणी जैसे विकार-ग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी- बांध लो, मुझे बांध लो! मेरी हत्या करो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है।'

सेनापति हंस पड़े, बोले- 'पगली है।'

पगली नहीं, यदि वही होती, तो इतनी विचार-वेदना क्यों होती? सेनापति! मुझे बांध लो। राजा के पास ले चलो।

'क्या है, स्पष्ट कहो।'

श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा।

सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा- 'तू क्या कह रही है?'

'मैं सत्य कह रही हूं, शीघ्रता करो।'

सेनापति ने अस्सी सैनिकों को नाले की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं बीस अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधूलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई।

श्रावस्ती का दुर्ग, कोशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कोशल के अतीत की स्वर्ण-गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग-द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा- अग्निसेन! दुर्ग में कितने सैनिक होंगे?

सेनापति की जय हो! दो सौ।

उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो; परंतु बिना किसी शब्द के। सौ को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हों।

सेनापति ने मधूलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख-निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे; किंतु सेनापति और साथ में मधूलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा- 'जय हो देव! इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है।'

महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा- 'सिंहमित्र की कन्या! फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति! मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो?'

'देव! किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है।'

राजा ने मधूलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा- 'मधूलिका, यह सत्य है?'

'हां, देव!'

राजा ने सेनापति से कहा- 'सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूं।' सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा- 'सिंहमित्र की कन्या! तुमने एक बार फिर कोशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। पहले उन आततायियों का प्रबंध कर लूं।'

अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। आबाल-वृद्ध-नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे।

ऊषा के आलोक में सभा-मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा- 'वध करो!' राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी- 'प्राण दंड।' मधूलिका बुलाई गई। वह पगली-सी आकर खड़ी हो गई। कोशल नरेश ने पूछा- 'मधूलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो, मांग।' वह चुप रही।

राजा ने कहा- 'मेरी निज की जितनी खेती है, मैं सब तुझे देता हूं।' मधूलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा- 'मुझे कुछ नहीं चाहिए।' अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा- 'नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा। मांग ले।'

'तो मुझे भी प्राणदंड मिले।' कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई।

(साभार: 'हिंदी समय' महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

रात एक पहर बीत चला, पर मधूलिका अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेड़बुन में विक्षिप्त-सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा।

पुस्तकें आई हैं

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हाशिए का समाज और हिन्दी उपन्यास
(आलोचना)
लेखिका : रोहिणी अग्रवाल
प्रकाशक : लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज
मूल्य : ₹499

वायु पुराण के एक श्लोक की पहली पंक्ति है- 'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना...' -इस पंक्ति का शब्दानुसार अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के विचार और मत अलग-अलग होते हैं। इसी आधार माने हुए कहा जाए, तो वर्तमान दौर में राष्ट्रवाद के लेकर भी सबके अपने-अपने नजरिये और मायने हैं, जिसे जो सुहाया, वही देखा। फिलहाल, यहां बात हो रही है पुस्तक 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हाशिए का समाज और हिन्दी उपन्यास' की। पुस्तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर वर्चस्ववादी सोच थोपने के बारे में बात करती है। यही नहीं, हिन्दी उपन्यासों में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के संघर्ष और प्रतिरोध की आवाज का मूल्यांकन भी करती है। साथ ही समय के साथ हिंदी उपन्यासों ने जो वैकल्पिक रास्तों का भी विश्लेषण करती है।

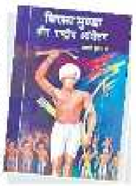

बिरसा मुण्डा और राष्ट्रीय आंदोलन
(इतिहास)
लेखक : अंजनी कुमार झा
प्रकाशक : लिटरेरी सर्किल, जयपुर
मूल्य : ₹495

एक गरीब आदिवासी किसान परिवार में जन्मे बिरसा मुण्डा स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बिरसा मुण्डा का नाम एक ऐसे महानायक के रूप में दर्ज है, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया, बल्कि जनजातीय समाज को आत्मसम्मान और स्वाधीनता के साथ जीने का मार्ग भी दिखाया। उनके इस महान योगदान को रेखांकित करती है पुस्तक 'बिरसा मुण्डा और राष्ट्रीय आंदोलन।' पुस्तक में बिरसा मुण्डा को केंद्र में रखकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के महत्वपूर्ण योगदान पर गहनता से विचार किया गया है।

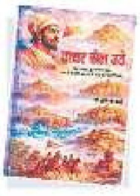

पत्थर बोल उठे
(इतिहास)
लेखिका : डॉ. प्रमिला वर्मा
प्रकाशक : गुफ्तगू पब्लिकेशन, प्रयागराज
मूल्य : ₹550

मुगलों और बीजापुर सल्तनत को कड़ी टक्कर देकर 'हिन्दवी स्वराज्य' की स्थापना करनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा थे। शिवाजी का किलों के प्रति प्रेम जगजाहिर था। उनका यह प्रेम सामरिक या राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी था। उन्होंने सह्याद्रि की पहाड़ियों की प्राकृतिक बनावट के महत्व को समझते हुए दुर्गों को अपनी युद्ध नीति का प्रमुख हथियार बनाया। मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरणा किले को जीतकर उन्होंने अपने इस गौरवशाली अभियान की शुरुआत की थी। पुस्तक 'पत्थर बोल उठे' विश्व धरोहर सूची में शामिल शिवाजी के बारह किलों के माध्यम से उनके राजनैतिक कौशल, सैन्य रणनीति, स्थापत्य दृष्टि के बारे में विशद और शोधपूर्ण जानकारी देती है।

ऐसे हुए भारत के पहले आम चुनाव

किसी भी देश का इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसे कई अच्छे-बुरे दौर और बदलावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे मुश्किल समय में लिए गए फैसलों का असर बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है। भारत का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। कैसे संकट, संघर्ष और अदालत ने गढ़ा नया भारत, इसकी विस्तृत और गहन पड़ताल करती है पुस्तक '10 फैसले जिनसे बदला देश।' प्रस्तुत है इस पुस्तक से एक अंश...

पुस्तक अंश

1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, तो स्वतंत्र भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा था : क्या इतनी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाला देश सफलतापूर्वक लोकतंत्र बन सकता है?

1951 तक भारत अभी भी विभाजन के प्रभाव से जूझ रहा था। शरणार्थियों का आगमन जारी था। सीमाएं हाल ही में तय की गई थीं और धार्मिक तनाव उच्च स्तर पर थे। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उद्योग नए थे और बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त नहीं था। अधिकांश लोग गांवों में रहते थे और बहुत से लोग पढ़-लिख नहीं सकते थे। रेडियो बहुत कम थे और अखबार भी ग्रामीण क्षेत्रों तक मुश्किल से पहुंचते थे। इसके बावजूद, देश अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की तैयारी कर रहा था। ब्रिटिशों द्वारा छोड़े गए इस प्रश्न का उत्तर धीरे-धीरे सामने आ रहा था- सरकारी अधिकारियों के निरंतर प्रयासों में, मतदान कर्मियों की मेहनत में और उन लाखों लोगों की स्याही लगी उंगलियों में, जो पहली बार स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में वोट दे रहे थे।

यह कितने बड़े पैमाने पर था, इसका अंदाजा इससे लगता है- 489 लोकसभा सीटों पर कुल 1,874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें 53 राजनीतिक दल और अनेक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, सबसे प्रमुख पार्टी थी। इसके अलावा समाजवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ (जो आगे चलकर भाजपा बना) और कई नए क्षेत्रीय दल भी चुनाव में शामिल थे। हर दल का अपना अलग एजेंडा था, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति थी कि हर भारतीय को सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे देश में चुनाव कैसे कराया जाए, जहां करोड़ों लोग पढ़-लिख नहीं सकते थे?

इसका समाधान एक अनोखे तरीके से निकाला गया- केवल नामों के बजाय हर राजनीतिक दल को एक चुनाव चिह्न दिया गया- जैसे झाड़ू, हल, लालटेन, हाथी या हाथ। ये प्रतीक ही भारतीय लोकतंत्र की भाषा बन गए। गांवों में, जहां साक्षरता बहुत कम थी, लोग इन चिह्नों को याद कर लेते थे। आम तौर पर लोग कहते थे- 'लालटेन पर वोट देना!' या 'मेरे पिता ने कहा है बैल जोड़ी के सामने निशान लगाना!' आज भी, तकनीक के बावजूद, लोग पार्टी के चिह्न देखकर ही वोट देते हैं।

इस चुनाव का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। देशभर में 1,96,084 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। मतदाता सूचियां हाथ से लिखी गईं। मतपेटियां बड़ी संख्या में तैयार की गईं और मोम से सील की गईं। देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए, मतपेटियों को अलग-अलग तरीकों से ले जाया गया। राजस्थान में ऊंटों से, असम में हाथियों से, केरल में नावों से और हिमालयी क्षेत्रों में खच्चरों से। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में मतदान अधिकारी कई दिनों तक जंगलों में पैदल चलते रहे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर व्यक्ति मतदान कर सके।

मतदान 25 अक्तूबर, 1951 को शुरू हुआ और कई चरणों में 21 फरवरी, 1952 तक चला। मतदान से लेकर वोटों की गिनती पूरी होने तक पूरी प्रक्रिया लगभग चार महीने तक चली। उस समय समाचार-पत्रों में परिणाम दिल्ली में घोषित होने के कई दिनों बाद प्रकाशित होते थे, इसलिए कई मतदाताओं को यह जानने में हफ्तों लग जाते थे कि उनका उम्मीदवार जीता या नहीं।

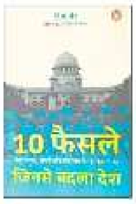

10 फैसले जिनसे बदला देश
(इतिहास)
लेखिका : प्रिया जैन, अनुवाद : प्रभात रंजन
प्रकाशक : पेंगुइन स्वदेश, गुरुग्राम
मूल्य : ₹350

रोजनामचा

साप्ताहिक भविष्यफल
(09 अगस्त से 15 अगस्त 2026)

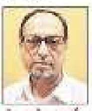
पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष (21 मार्च-20 अप्रैल)
कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। तरक्की के योग बन रहे हैं।

वृष (21 अप्रैल-20 मई)
आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पढ़ाई व लेखनादि कार्यों में व्यस्तता रहेगी। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि होगी। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन (21 मई-21 जून)
मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कर्क (22 जून-23 जुलाई)
सप्ताह के प्रारंभ में मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। माता-पिता की सेहत के प्रति सचेत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी।

सिंह (24 जुलाई-22 अगस्त)
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पिता तथा परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या (23 अगस्त-22 सितंबर)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

तुला (23 सितंबर-23 अक्तूबर)
मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें। पढ़ाई के कार्यों में कठिनाई आ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

वृश्चिक (24 अक्तूबर-21 नवंबर)
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

धनु (22 नवंबर-21 दिसंबर)
मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में परिवर्तन हो सकता है।

मकर (22 दिसंबर-19 जनवरी)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। जीवनसाथी व माता की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कुंभ (20 जनवरी-18 फरवरी)
मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। मन में नकारात्मक विचारों से बचें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन (19 फरवरी-20 मार्च)
आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. अमृतकांत गोस्वामी

09 अगस्त, रविवार, शक संवत् : 18 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 25 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 25 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि प्रातः 11.06 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर 02.44 मिनट तक पश्चात आर्द्रा नक्षत्र, हर्ष योग रात्रि 02.05 मिनट तक पश्चात वज्र योग, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। कामिका एकादशी व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कुछ ऐसी बातें, जो हम अनजाने में गलत कर रहे हैं, जैसे :

- रसोई में खराब लाइटर, टूटी हुई एवं खाली माचिस की डिब्बी रखना रसोई में घर में कलह बढ़ाता है। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखना मानसिक उलझनों को बढ़ाता है।
- फ्रिज के ऊपर सामान रखना, आपकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है।
- दरवाजे के पीछे सामान रखने से आपको मिलने वाले अवसर कम हो जाते हैं।
- बेडरूम में बेड पर बहुत ज्यादा तकिये रखने से तीसरे व्यक्ति का जीवन में दखल बढ़ता है।
- रात को बेडरूम पूरी तरह से बंद करके सोने से एनर्जी फ्लो रुक जाता है।
- घर में बहुत ज्यादा नकली फूल रखने से भावनाओं में बनावट आने लगती है।

वर्ग पहेली : 8415

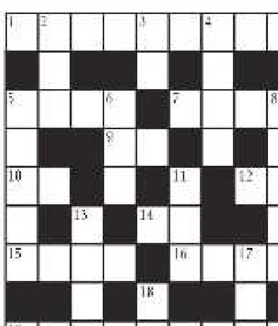

ऊपर से नीचे
2. पूरे देश का; राष्ट्र का; राष्ट्र से संबंधित (3)
3. मन में होने वाला झुकाव; प्रेम; संगीत स्वरों का निश्चित क्रम (2)
4. दर्द के कारण चिल्लाना; पीड़ा के कारण मुंह से शब्द निकालना; कांखना (4)
5. अधिकृत; अधिकार से संबद्ध; अधिकारयुक्त; साधिकार (5)
6. अधिक अकड़ने वाली बरसात; जहर (3)
8. सच्चा; सच्चाई का पक्षपाती; विश्वसनीय (5)
11. रुदन; रोना-धोना (3)
13. अनेक बार; फिर-फिर; पुनः पुनः (2,2)
17. जैसा; तुल्य; सदृश; समकक्ष; समरूप (3)
18. सारा; संपूर्ण; अखंड; समग्र; भरपूर (2)

बाएं से दाएं
1. किसी को सोने भी न देना; बहुत तंग करना (3,3,3)
5. आकार; परिमाण; फैलाव; विस्तार (4)
7. मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य; तुरही; नफीरी (4)
9. आहार नली; गरदन; ग्रीवा; कंठ; हलक; आवाज; सुर (2)
10. अंत; मृत्यु; समाप्त (2)
12. खैरात; किसी को श्रद्धापूर्वक दिया गया धन (2)
14. अंश; भाग; कौतुक; अभिनय; हुनर; कौशल (2)
15. परिश्रम; वर्जिश; व्यायाम (4)
16. परिक्षेत्र; परिधि; भवन क्षेत्र (4)
19. जाने का संकेत करना; बाहर निकल जाने को कहना (3,1,2,3)

हरीश चन्द्र सत्ती, विविधा विथा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली 8414 का उत्तर

सुडोकू : 8369

मध्यम

4				6				5
7								4
	1	2				3	7	
		4	7		6	5		
			1		9			
		9	8		5	2		
	2	8				7	6	
9								2
5				7				1

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। तर्क से इसे हल कर सकते हैं। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

हल : सुडोकू नं. 8368

8	5	6	3	7	2	4	1	9
4	1	7	9	8	6	3	2	5
3	9	2	1	5	4	8	7	6
9	7	4	8	2	5	6	3	1
6	2	3	7	9	1	5	4	8
1	8	5	6	4	3	2	9	7
5	6	9	2	3	7	1	8	4
7	3	1	4	6	8	9	5	2
2	4	8	5	1	9	7	6	3

इंडियन एक्सप्रेस समूह

जनसत्ता सरोकार | सम-सामयिक | एक

जनसत्ता | 9 अगस्त, 2026

रात के करीब साढ़े ग्यारह बजे थे, जब एक वीडियो अचानक फेसबुक से गायब हो गया। करोड़ों बार देखा जा चुका यह वीडियो बिना किसी अदालती आदेश या सरकारी नोटिस के, महज एक निजी कंपनी के भीतर बैठे अनदेखे कोड की वजह से मिट गया। यह घटना अकेली नहीं थी। साथ ही डीपफेक वीडियो ने भी झकझोरा। इस संदर्भ में भारत ने मेटा कंपनी को तलब किया और इसके लिए माफी मंगवा ली। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं। दक्षिण एशिया से लेकर अरब जगत में यही ताकत सरकारों को उखाड़ चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनियां अब सिर्फ मनोरंजन के मंच नहीं रहीं। ये तय करती हैं कि कौन सा सच प्रसारित होगा और कौन सा झूठ महीनों तक बेरोक-टोक फैलता रहेगा। वैश्विक सत्ता के सामने दुविधा बने इस डिजिटल जिन्न पर सरोकार की पड़ताल।

डिजिन्न

पूरी दुनिया के लिए दोधारी तलवार बना सोशल मीडिया भारत में इसकी पकड़ ने सरकार के लिए पैदा की चिंता

तेईस जुलाई की रात, कुछ ही घंटे पहले अपलोड हुआ एक वीडियो अचानक फेसबुक से गायब हो गया। यह कोई साधारण पोस्ट नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो संदेश था, जो उन्होंने काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के नेतृत्व में हुए विद्यार्थियों के संसद चलो प्रदर्शन और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए रिकार्ड किया था। यह सेल्फी वीडियो उस समय पोस्ट किया गया था, जब नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर काजपा का प्रदर्शन चल रहा था। उनका यह संदेश जेन-जी के नाम पहला सीधा संबोधन था। पांच से छह घंटे तक यह वीडियो फेसबुक मंच से गायब रहा।

जब माफी काफी नहीं थी

मेटा की प्रतिक्रिया शुरू में एक तकनीकी भूल की सफाई तक सीमित रही। कंपनी के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कापलान ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस तकनीकी गलती के लिए मेटा की ओर से माफी मांगी और कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सुधार का भरोसा दिया। लेकिन सरकार का रुख कड़ा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस सफाई को काफी नहीं पाया और सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा की ओर से आई सफाई तर्कसंगत नहीं थी। जिस दिन सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की बैठक दिल्ली में हुई, वहां मेटा के अधिकारियों को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। कमेटी ने प्रधानमंत्री का वीडियो फेसबुक से हटाने पर कड़ा रुख अपनाया और कई सदस्यों ने मेटा अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे।

समिति यहीं नहीं रुकी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली इस संसदीय स्थायी समिति ने सीधे मार्क जकरबर्ग को निशाना बनाया। समिति ने पत्र में कहा कि उसने फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो लगभग पांच से छह घंटे तक हटाए जाने की घटना को अत्यंत गंभीर माना है, और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि वे प्रधानमंत्री का 23 जुलाई का वीडियो हटाए जाने पर माफी मांगें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। चेतावनी सिर्फ शब्दों की नहीं थी-कानूनी हथियार भी साफ बताया गया। संसदीय समिति ने कहा कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगेंगे तो आइटी अधिनियम की धारा 79 (3) के तहत मेटा की मध्यस्थ सुरक्षा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और कंपनी को मिली कानूनी सुरक्षा समाप्त करने के साथ जकरबर्ग के खिलाफ प्रकाशक के तौर पर कार्रवाई की बात भी दोहराई गई।

जब मेटा को झुकना पड़ा

तीन दिन की मियाद के भीतर मेटा ने रुख बदला। सरकार के सूत्रों के मुताबिक जकरबर्ग ने खुद माफीनामा भेजा, लेकिन उसका दायरा सिर्फ प्रधानमंत्री के वीडियो तक सीमित नहीं था। जकरबर्ग ने बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम), डीपफेक सामग्री और मंच चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। यह कबूलनामा उस बैठक के बाद आया, जिसमें मेटा की वैश्विक टीम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और कंपनी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर की गई गलत कार्रवाई, बाल यौन शोषण सामग्री की रोकथाम में चूक और नियामकीय मुद्दों पर चर्चा की। इस माफीनामे का सबसे विस्फोटक हिस्सा वह स्वीकारोक्ति थी, जिसने पूरे विवाद को एक नया आयाम दे दिया। मेटा ने माना कि कुछ खास सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको पैसे मिले थे। यानी सिर्फ एक तकनीकी चूक की बात नहीं थी। यह सीधा आरोप था कि कंपनी के एल्गोरिदम को किसी खास किस्म की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजित किया गया था।

सरकारी अधिकारियों ने मेटा से सीधे पूछा कि आखिर किस आधार पर कुछ पोस्ट या वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। सवाल सीधा और असहज करने वाला था। अगर पैसे देकर सामग्री को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के वीडियो का पांच घंटे तक गायब रहना किसी गलती का नतीजा था या किसी सुनियोजित प्राथमिकता का हिस्सा?

> **आखिरकार केंद्र सरकार ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा से डीपफेक पर कार्रवाई करने को कहा है और कंपनी के साथ हुई बैठकों के नतीजों की समीक्षा के बाद आगे के कदमों को लेकर कानूनी राय ली जाएगी।**

आखिरकार केंद्र सरकार ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा से डीपफेक पर कार्रवाई करने को कहा है और कंपनी के साथ हुई बैठकों के नतीजों की समीक्षा के बाद आगे उठाए जाने वाले कदमों को लेकर कानूनी राय ली जाएगी। सरकार ने कहा कि मूल सवाल यह है कि मेटा भारतीय कानून के तहत मध्यस्थों के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन कर रही है या नहीं और सरकार इस पहलू की जांच कर रही है। वैसे सरकार अन्य आनलाइन मंचों को भी बुलाएगी और यह जांच करेगी कि क्या वे भारतीय कानून के तहत 'मध्यस्थ' की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

डीपफेक और गडकरी बनाम मेटा

जिस हफ्ते प्रधानमंत्री का वीडियो-विवाद सुर्खियों में था, ठीक उसी समय एक और मामला अदालत में पहुंच चुका था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनाल-मिश्रण नीति से जोड़ते हुए बनाए गए डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। प्रसारित डीपफेक पोस्ट में गडकरी को एथेनाल मिश्रित पेट्रोल और ई20 ईंधन नीति के पीछे मुख्य फैसला लेने वाले के तौर पर गलत तरीके से दिखाया गया था, और यह भी दावा किया गया कि उन्होंने व उनके परिवार ने इस पहल से पैसे कमाए। बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। न्यायाधीश आरिफ डाक्टर की एकल पीठ ने इस डीप फेक सामग्री को पूरी तरह घिनौना और अपमानजनक करार दिया और कहा कि ऐसे सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार के दुष्प्रचार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने मेटा, एक्स और गूगल-यूट्यूब, सभी को निर्देश दिए कि गडकरी और उनके परिवार को निशाना बनाने वाली सामग्री फौरन हटाई जाए।

गडकरी अकेले पीड़ित नहीं थे। वित्त मंत्रालय से जुड़े एक और मामले में एआइ से बने नकली वीडियो के जरिए एक कारोबारी को धोखा देकर करोड़ों की ठगी की खबर भी सामने आई। यानी डीपफेक अब सिर्फ राजनीतिक बदनामी का हथियार नहीं, आर्थिक अपराध का औजार भी बन चुका है। दो अलग-अलग बड़े मामलों में प्रधानमंत्री का वीडियो हटना और मंत्री के खिलाफ डीपफेक ने मिलकर यह सवाल खड़ा कर दिया कि भारत में सामग्री निगरानी की पूरी व्यवस्था ही भरोसे लायक नहीं रह गई। एक तरफ सच्ची सामग्री गायब हो रही थी, दूसरी तरफ झूठी सामग्री फल-फूल रही थी और दोनों के केंद्र में वही एल्गोरिदम था, जिसकी कार्यप्रणाली किसी को पूरी तरह पता नहीं।

स्क्रीन पर लड़ी जा रही जंग

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि समझने के लिए काकरोच जनता पार्टी की कहानी जाननी जरूरी है, क्योंकि उसी की गूंज में प्रधानमंत्री का विवादित वीडियो जन्मा था। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के 15 मई की एक टिप्पणी के बाद 16 मई 2026 को इंटरनेट पर एक व्यंग्य के तौर पर शुरू हुआ यह आंदोलन कुछ ही दिनों में जेन-जी के बीच लोकप्रिय हो गया। 21 मई तक काकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज ने फालोवर के मामले में भाजपा के 88 लाख और कांग्रेस के करीब 1.3 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया।

यह सिर्फ एक मीम-आंदोलन नहीं रह गया। नीट पेपर लीक के खिलाफ गुस्से ने इसे धीरे-धीरे एक ठोस जमीनी आंदोलन में बदल दिया, और इंस्टाग्राम इसका मुख्य हथियार बना। काजपा ने इंस्टाग्राम के जरिए शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों को लेकर व्यापक डिजिटल अभियान चलाया। यह अभियान आगे और तेज हुआ जब दूसरे मुद्दों पर भी इसी तर्ज के खाते बनने लगे। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। नीट पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शनों के बाद भाजपा का ध्यान इंस्टाग्राम मंच पर गया, और केंद्रीय मंत्रियों ने काजपा प्रवक्ताओं के साथ हुई बैठकों के वीडियो भी शेयर करना शुरू किया। यह अपने आप में बताता है कि सत्ता प्रतिष्ठान भी अब समझ चुका है कि राजनीतिक बातचीत का केंद्र संसद या टीवी स्टूडियो से खिसक कर मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है।

-प्रस्तुतिः संजय शर्मा

सब तय करता है वह अदृश्य संपादक

जनसत्ता सरोकार

सोशल मीडिया पर जब कोई एप खोला जाता है, तो जो पोस्ट, रील या वीडियो सबसे पहले दिखता है, वह किसी इंसान ने चुनकर नहीं भेजा होता। यह तय करता है एल्गोरिदम, यानी कंपनी का बनाया एक कंप्यूटर प्रोग्राम, जो हजारों नियमों और गणनाओं के जरिए फैसला लेता है कि किसे क्या दिखाना है। इसे एक अदृश्य संपादक की तरह समझा जा सकता है, जो हर सेकंड करोड़ों पोस्ट में से यह चुनता है कि आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर क्या आएगा।

यह फैसला मुख्यतः तीन चीजों पर टिका होता है। पहला, आप पहले किस तरह की सामग्री देखते, लाइक या शेयर करते रहे हैं; दूसरा, कोई पोस्ट कितनी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रही है, यानी कितने लोग उस पर रुक कर देख रहे, कमेंट कर रहे या आगे भेज रहे हैं; और तीसरा जो मेटा की स्वीकारोक्ति से सामने आया कि किसी पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए पैसे चुकाए गए हैं या नहीं। इसी वजह से एल्गोरिदम अक्सर उग्र, विवादित या भावनात्मक सामग्री को ज्यादा दिखाता है, क्योंकि ऐसी सामग्री लोगों को स्क्रीन पर ज्यादा देर रोकती है। चूंकि यह पूरा फैसला कंपनी के भीतर बंद कोड में होता है, बाहर से कोई यह नहीं जान सकता कि किसी खास वीडियो को क्यों दबाया गया या क्यों उछाला गया और यही अपारदर्शिता है।

इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है भारत

जनसत्ता सरोकार

भारत मेटा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, जहां वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स को मिलाकर एक अरब से भी ज्यादा उपयोगकर्ता मौजूद हैं। अकेले वाट्सएप के आंकड़े इस दबदबे को साफ करते हैं। भारत में वाट्सएप के 60 करोड़ से ज्यादा और इंस्टाग्राम के 41 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जबकि इंस्टाग्राम की विज्ञापन पहुंच कुछ खबरों में 55 करोड़ तक आंकी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी आबादी अमेरिका की है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय अकेले इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं।

वाट्सएप का मामला तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि यह मेटा के लिए सिर्फ एक एप नहीं, भारत में उसकी सबसे गहरी पैठ का प्रतीक बन चुका है। भारत पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा वाट्सएप बाजार है, और यहां 50 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता होने के बावजूद कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा कमाई का माडल तलाशना रही है। यही वजह है कि मेटा वाट्सएप पे, बिजनेस मैसेजिंग और कामर्स के जरिए भारत में कमाई बढ़ाने की लगातार कोशिश करता रहा है। यानी भारत सिर्फ उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिहाज से अहम नहीं, बल्कि मेटा के अगले बड़े कारोबारी दांव डिजिटल पेमेंट और कामर्स का भी सबसे बड़ा प्रयोगस्थल है। गूगल के लिए भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। भारत आज यूट्यूब का

सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, और 2026 में यहां यूट्यूब की विज्ञापन पहुंच करीब 51 से 52 करोड़ उपयोगकर्ताओं के आसपास है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब दर्शक भारत में ही मौजूद हैं। यूट्यूब के लिए भारत सिर्फ दर्शक संख्या का बाजार नहीं, कमाई का इंजन भी बन चुका है। कंपनी के मुताबिक भारतीय बाजार में सस्ते और किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान लाने से उसके उपयोगकर्ता का आधार तेजी से बढ़ा है।

यह पैमाना सिर्फ अमूर्त आंकड़ों की बात नहीं, भारत की डिजिटल आबादी की बुनियादी संरचना से जुड़ा तथ्य है। एक रिपोर्ट (2025) के मुताबिक देश में अब 95.8 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 57 फीसद यानी करीब 54.8 करोड़ अब गांवों से आते हैं। इसी पैमाने का असर मेटा की कंपनी-स्तर की रणनीति में भी झलकता है। मेटा का बाजार मूल्य करीब 1.48 ट्रिलियन डालर है और इतनी बड़ी मूल्य वाली कंपनी के लिए कोई भी बाजार, जो उसके एक अरब से ज्यादा उपयोगकर्ता को समेटे हो, महज एक देश नहीं रह जाता, वह कंपनी के अस्तित्व की रीढ़ बन जाता है। यही वजह है कि जब संसदीय समिति ने जकरबर्ग को सीधे तीन दिन का अल्टीमेटम दिया तो मेटा के लिए यह कोई मामूली संकट नहीं था। यह उसके सबसे बड़े राजस्व स्रोत और भविष्य की सबसे बड़ी संभावना, दोनों पर एक साथ हमला था।

यही असंतुलन असल सवाल पैदा करता है कि जब कोई कंपनी किसी एक देश से अपनी सबसे बड़ी उपयोगकर्ता संख्या और भविष्य की सबसे बड़ी कमाई, दोनों पाती है, तो क्या वह उस देश के नियामकीय दबाव के आगे झुकने को मजबूर होती है, या फिर उसका आकार ही उसे इतना ताकतवर बना देता है कि वह नियमों को धीमा करने, टालने या दरकिनार करने की स्थिति में आ जाती है?

भारत में हाल के हफ्तों का घटनाक्रम... प्रधानमंत्री का वीडियो हटना, गडकरी पर डीपफेक, संसदीय समिति की चेतावनी और आखिरकार मेटा की माफी, दिखाता है कि इस बार पलड़ा सरकार की तरफ झुका, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मेटा और गूगल जैसी कंपनियां भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं, क्योंकि दुनिया में कोई और बाजार उनके कारोबारी भविष्य के लिए इतना निर्णायक नहीं है।

वैश्विक हकीकत बन चुकी है सोशल मीडिया की समांतर सत्ता

जनसत्ता सरोकार

भारत के लिए यह पूरा प्रकरण अकेला नहीं है। पड़ोस में ठीक एक साल पहले नेपाल ने वह देख लिया था, जो सोशल मीडिया और सत्ता के टकराव की सबसे कड़वी मिसाल बन गई। सितंबर 2025 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी आवाजों को दबाने के मकसद से एक बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें यूट्यूब और एक्स समेत कई प्लेटफार्म बंद कर दिए गए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। इस पाबंदी के खिलाफ जेन-जी सड़कों पर उतर आए। पांच दिन तक चला यह आंदोलन इतना उग्र हुआ कि प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी।

नेपाल का यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना अब उतना आसान नहीं रह गया, जितना पहले माना जाता था, क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए डिजिटल मंच सिर्फ मनोरंजन नहीं, राजनीतिक पहचान और लामबंदी का मुख्य औजार बन चुका है। यह पहली बार था जब नेपाल का युवा वर्ग राजनीतिक दलों से अलग होकर इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरा, और आंदोलन का तात्कालिक कारण सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध था, किंतु इसी माध्यम ने इसे संगठित एवं प्रसारित भी किया।

लेकिन नेपाल का अनुभव यह भी चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया-चालित आंदोलन बेकाबू भी हो सकते हैं। बाद की

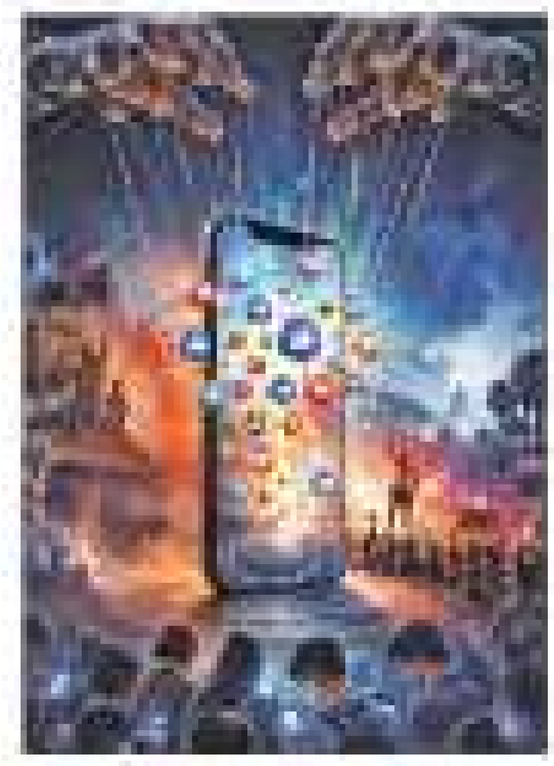

जांच में सामने आया कि आंदोलन को हिंसक बनाने की तैयारी प्रदर्शन से पहले ही डिजिटल माध्यमों के जरिए शुरू हो चुकी थी।

नेपाल का जेन-जी विद्रोह अचानक नहीं हुआ। यह उस पैटर्न की कड़ी है जो डेढ़ दशक पहले अरब जगत में शुरू हुआ था। साल 2010-2011 में ट्यूनीशिया से शुरू होकर मिस्र, लीबिया, यमन और सीरिया तक फैली क्रांतियों की लहर, जिसे 'अरब स्प्रिंग' कहा गया, में फेसबुक और ट्विटर ने प्रदर्शनकारियों को संगठित करने, सूचना फैलाने और सरकारी दमन को दुनिया के सामने लाने का काम किया था। तब पहली बार यह साबित हुआ कि तानाशाही शासन पारंपरिक मीडिया को दबा सकते हैं, लेकिन विकेंद्रीकृत सोशल नेटवर्क को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं।

इंडियन एक्सप्रेस समूह

जनसत्ता सरोकार

विमर्श

दो

जनसत्ता | 9 अगस्त, 2026

अवसर के समांतर कृषि क्षेत्र की आशंकाएं

प्रसंगवश

निमिषा सिंह

> अमेरिका के साथ समझौते का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि भारत किन उत्पादों पर शुल्क संरक्षण बनाए रखता है और किस प्रकार के सुरक्षा मानक तथा आयात कोटा लागू करता है। यह सबसे बड़ी परीक्षा है कि किसी भी समझौते का मूल्यांकन केवल आयात-निर्यात के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस कसौटी पर हो कि क्या इससे भारत का अन्नदाता मजबूत होगा, क्या भारतीय उपभोक्ता सुरक्षित रहेगा और क्या हमारी खाद्य संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी।

आज की बदलती वैश्विक भू-राजनीति में युद्ध केवल सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। इक्कीसवीं सदी का सबसे अमोघ हथियार 'आर्थिक प्रतिबंध', आयात शुल्क और आपूर्ति शृंखलाओं की नाकेबंदी बन चुका है। ऐसे अनिश्चित और अस्थिर दौर में किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सेना या विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक इस बात से तय होती है कि वह संकट के समय अपने नागरिकों का पेट भरने में कितना आत्मनिर्भर है। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक कृषि व्यापार समझौते को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है, जिसके साथ ही किसानों का विरोध भी मुखर हो गया है। मुक्त व्यापार के पैरोकार इसे आर्थिक उदारीकरण का अगला चरण बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, उत्पादन लागत और वैश्विक सामरिक उदाहरणों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि कृषि को महज एक 'व्यापारिक वस्तु' मानना भारत के लिए एक आत्मघाती रणनीतिक भूल हो सकती है।

वर्तमान विरोध के संदर्भ को समझने के लिए साल 2026 के ऐतिहासिक वैश्विक व्यापार समझौतों पर गौर करना जरूरी है। इन समझौतों का कोई विरोध इसलिए नहीं हुआ कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अपनी 'रेड लाइन' मानकर पूरी तरह सुरक्षित रखा था। जनवरी 2026 के 'मदर आफ आल डील्स' यानी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में यूरोप ने नब्बे फीसद भारतीय कृषि उत्पादों को शुल्क मुक्त कर दिया, लेकिन भारी दबाव के बावजूद भारत ने अपने डेयरी उत्पादों और मुख्य खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा तथा अमेरिकी जीएम फसलों पर प्रतिबंध जारी रखा। इसी तरह, फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका समझौते ने भारत को तीस ट्रिलियन डालर के विशाल अमेरिकी बाजार तक तरजीही पहुंच दिलाई, लेकिन इसमें भी संवेदनशील कृषि क्षेत्र और डेयरी को बाहर रखा गया था। जुलाई 2026 के भारत-ब्रिटेन सीईटीए के तहत ब्रिटेन ने निन्यानबे फीसद भारतीय उत्पादों से शुल्क हटा लिया, लेकिन यहां भी भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र समझौते के दायरे से बाहर रहा। न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में भी भारत ने अपने मजबूत डेयरी उद्योग को पूरी तरह संरक्षित रखा और केवल अत्याधुनिक कृषि तकनीक के बदले कीवी और सेब जैसे फलों पर आंशिक छूट दी। पूर्व के इन समझौतों पर कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन भारत-अमेरिका के बीच संभावित 'व्यापक कृषि व्यापार समझौते' पर आशंका इसलिए है कि अब दबाव उन सीमा रेखाओं को पार करने का है। अमेरिका अपने जेनेटिकली माडिफाइड बीजों, मक्का, सोयाबीन, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलने का दबाव बना रहा है।

असमान ध्रुव

भारत और अमेरिका की कृषि पद्धति में जमीन-आसमान का अंतर है। अगर यह बाजार खुलता है, तो यह दो असमान व्यवस्थाओं के बीच का ऐसा मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय किसानों का हारना तय है। भारत में छियासी फीसद किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है और वे मानसून, महंगे डीजल तथा सीमित पूंजी के सहारे खेती करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में खेती एक कारपोरेट उद्योग है, जहां हजारों एकड़ के खेत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और जीपीएस आधारित मशीनों का उपयोग होता है। दोनों देशों के बीच उत्पादकता का भारी अंतर है। उदाहरण के लिए मक्का, जो आज पोल्ट्री, एथेनाल और खाद्य प्रसंस्करण की रीढ़ है, अमेरिका में एक एकड़ में एक सौ दस से एक सौ बीस कुंतल पैदा होता है, जबकि भारत में यह औसत मात्र पंद्रह से बीस कुंतल प्रति एकड़ है। इतनी कम प्रति इकाई लागत के साथ, अमेरिकी कारपोरेट आसानी से भारतीय बाजार में अपना सामान पेश कर सकता है, जिसके सामने दो एकड़ वाला भारतीय किसान कभी नहीं टिक पाएगा।

मुक्त व्यापार को लेकर एक भ्रम यह फैलाया जाता है कि अमेरिका में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं है और वहां किसान बाजार के भरोसे हैं। सच इसके बिल्कुल उलट है। भारत में किसान आज भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश (सी2 पचास फीसद) के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहा है, जबकि सरकार ए2एफएल के आधार पर नीतियां तय करती है। वहीं, अमेरिका में किसानों को बचाने के लिए एक अभेद्य आय सुरक्षा चक्र है। 'प्राइस लास कवरेज' और 'एग्रीकल्चर रिस्क कवरेज' जैसे कार्यक्रमों के तहत बाजार मूल्य गिरने पर अमेरिकी सरकार किसानों को भारी सबसिडी और सीधे नकद नुकसान की भरपाई करती है। आयात से उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलने का तर्क कृषि के संदर्भ में सबसे घातक है। शुरुआत में सस्ता अमेरिकी मक्का, सोयाबीन या खाद्य तेल बाजार में आएगा और प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण भारतीय किसान घाटे में जाकर इन फसलों को उगाना बंद कर देंगे। कृषि कोई कारखाना नहीं है कि बटन दबाया और उत्पादन फिर शुरू हो गया। एक बार अगर किसान ने खाद्यान्न उगाना छोड़ दिया और देश का बीज चक्र, बुनियादी ढांचा और ज्ञान नष्ट हो गया, तो उसे दोबारा खड़ा करने में करीब तीस साल लग जाएंगे। स्थानीय उत्पादन खत्म होते ही विदेशी एकाधिकारवादी मनमानी कीमतें वसूलेंगे, जिससे न किसान बचेगा और न ही उपभोक्ता।

संवेदनशील पहलू

डेयरी और जीएम फसलों का संकट भी इस समझौते का एक बेहद संवेदनशील पहलू है। भारत का डेयरी क्षेत्र आठ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की आय का स्रोत है, जहां अधिकांश दूध उत्पादन दो-तीन पशुओं वाले छोटे किसानों द्वारा होता है। दूसरी ओर, अमेरिका में बड़े कारपोरेट डेयरी फार्म भारी सबसिडी और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के दम पर बेहद सस्ता दूध पाउडर बनाते हैं, जिनके आयात से भारतीय किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही, अमेरिका लंबे समय से जीएम मक्का और जीएम सोयाबीन के लिए बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। भारत अब तक खाद्य जीएम फसलों पर सतर्क रहा है, क्योंकि यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि जैव सुरक्षा, पर्यावरण, बीज संप्रभुता और उपभोक्ता विश्वास का प्रश्न है।

संरक्षण के समांतर

सरकार का दावा है कि इस व्यापार समझौते में भारतीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सरकार के अनुसार, चाय, काफी, मसाले और नारियल जैसे कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कम या 'शून्य शुल्क' का लाभ मिलेगा। भारतीय मसाले, बासमती चावल, बागवानी उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य और जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। अगर गुणवत्ता मानकों और 'कोल्ड चेन' को मजबूत किया जाए, तो भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भारत की अधिकांश व्यापार संधियों का अनुभव भी बताता है कि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण देते हुए अन्य क्षेत्रों में बाजार खोलने की रणनीति अपनाई है।

अमेरिका के साथ वार्ता कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि यहां कृषि सबसिडी, डेयरी, जीएम फसलें, बाजार पहुंच और गैर-शुल्क बाधाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिम समझौते का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत किन उत्पादों पर शुल्क संरक्षण बनाए रखता है और किस प्रकार के सुरक्षा मानक तथा आयात कोटा लागू करता है। सरकार के सामने यह सबसे बड़ी परीक्षा है कि किसी भी समझौते का मूल्यांकन केवल आयात-निर्यात के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस कसौटी पर हो कि क्या इससे भारत का अन्नदाता मजबूत होगा, क्या भारतीय उपभोक्ता सुरक्षित रहेगा और क्या हमारी खाद्य संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी। अगर इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो अमेरिका के साथ किसी भी दबाव वाली कृषि सौदेबाजी से पीछे हटना ही हमारा राष्ट्रधर्म होगा।

अपनी अपनी पीड़ा

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> भारत के नौजवानों की समस्याएं गंभीर हैं। उनकी बातों को सुनने के बदले प्रधानमंत्री सत्ता की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जंतर मंतर पर उनका मजाक उड़ाया था। कहने को तो उनको तकलीफ सिर्फ गालियों से हुई थी, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको भी लगने लगेगा कि उनको असली तकलीफ हुई है इस बात से कि उनका मजाक उड़ाया गया था।

इन दिनों सोशल मीडिया पर रोज कोई न कोई नई रील दिखती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जाता है। जब प्रधानमंत्री ने अपना वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले यह कहने के लिए कि वे इतने दरियादिल हैं कि उन 'बेटियों' को 'माफ' करते हैं जिन्होंने उनको और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी थीं। इस वीडियो के निकलने के कुछ ही घंटों बाद उसको बदल कर एक सुंदर लड़की बीच में बोलती दिखी, जिसने मुस्करा कर प्रधानमंत्री की हर बात में दखल देकर दिखाया कि वे जो कह रहे थे, उसका उसकी उम्र की लड़कियों पर कोई असर नहीं होने वाला है।

प्रधानमंत्री ने अपने इस क्षमा करने वाले वीडियो में कहा कि हमारी भारतीय सभ्यता में जो लोग बड़े हुए हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लड़कियों के मुंह से गालियां निकल रही हैं आजकल। इस बात का खूब मजाक उड़ाया गया यह कह कर कि 'भारतीय सभ्यता' में जीने वाले ऐसे लोगों की भावनाओं को तब कोई ठेस नहीं पहुंची, जब बेटियों को दिल्ली पुलिस ने लाठियों से मारा और उनके कपड़े फाड़े। न ही उनको तकलीफ हुई यह देख कर कि छात्रों पर पुलिस ने पैलेट गन चलाई। न उस समय तकलीफ हुई, जब प्रधानमंत्री के एक करीबी मंत्री ने संसद में झूठ बोला कि गोलियां चली ही नहीं थीं। गोलियों से तकलीफ नहीं हुई, लेकिन गालियों से बहुत तकलीफ हुई।

सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुई हैं वे रीलें, जिनमें प्रधानमंत्री पर एक गाना गाया जा रहा है। मोदी के बारह वर्षों के शासनकाल में कभी किसी की उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। अब काकरोच जनता पार्टी के सदस्यों ने मजाक करके दिखाया है कि उनको प्रधानमंत्री से कोई डर नहीं है उनको और न ही किसी और को होना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी कोशिश की गई है जेन-जी को इतना डरा कर रखने की, ताकि दोबारा प्रदर्शन करने की उनकी हिम्मत न हो।

इस कोशिश में छात्रों से माफियां मंगवाई गई हैं इंस्टाग्राम की रीलों के जरिए और काकरोच जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कभी सौरव दास को बदनाम करते दिखते हैं मोदी भक्त, यह कहते हुए कि उनको महंगी चीजें खरीदने का कुछ ज्यादा शौक है। कभी यह कह कर उनको नीचा दिखाया जा रहा है कि इतने महंगे और आलीशान घर में रह रहे हैं, बिना यह साबित किए कि इतना पैसा उनके पास आता कहां से है। अभिजीत दिपके के बारे में हर दूसरे घंटे सोशल मीडिया पर दिखता है कोई न कोई पोस्ट, यह कहते हुए कि इतने गरीब घर से आते हैं कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसा जरूर किसी जार्ज सोरोस किस्म के व्यक्ति से आया होगा। पनचानवे साल का यह अमेरिकी अरबपति मोदी भक्तों की नजरों में सबसे बड़ा खलनायक है। मोदी सरकार के हर विरोध प्रदर्शन में दिखते हैं इनको सोरोस के पैसे।

राजग की सरकार बनने से पहले शायद ही आम भारतीयों को सोरोस का नाम मालूम था। आज भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि सोरोस जीता है सिर्फ मोदी को हटाने के लिए। वास्तव में सोरोस की दान संस्थाएं कई देशों में उन लोगों का समर्थन करती हैं जो तानाशाह नेताओं के खिलाफ लड़ते हैं। सोरोस ने अपने बचपन में हिटलर की नाजी फौजों को उसके देश हंगरी में आते हुए देखा था और एक यहूदी होने के नाते हिटलर का यूरोप के यहूदियों पर बर्बर जुल्म देखा था। सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी राजनीति प्रगतिशील और उदारवादी है।

रही मेरी बात तो इतना कहना चाहती हूं कि मेरी हमदर्दी भारत के नौजवानों के साथ है। मैं न सिर्फ उनका दर्द समझ सकती हूं, बल्कि यह भी समझती हूं कि अगर मैं उनकी उम्र की होती, तो मैं भी इस देश की बदहाली देख कर क्रोधित होती। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर ध्यान देते जो छात्र और उनके नेता पहले जंतर मंतर पर उठा रहे थे और अब झारखंड में। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री बेहाल शिक्षा व्यवस्था पर दो आंसू बहाते, दो शब्द सहानुभूति के बोलते। अच्छा होता अगर वे बेरोजगारी की गंभीर समस्या की तरफ ध्यान देकर देश के नौजवानों को समझाते, क्योंकि इस देश में वे नौकरियां अभी तक नहीं दिखती हैं जिनका वादा उन्होंने बारह वर्ष पहले किया था। आज हाल यह है कि हर साल लाखों युवा पढ़ाई खत्म करके आते हैं नौकरी ढूंढ़ने। इनमें से आधे से कम ही हैं जिनको कोई अच्छी नौकरी मिलती है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं देश के नौजवानों में आक्रोश पैदा हो?

भारत के नौजवानों की समस्याएं गंभीर हैं और उनका भविष्य भी रौशन नहीं है। उनकी बातों को सुनने के बदले प्रधानमंत्री सत्ता की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जंतर मंतर पर उनका मजाक उड़ाया था। कहने को तो उनको तकलीफ सिर्फ गालियों से हुई थी, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको भी लगने लगेगा कि उनको असली तकलीफ हुई है इस बात से कि उनका मजाक उड़ाया गया था। खूब पैसा खर्च कर उनकी छवि बनाई गई है एक ऐसे राजनेता की जो इतना शक्तिशाली है कि उनका स्थान भगवान से थोड़ी ही कम है। ज्यादा नहीं। स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है उनको यह कहना कि उनको असली चोट पहुंची है गालियों से नहीं, मजाक से। वैसे भी ऐसा कहेंगे नहीं। कहेंगे तो उनकी कमजोरियां दिखने लगेंगी।

मोदी देश के सबसे अनुभवी राजनेता हैं, तो छवि की मरम्मत जरूर कर लेंगे, लेकिन फिर भी लगता है अब कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं।

बौद्धिकता के मायने

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> जनतंत्र सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं है। यह मानव मूल्यों की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसमें उसका विवेक, बुद्धि, ज्ञान, चेतना और समर्पण पांचों बातें सम्मिलित रहती हैं। यही बात संसद में बैठने वालों की जाति, धर्म, लिंग, आयु और भाषा को गौण कर देती है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में बुद्धिजीवी और राजनेता निर्जीव बौद्धिकता के पथिक हैं। भारत अभी भी सजीव बौद्धिकता से पूरी तरह विरक्त नहीं हुआ है। उसे संभलने और संभालने का वक्त दस्तक दे रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में सांसदों को दो घंटे पुस्तकालय में व्यतीत करने की सलाह दी है। संभवतः संसदीय भाषणों की उल्लेखनीयता और गंभीरता का समाप्त हो जाना उनकी चिंता का कारण रहा होगा। मोदी ने भले ही सांसदों को सुझाव दिया है, लेकिन यह सभी जनतांत्रिक देशों के लिए संसदीय मूल्यों के क्षरण के दौर में संजीवनी की तरह है। संसद में हो-हल्ला और अमर्यादित भाषा का उपयोग आम बात हो गई है। अल्बानिया, यूक्रेन, सर्बिया और जार्जिया की संसद में तो हाथापाई भी होने लगी है। ऐसी बातें जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अनास्था पैदा करने के लिए यथेष्ट हैं। वे दिनों-दिन अपनी सामाजिक स्वीकृति और सम्मान दोनों खो रहे हैं।

ब्रिटेन में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि मात्र नौ फीसद लोग अब देश के सांसदों पर भरोसा करते हैं। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का जनक माना जाता है। एक समय था, जब एडमंड बुर्के, जेएस मिल, डिजरैली और चर्चिल जैसे लोग वहां की संसद को सुशोभित करते थे। ऐसे लोगों की बौद्धिकता ने ही लोकतंत्र को संवारा है। तीन सौ वर्ष पूर्व बुर्के ने 'रिफ्लेक्शन आन द रिवाल्यूशन आफ फ्रांस' की रचना की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। व्यस्तता के बावजूद चर्चिल ने छह खंडों में द्वितीय विश्वयुद्ध का इतिहास लिखा।

ऐतिहासिक रूप में भारत तो उससे दो कदम आगे है। यह जनतंत्र का जनक है। यूरोप में तो एक पेरिक्लिस चौबीस सौ साल पहले हुआ था, जो जन सरोकारों एवं बौद्धिकता से संपन्न एथेंस का राजा था। मगर भारत में तो इसकी लंबी सूची है। केपी जायसवाल की पुस्तक 'हिंदू पालिटी' (1924) लोकतांत्रिक समृद्धि के तथ्यों से भरी पड़ी है। यह और बात है कि उसे प्राध्यापक ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिज्ञों से क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारी सभ्यता की विशिष्टता विचारों की विविधता है। इसी ने शास्त्रार्थ को जन्म दिया। यह हमारी प्राणवायु की तरह है। इसलिए विमर्श की संस्कृति में गिरावट और बौद्धिकता के प्रति बढ़ती अरुचि सिर्फ संसदीय जनतंत्र ही नहीं, बल्कि सभ्यताई संकट का कारण बन सकता है।

संविधान सभा की चर्चा उत्कृष्ट और सजीव बौद्धिकता का उदाहरण है। उसके प्रत्येक सदस्य का भाषण समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने की गुणसंपन्नता से भरा है। बौद्धिकता जब समाज-सभ्यता सापेक्ष और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होती है, तब वह सजीव बन जाती है। मगर ज्ञान और अनुभवों का जब सिर्फ तात्कालिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है, तब यह निर्जीव बौद्धिकता का रूप ले लेता है। समकालीन संसदीय चर्चा में निर्जीव बौद्धिकता की प्रचुरता देखी जा सकती है। सजीव बौद्धिकता में निष्पक्षता और निर्भयता दोनों होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है- संविधान सभा में गांधीवादी सिब्बल लाल सक्सेना ने जब महात्मा गांधी का नाम संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने के लिए संशोधन दिया, तो उसका विरोध दूसरे गांधीवादी ब्रजेश्वर प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने किया। दोनों पक्षों के अपने- अपने तर्क थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेंद्र प्रसाद ने कहा, 'प्रस्तावना में न गांधी होंगे, न ही ईश्वर।'

भारतीय संसद उस श्रेष्ठता को आरंभ के कुछ वर्षों तक प्रदर्शित करती रही। इसका उदाहरण 1957 में केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी पर संसदीय चर्चा है। इस उत्तेजक घटना पर भी चर्चा के दौरान न व्यवधान हुआ, न ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। तथ्यों और तर्कों के उपयोग में सांसद अकादमिक जगत को पीछे छोड़ देते थे। उस समय संसद के पुस्तकालय में जगह कम पड़ जाती थी। तब केएम मुंशी केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने तीन दर्जन पुस्तकें लिखीं। 'जय सोमनाथ' उनकी प्रसिद्ध कृति है। संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दर्जनों पुस्तकों की रचना की। इनमें 'अधूरी क्रांति' और 'ऋग्वेद प्रतिसाख्यम' प्रसिद्ध हैं। ऐसी प्रतिभाएं सभी दलों में थीं।

सोशलिस्ट सांसद एनजी गोरे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित का मराठी अनुवाद किया था। राम मनोहर लोहिया की 'वील्स आफ हिस्ट्री' उनकी अनेक पुस्तकों में से एक थी। कम्युनिस्ट हीरेन मुखर्जी ने 1952 से 1977 तक के संसदीय विकास पर 'पोर्ट्रेट आफ पार्लियामेंट' पुस्तक लिखी, तो जनसंघ के बलराज मधोक का 'भारतीयकरण' कालजयी रचना है। कर्ण सिंह की पुस्तक 'डांस आफ पीकाक' अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। साठ के दशक में त्रिगुणा सेन, एमसी छागला, भूपेश गुप्ता, दत्तोपंत ठेंगड़ी और जगन्नाथ राव जोशी के भाषणों में भारत का भविष्य रचता-बसता था। 1958-63 तक शिक्षा मंत्री रहे केएल श्रीमाली की पुस्तक 'शिक्षा और भारतीय लोकतंत्र' की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। लोकतंत्र के मंदिर के वे ऐसे पुजारी थे, जो भौतिकता पर बौद्धिकता को महत्त्व देते थे। लोग उनकी तस्वीरों को स्कूल-कालेजों एवं घरों में सम्मान से लगाते थे। उसमें ठहराव क्यों आया, यह विचारणीय है।

दुनिया की तमाम जनतांत्रिक संस्थाएं इस संकट से गुजर रही हैं। फ्रांस की विधायिका में 'इमेनुएल जोसेफ' थे। उनकी रचना 'वाट इज द थर्ड एस्टेट' ने फ्रांस की क्रांति को बौद्धिक आधार दिया था। समकालीन आस्ट्रेलिया में 'एज इट हैपंड' (1996) के लेखक जान मक कान जैसे सांसदों की कमी महसूस की जा रही है। इटली की संसद में बेंडे हो क्रोस जैसे विद्वान ने 'फिलासफी आफ स्पिरिट' पुस्तक लिखी थी। बाबा साहब आंबेडकर और डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी पुस्तकालयों में पचास हजार से अधिक पुस्तकें थीं।

जनतंत्र सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं है। यह मानव मूल्यों की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसमें उसका विवेक, बुद्धि, ज्ञान, चेतना और समर्पण पांचों बातें सम्मिलित रहती हैं। यही बात संसद में बैठने वालों की जाति, धर्म, लिंग, आयु और भाषा को गौण कर देती है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में बुद्धिजीवी और राजनेता निर्जीव बौद्धिकता के पथिक हैं। भारत अभी भी सजीव बौद्धिकता से पूरी तरह विरक्त नहीं हुआ है। उसे संभलने और संभालने का वक्त दस्तक दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव उसी की एक शुरुआत है।

चढ़ावा चोरी का शोर

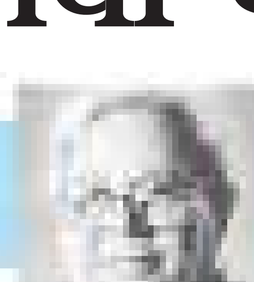

बाखबर

सुधीश पचौरी

> रांची में 'परीक्षा व्यवस्था' में गड़बड़ियों में सुधार करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे कुछ विद्यार्थी बार-बार खबर बनाते रहे। कई चर्चक 'जंतर मंतर ब्रांड' जेन-जी के प्रदर्शन और उनके 'खानपान' की तुलना 'रांची में प्रदर्शन' कर रहे युवाओं के 'सादे खानपान' से करते नजर आए।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू राहुल गांधी से मिलकर कहते हैं कि मान जाओ और संसद चलने दो... महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करो, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। वे अड़े हैं कि जब तक केंद्रीय गृहमंत्री 'विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाने' की घटना पर वक्तव्य नहीं दे देते, तब तक संसद नहीं चलने देंगे। फर्क इतना ही है कि पहले वे गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, अब बयान पर अड़े हैं। एक तरफ सत्तापक्ष की 'जिद', तो दूसरी ओर विपक्ष की 'जिद' संसद के कामकाज को 'स्थगित' कराती रहती है।

हर रोज सदन में हंगामे के बाद विपक्ष के ज्यादातर दल संसद परिसर में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं। जो बहस संसद में नहीं हो पाती, वो शाम को चैनलों पर होती है, लेकिन वहां भी कई बार बहस 'तू-तू मैं-मैं' में बदल जाती है। फिर एंकर की ओर से बीच-बचाव किया जाता है। कई बार प्रवक्ता नाराज होकर बहस बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं।

हाल में सबसे मजेदार कहानी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बनाई, वे सभी चैनलों के हीरो रहे, सिद्ध हुआ कि खुद को खबरों में बनाए रखना वे बखूबी जानते हैं। वे एक दिन भगवा वस्त्र पहनकर साधू के भेष में संसद पहुंचे और बाहर 'मकर द्वार' के पास बैठ गए। वे वहां 'यज्ञ' करने का 'नाटक' करने लगे और नाटकीय रूप में कुछ मंत्र उच्चारित करते दिखे। उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े विपक्ष के सांसद बारी-बारी से आकर उनके डिब्बे में चढ़ावा चढ़ाते दिखे। यही नहीं आजू-बाजू खड़े सांसद 'चंदा चोर-चंदा चोर' के नारे लगाते नजर आए। फिर पप्पू यादव ने जब चंदे के डिब्बे को चुराकर भागने का नाटक किया, तो वहां मौजूद सांसद उन्हें पकड़ने की कोशिश करते दिखे।

यह 'चढ़ावा चोरी कांड' की एक 'पैरोडी' थी, जिसकी पटकथा खराब बताई गई, लेकिन पप्पू यादव और अन्य विपक्षी सांसद इस 'नुक्कड़ नाटक' का आनंद लेते नजर आए। 'चढ़ावा चोरी' का यह नाटक कुछ सांसदों के लिए भले मजेदार रहा हो, मगर सत्तापक्ष और उसके समर्थकों ने इस पर सवालों की बौछार कर दी। चैनलों पर इस नाटक का प्रसारण देख देश का 'साधु-संत समाज' पप्पू यादव के पीछे पड़ गया और उनका जमकर विरोध किया। भाजपा प्रवक्ताओं ने भी इसे 'साधु-संतों का अपमान' बताया। एक चर्चक ने तो इस तरह के नुक्कड़ नाटक को संसद के बाहर करने पर सवाल उठाते हुए इसे 'साधु-संतों' के खिलाफ लोगों को 'उकसाने' वाला करार दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव पर हमले की कोशिश भी हुई, हालांकि पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाल लिया।

मगर चैनल चर्चा में यह मुद्दा जल्द ही उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में 'किसका फायदा होगा और किसका नुकसान' वाले मुद्दे में बदल गया...। ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कहता नजर आया। इस सप्ताह उन्होंने 'पीडीए' की एकदम 'नई व्याख्या' करके सबको चकित कर दिया। उन्होंने बताया कि 'पीडीए' का मतलब 'पंडित है'...। एक चर्चक ने साफ किया कि इस 'स्किट' ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए सपा वाले इस बार 'सवर्ण जातियों' खासकर 'ब्राह्मणों' को अपना नया 'वोट बैंक' बनाने के चक्कर में हैं।

इस बीच, झारखंड के रांची में राज्य की 'परीक्षा व्यवस्था' में पैदा हुई गड़बड़ियों में सुधार करने की मांग को लेकर कई दिन से भूख हड़ताल कर रहे कुछ विद्यार्थी बार-बार खबर बनाते रहे। चर्चा में कई चर्चक 'जंतर मंतर ब्रांड' जेन-जी के प्रदर्शन और उनके 'खानपान' की तुलना 'रांची में प्रदर्शन' कर रहे युवाओं के 'सादे खानपान' से करते नजर आए। एक चैनल तो 'जंतर मंतर' के जेन-जी की 'पांच सितारा जीवनशैली' के पीछे ही पड़ गया और रांची में भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों के प्रति अपनी पूरी हमदर्दी एवं संवेदना जताता रहा। साथ ही जंतर मंतर वाली जेन-जी की ओर से रांची में भूख हड़ताल करने वालों को लेकर अपनाई गई चुप्पी पर सवाल उठाता रहा।

फिर एक एंकर ने रहस्य खोला कि 'काकरोच जनता पार्टी' की ओर से बनाई कई 'आठ सदस्यों की टीम' में एक भी 'जेन-जी विद्यार्थी' को शामिल नहीं किया गया है। इसे देख कुछ जेन-जी 'काकरोच पार्टी' से मांग करने लगे कि हमने भी लाठी खाई है, सबकी राय लेकर सबको पार्टी से जोड़ें।

फिर आया तेरह साल पहले 'बलात्कार' के आरोपित तरुण तेजपाल को 'दस साल के कारावास' की सजा देने वाला मुंबई हाई कोर्ट का फैसला। इस पर यों तो सभी चैनलों में चर्चा रहीं, लेकिन जिस तरह से एक एंकर ने तेजपाल तथा उसके समर्थन में आईं मशहूर हस्तियों और नामचीन नेताओं के पुराने बयानों की खबर ली, वह देखते ही बनती थी। एक वकील को तो एंकर ने इस तरह लाजवाब किया कि वह नाराज होकर बहस से बाहर हो गईं।

जनसत्ता सरोकार

इंडियन एक्सप्रेस समूह

साहित्य

तीन

जनसत्ता | 9 अगस्त, 2026

देव सिंहासन

कहानी

प्रताप दीक्षित

सुनीता सुबह पांच बजे ही उठ जाती थी। झुग्गी के छोटे-से कमरे में चूल्हा सुलगाती, पति रमेश के लिए चाय बनाती, दो रोटियां कपड़े में बांधती और छह बजे के पहले घर से निकल जाती। दिन भर चार-पांच घरों में बर्तन, झाड़ू-पोछा, कपड़े और खाना बनाने में उसका दिन बीत जाता।

रमेश दिहाड़ी मजदूर था। उसका शरीर दुबला-पतला था। सांवला रंग, उभरी हुई हड्डियां और पीठ पर मेहनत की रेखाएं। शाम को जब वह घर लौटता तो थकान उसके कंधों से टपकती दिखाई देती। लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं होती। सुनीता जिस बड़े घर में काम पर जाती, वहां बाहर संगमरमर की पट्टी पर लिखा था-केसरी नंदन शुक्ला। दो मंजिला शानदार मकान। संगमरमर की फर्श, चमचमाते झूमर और अलग बना पूजा-कक्ष।

एक दिन वह पूजा-कक्ष में सफाई कर रही थी। तभी शुक्ला साहब स्नान करके आए। उन्होंने केवल धोती पहन रखी थी। चौड़ी, गोरी पीठ पर सफेद जनेऊ चमक रहा था। वह बड़े श्रद्धाभाव से संगमरमर के बने सुंदर सिंहासन के सामने पद्मासन लगाकर बैठ गए। सिंहासन पर चांदी की मूर्तियां, पीतल के दीप, घंटियां और फूलों की मालाएं सजी थीं। धूप की महक पूरे कमरे में फैल गई। सुनीता कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने रमेश की पीठ आ गई। वही सांवली, पसीने से भीगी, दुबली पीठ, जिस पर जनेऊ तो दूर, कभी नया कुर्ता भी ढंग से नहीं चढ़ पाया था। उसने फिर शुक्ला साहब की ओर देखा। फिर उस सिंहासन की ओर। उसे लगा कि शायद देवता भी वहीं जल्दी सुनते हैं जहां संगमरमर, चांदी और घी के दीपक हों।

उस दिन उसके मन में एक सपना जन्मा। दोपहर में उसने हिम्मत करके मालकिन से पूछा, 'बीबी जी, यह पूजा वाला सिंहासन कितने का होगा?' मालकिन ने कहा, 'बहुत पहले लिया था तब करीब लगभग पांच हजार का था।' 'पांच हजार का!' सुनीता ने मन-ही-मन हिसाब लगाया। उसकी एक महीने की पगार पंद्रह सौ के आसपास थी। अगर थोड़ा-थोड़ा बचाए तो तीन-चार महीने में पैसे जुट सकते हैं।

उसने उसी दिन निश्चय कर लिया। हर महीने कुछ रुपए मालकिन के पास जमा करा देती। मालकिन ने पूछा भी, 'क्या खरीदना है?' 'एक चीज है...बाद में बताऊंगी।' रात में जब रमेश खाना खाकर सो जाता तो सुनीता उसे देखती रहती। कल्पना करती कि उसकी पीठ पर जनेऊ है, वह भी सुबह नहा-धोकर उसी तरह संगमरमर के सिंहासन के सामने बैठा है। फिर शायद रमेश को रोज काम मिलने लगे। मकान में ऊपर की मंजिल बन रही थी। सुबह से शाम तक मिस्त्री और मजदूर काम करते। शुक्ला साहब मजदूरी हर शनिवार देते थे, लेकिन हमेशा एक सप्ताह की मजदूरी रोक लेते थे। एक दिन किसी से कह रहे थे, 'इनकी एक हफ्ते की मजदूरी बकाया रहनी चाहिए। काम छोड़कर भागेंगे नहीं।'

रात को रमेश काम से लौटा। पसीने में भीगा हुआ। उसने बनियान उतारकर एक ओर रख दी। सुनीता की नजर उसकी पीठ पर गई। उसे लगा, इसमें कोई कमी नहीं है।

एक दोपहर उसने देखा कि एक मजदूर शुक्ला साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह गिड़गिड़ा रहा था, 'घर में खाने को कुछ नहीं है। बीवी तीन दिन से बुखार में पड़ी है। पांच दिन की मजदूरी दे दीजिए। अगले हफ्ते की रोक लीजिए, लेकिन अभी कुछ पैसे मिल जाएं।' शुक्ला साहब ने बिना उसकी ओर देखे कहा, 'नियम सबके लिए बराबर है। एक हफ्ते की मजदूरी बकाया रहती है।' मजदूर फिर गिड़गिड़ाया। 'मालिक, बच्चे भूखे हैं।' इस बार शुक्ला साहब की आवाज तेज हो गई, 'समझ में नहीं आता? अगले हफ्ते मिलेंगे।' मजदूर वहीं खड़ा रहा। लेकिन अगले ही क्षण शुक्ला साहब गरज पड़े, 'साले, कहा ना, चल भाग यहां से!' मजदूर की आंखें झुक गईं। वह धीरे-धीरे बाहर निकल गया। सुनीता के हाथ में उस समय पूजा के कमरे की झाड़न थी। उसकी निगाह अनायास फिर उसी संगमरमर के सिंहासन पर पड़ी, सफेद, चमकदार, भव्य। शाम को उसने मालकिन से कहा, 'बीबीजी...मेरे जो पैसे जमा हैं...दे दीजिए।' मालकिन ने मुस्कुराकर पूछा, 'पूरे हो गए क्या? अब खरीदोगी?'

'हां...अभी चाहिए।' उन्होंने अलमारी से रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। सुनीता बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। गेट के पास वही मजदूर सिर झुकाए बैठा था। सुनीता उसके पास पहुंची, 'भैया।' वह चौंका। 'ये रखो।' उसने रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। मजदूर घबरा गया, 'नहीं बहन, मैं कैसे ले सकता हूं?' 'ले लो। बीवी की दवा करा देना। बच्चों के लिए राशन भी ले जाना।' उसकी आंखों में आंसू भर आए, भरे गले से कहा, 'जल्दी लौटा दूंगा।' सुनीता मुस्कुराई, 'जब तुम्हारे पास हो जाएं, तब आराम से लौटा देना, कोई जल्दी नहीं।' मजदूर फूट-फूटकर रो पड़ा।

रात को रमेश काम से लौटा। पसीने में भीगा हुआ। उसने बनियान उतारकर एक ओर रख दी। सुनीता की नजर उसकी पीठ पर गई। उसे लगा, इसमें कोई कमी नहीं है। यह पीठ किसी का हक नहीं मारती। वह चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। रमेश ने मुड़कर पूछा, 'क्या हुआ?' सुनीता ने कहा, 'कल छुट्टी के बाद बाजार चलोगे? तुम्हारी कमीज पुरानी हो गई है। बनियान भी फट गई है। नई लेनी है। पैसे हमने मालकिन के पास जमा किए थे, इसमें बच गए हैं।' रमेश हंस पड़ा, 'तुम्हारी साड़ी कितनी घिस चुकी है।' 'नहीं, दो साड़ियां बक्से में रखी हैं। अभी तो इस सूट से काम चल जाता है। सोचा तो कुछ और था, लेकिन अब वह नहीं।' रमेश उसकी बात समझ नहीं पाया।

लेकिन सुनीता समझ चुकी थी। जिस घर में संगमरमर का सिंहासन था, वहां करुणा के लिए जगह कम थी। अगले दिन रमेश सार्वजनिक नल पर नहाने के बाद नई गंजी पहने था। उसे पहली बार लगा कि उसके पति की पीठ शुक्ला जी से कम नहीं है। काम से लौटने के बाद उस रात रमेश नहाकर आंगन में बैठा था। बिजली चली गई थी। लालटेन की लौ उसकी पीठ पर कांप रही थी। उस पीठ पर जगह-जगह सफेद निशान हैं-सीमेंट की बोरियां ढोते हुए पड़े पुराने घावों के। उसने अनायास हथेली रख दी। उसे लगा, यह पीठ उन पत्थरों से बनी है, जिन्हें ढो-ढोकर आदमी रोटी कमाता है। वह देर तक उसे सहलाती रही। अगले दिन मालकिन ने पूछा-'सिंहासन नहीं खरीदा?'

सुनीता मुस्कुरा दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया।

समय सूचक

इतिहास में अपनी पहचान खोजता नत्थू

जनसत्ता सरोकार

नत्थू...एक ऐसा नाम जिसकी इतिहास में कोई अलग से पहचान नहीं है। नत्थू वह सर्वनाम है जो इतिहास के हर काल में सत्ता का मोहरा बन जाता है। भीष्म साहनी ने जब 'तमस' के नत्थू को रचा था तब देश नया आजाद हुआ था। अब आजादी के सात दशक बाद भी हम सबके सामने ऐसे कई नत्थू खड़े हो जाते हैं, जिनके जीवन का मकसद सिर्फ रोटी कमाना होता है। भीष्म साहनी के 'तमस' का किरदार नत्थू एक गरीब दलित मजदूर है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो जाता है। उसके जीवन का न तो कोई राजनीतिक उद्देश्य है और न वह किसी से घृणा करता है। नत्थू की एकमात्र चिंता उसका और उसके परिवार का शरीर है, जिन्हें रोज दो वक्त की भूख लगती है। एक राजनीतिक दल का कारिंदा नत्थू को पैसे देकर सूअर मारने के लिए कहता है। नत्थू को बताया गया कि यह काम किसी के भले के लिए है। लेकिन नत्थू के द्वारा मारे गए सूअर को एक मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है। देखते ही देखते इलाके में इस बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलता है और दंगे शुरू हो जाते हैं। जब नत्थू को पता चलता है कि इलाके में खून-खराबे की वजह वह है तो आत्मग्लानि से भर जाता है। भीष्म साहनी नत्थू के जरिए बताते हैं कि इतिहास की कई घटनाओं का निर्णायक मोड़ उस आम आदमी को बना दिया जाता है, जिसके पास कभी खुद को खास समझने की भी कोई वजह नहीं होती है। नत्थू का अपराध उसकी गरीबी थी। अपनी गरीबी के कारण वह ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गया जिसका परिणाम उसे भी नहीं पता था। भीष्म साहनी ने 'तमस' की रचना 1974 में की थी। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत-विभाजन और उससे पहले भड़के सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। 1987 में गोविंद निहलानी ने 'तमस' पर आधारित टीवी धारावाहिक बनाया, जिसने इस रचना को व्यापक पहचान दी।

'तमस' का किरदार नत्थू

पहाड़ पर सीख

बाल कथा

शिव मोहन यादव

हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल, जहां देवदार के पेड़ हवा से बातें कर रहे थे और एक छोटी-सी नदी कल-कल करके बह रही थी। प्रकृति अपने पूर्ण श्रृंगार में थी। तभी तीन एसयूवी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुकीं। गाड़ियों से उतरा शहरी रईसों का एक समूह। सबसे आगे थे रजत मल्होत्रा-एक बड़े कारोबारी, विदेश से एमबीए किए हुए, अकड़ से भरपूर। उनके साथ उनके दो दोस्त, उनकी पत्नियां और ढेर सारा सामान। तान्या (रजत की पत्नी) ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 'यार, यहां तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं है। मैं तो कहती थी स्विट्जरलैंड चलो, पर नहीं, तुम्हें तो देसी पहाड़ देखने थे।'

दोस्त रोहन ने ठहाका लगाते हुए कहा, 'अरे भाई, गरीबों का स्विट्जरलैंड समझो इसे। मजे करो।' सब लोग प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर बैठ गए। देखते ही देखते बर्गर के रैपर, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें और चिप्स के पैकेट चारों तरफ बिखरने लगे। रजत ने एक खाली बोतल उठाई और नदी की तरफ फेंकते हुए हंसा, 'यहां कोई निगम नहीं है सफाई करने वाला, कूड़ा तो यहीं जाएगा।'

इतने में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां से गुजरा। मटमैले से कपड़े, सिर पर एक पुरानी टोपी, हाथ में एक बोरा और एक डंडा। वह शांत भाव से रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरे को अपने बोरे में डालता जा रहा था। उसे देखकर रोहन की पत्नी शालिनी ने कुलबुलाते हुए कहा, 'हे भगवान, यहां तो भिखारी भी पहाड़ की चोटी पर मिलते हैं। कितना गंदा लग रहा है।'

रजत ने मुंह बनाकर आवाज लगाई, 'ओ बाबा! इधर आना।' वह व्यक्ति धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ा। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, न कोई गुस्सा, न कोई लालच। रजत ने अपनी जेब से पांच सौ का एक नोट निकाला और उस व्यक्ति की तरफ लहराते हुए दोस्तों से अंग्रेजी में बोला, 'देखो, अब ये कैसे दौड़ता है।' उस व्यक्ति ने नोट लेने के बजाय झुक कर रजत की कुर्सी के पास पड़ा खाली जूस का डिब्बा उठाया और अपने बोरे में डाल लिया। फिर धीरे से बोला, 'मैं पैसे नहीं लेता साहब, बस आपसे अनुरोध है कि अपना कचरा कूड़ेदान में डालें या अपने साथ वापस ले जाएं। यह हमारी धरती है।'

रजत जोर से हंसा, 'वाह! अब हर गरीब गुरु बन रहा है। सुना तुमने? ये हमें सिखाएगा। तुम जैसे अनपढ़ हमें कचरे का पाठ पढ़ाएंगे?' उस व्यक्ति ने अपनी टोपी उतारी और बिना किसी झुंझलाहट के मुस्कुराकर बोला, 'जनाब, मैं अनपढ़ नहीं हूं। इसी पर्यावरण विज्ञान में मैंने पीएचडी की है। आप जिस गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, असली गरीबी तो आपकी सोच की है। आप पहाड़ों पर प्लास्टिक फैलाकर गर्व महसूस कर रहे हैं, और मैं इसे साफ करके संतुष्ट हूं।'

तान्या तपाक से बोली, 'पीएचडी! हां, सब भिखारी अब यही कहते हैं कि वे पढ़े-लिखे हैं। तुमने अपने जूते देखे हैं? अपनी हैसियत हमें मत बताओ।' उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस गहरी सांस ली और वहां पड़े कचरे को अपने बोरे में डालता रहा। रजत और उसके दोस्त उस पर फब्तियां कसते रहे, 'देखो, कितना बड़ा ज्ञानी है। पर पेट की आग बुझाने के लिए हमारी तरफ ही देखना पड़ेगा।'

तभी दो जिप्सियां और एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां आकर रुकीं। गाड़ियों से वर्दीधारी वन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उतरे। रजत और उसके दोस्त अवाक रह गए। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने उस मटमैले कपड़ों वाले व्यक्ति की तरफ देखा और सैल्यूट करते हुए बोला, 'गुड मार्निंग, डा शर्मा सर! आपने सूचना दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।' यह सुनकर रजत और उसकी पार्टी के होश उड़ गए। डा शर्मा ने अपनी टोपी से धूल झाड़ते हुए धीर गंभीर स्वर में कहा, 'इन्हें पकड़ो। ये संरक्षित वन क्षेत्र में प्लास्टिक और गैर-रिसाइकल कचरा फैला रहे हैं। यहां शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करें।'

रजत जोर से हंसा, 'वाह! अब हर गरीब गुरु बन रहा है। सुना तुमने? ये हमें सिखाएगा। तुम जैसे अनपढ़ हमें कचरे का पाठ पढ़ाएंगे?' उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर बोला, 'जनाब, मैं अनपढ़ नहीं हूं। इसी पर्यावरण विज्ञान में मैंने पीएचडी की है। आप जिस गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, असली गरीबी तो आपकी सोच की है।'

यह सुनकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन घबराकर बोला, 'सर... सर... माफ करें। हमें नहीं पता था कि आप...।' डा शर्मा मुस्कुराए, 'यह नहीं पता था कि मैं अधिकारी हूं, या ये नहीं पता था कि गंदगी फैलाना गुनाह है? देखो रजत मल्होत्रा, तुम अमीर हो, पढ़े-लिखे भी हो, लेकिन सभ्य नहीं हो। अमीरी की अकड़ में तुम यह भूल गए कि जिन पहाड़ों पर तुम छुट्टियां मनाने आए हो, ये हम सबके हैं। यह बोरा उठाना मेरा पेशा नहीं, मेरा धर्म है। आज मुझे देखकर शायद तुम्हें थोड़ी शर्म आई होगी। पुलिस स्टेशन चलो। वहां तुम्हें कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा।' रजत और उसके दोस्तों के चेहरे शर्म से झुक गए। पत्नियां कैमरे के डर से अपना चेहरा छिपाने लगीं। पुलिस ने जुर्माने की रसीद काटी और भारी-भरकम राशि वसूली। जाते-जाते डा शर्मा ने उसी शांत मुद्रा में रजत से कहा, 'याद रखना, इंसान वही है जो अपने बाद आने वालों के लिए दुनिया को साफ और हरा-भरा छोड़कर जाए।' प्लास्टिक के इस पैकेट में तुमने अपने लिए भविष्य का जहर लपेटा है।' रजत की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और मिट्टी की कद्र करने में है। पहाड़ वैसे ही शांत खड़े थे, लेकिन हवा में एक अनकही सीख घुल चुकी थी।

ओडिसी : वापसी का संघर्ष

जनसत्ता सरोकार

मनुष्य का अपने घर से निकलना हमेशा से मुश्किल क्रिया रही है। अनजाने सफर पर वह जीत की उम्मीद लेकर निकलता है, लेकिन लौटते समय उसे पता चलता है कि असली यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, अपने भीतर की थी। यही कारण है कि होमर की 'ओडिसी' तीन हजार साल बाद भी हमें आज की कहानी लगती है। ट्राय का युद्ध खत्म हो चुका है, देवता पुराने हो चुके हैं, समुद्रों के नक्शे बदल चुके हैं, लेकिन घर लौटने के लिए भटकता हुआ मनुष्य आज भी हमारे बीच मौजूद है।

होमर के ओडीसियस के सामने समुद्र है, तूफान है, राक्षस हैं, देवताओं का क्रोध है और अपनी महत्त्वाकांक्षा है। इन सबके बीच उसकी लड़ाई घर वापसी की है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओडिसी' इसी प्राचीन कथा को विशाल पर्दे पर लेकर आई है। यहां भी ओडीसियस के सामने वही बुनियादी सवाल है कि युद्ध जीतने के बाद आदमी अपने घर तक कैसे पहुंचे? नोलन ने लगभग तीन हजार वर्ष पुरानी कथा को जिस पैमाने पर फिल्माया है, वह स्वयं एक सिनेमाई यात्रा है। 'ओडिसी' के इस सिनेमाई रूप के मूल में भी यही

मार्गदर्शन

सवाल है कि घर पहुंचने की तड़प क्यों होती है? ओडीसियस के लिए इथाका सिर्फ एक जगह नहीं है। वहां उसका परिवार है, उसके अतीत की पहचान है। योद्धा जिस घर की ओर लौट रहा है, वो दरअसल उस मनुष्य की ओर लौटना है जो वह युद्ध में जाने से पहले था। लेकिन ओडीसियस अब पहले जैसा नहीं रहा है। युद्ध सिर्फ सत्ता ही नहीं मनुष्य को भी बदल देता है। ओडीसियस पहले जैसा नहीं है और इथाका भी वैसी जगह नहीं है, जैसा उसने छोड़ा था। यही मनुष्य की हर वापसी की त्रासदी है। हम जिस घर को छोड़कर जाते हैं, जब लौटते हैं तो अक्सर वह घर उस रूप में नहीं मिलता। ओडीसियस की यात्रा में समुद्र केवल भौगोलिक दूरी नहीं है। वह मनुष्य की परीक्षा है। बाधाओं की अच्छी बात यह है कि वह मनुष्य को बंधन मुक्त करती हैं। मनुष्य सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि खुद को भी पहचानने लगता है।

'ओडिसी' प्रश्न उठाती है कि क्या मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके लिए अच्छा है? कभी-कभी घर लौटना इसलिए कठिन होता है कि रास्ते में ऐसे आकर्षण मिलते हैं जिनके कारण आदमी अपनी मंजिल भूल सकता है। आज आकर्षण बदल चुके हैं। स्क्रीन की सत्ता है, इंटरनेट पर प्रसिद्धी है। इसलिए ओडिसी की यात्रा आज भी जारी है।

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में समय के पास वह शक्ति दिखती है जो मनुष्य की चेतना को बदल देती है। नोलन की 'ओडिसी' में समुद्र समय की विशालता का प्रतीक है। मनुष्य उसके सामने कितना छोटा है। तीन हजार साल पुरानी कहानी और आज की सबसे उन्नत सिनेमाई तकनीक एक साझा सवाल पूछती है-मनुष्य आखिर लौटता कहां है? महान मिथकों की यही ताकत होती है कि हर युग में उसे नया रचनाकार मिलता है। 'ओडिसी' वीरता की कहानियों के ढांचे को बदल देती है। युद्ध जीतना ओडीसियस की शुरुआत है।

पिता और पुत्र के प्रेम की मूक भाषा

अमर किरदार

जनसत्ता सरोकार

विश्व सिनेमा में कई किरदार ऐसे हैं जो वक्त के साथ आगे बढ़ कर अपने समय के प्रतिनिधि बन जाते हैं। ये हर काल में अपने सवालों के साथ कदमताल करते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्म 'द किड' का नन्हा जैकी ऐसा ही किरदार है। सिनेमा के पर्दे पर जैकी सौ साल से पहले पैदा हुआ था, लेकिन आज भी उसका बचपन करुणा का अपना कथ्य लिख रहा है। बचपन किसी भी समय का हो, वह कभी पुराना नहीं होता है।

1921 में जब दुनिया प्रथम विश्वयुद्ध की तबाही से उबरने की कोशिश कर रही थी, तब चार्ली चैपलिन ने एक ऐसी कहानी कही, जिसमें अहंकारी शासकों और जंग से परे एक आम दुनिया थी। वहां एक गरीब आदमी था और उसकी गोद में एक अनाथ बच्चा। चैपलिन ने दुनिया को बताया कि सभ्यता की असली परीक्षा युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि एक बच्चे को सुरक्षित बचपन देने में है।

जैकी का जन्म कोई उत्सव लेकर नहीं आता है। वह दुनिया में आते ही असुरक्षा, गरीबी और परित्याग का सामना करता है। उसकी मां हालात के दबाव में उसे छोड़ने को विवश हो जाती है। किस्मत उसे ट्रैंप की गोदी में डाल देती है। ट्रैंप व जैकी का संबंध जैविक नहीं है। यह मानवीय संबंध दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते के रूप में परिपक्व होता है। ट्रैंप और जैकी पिता-पुत्र कम और जीवन-संघर्ष के साथी अधिक हैं। इन दोनों को एक-दूसरे पर अटूट भरोसा है। चार्ली चैपलिन दिखाते हैं कि संवेदनशीलता ऐसा धन है जो इंसान को गरीबी में भी मानवीय बनाए रखता है। जैकी जिज्ञासु है, शरारती है और परिस्थितियों से जूझना जानता है। उसकी मासूमियत जीवन से भरी हुई है। यही चीज उसे सिनेमा के अन्य बाल पात्रों से अलग बनाती है।

चार्ली चैपलिन ने एक ऐसी कहानी कही, जिसमें अहंकारी शासकों और जंग से परे एक आम दुनिया थी। चैपलिन ने दुनिया को बताया कि सभ्यता की असली परीक्षा युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि एक बच्चे को सुरक्षित बचपन देने में है।

फिल्म का सबसे यादगार दृश्य वह है, जब अधिकारी जैकी को ट्रैंप से अलग करने आते हैं। बच्चा रोता है, ट्रैंप उसे बचाने के लिए दौड़ता है और दर्शक अपनी आंखों में आंसू लिए यह महसूस करता है कि रक्त-संबंधों से अधिक शक्तिशाली भावनात्मक संबंध भी होते हैं। बिना एक शब्द बोले चैपलिन ने पितृत्व की सबसे सुंदर परिभाषा लिख दी।

'द किड' के जरिए चैपलिन समाज के सामने कई तरह के नैतिक प्रश्न रखते हैं। दुनिया में क्या हर बच्चे को यह अधिकार नहीं है कि उसके पास परिवार हो? चैपलिन ने गरीबी का महिमामंडन नहीं किया है। जैकी की भूमिका निभाने वाले जैकी कूगन उस समय केवल छह वर्ष के थे। उनका अभिनय इतना सहज था कि दर्शकों को बाल कलाकार नहीं अपने घर का मासूम बच्चा दिखाई देता था। सौ साल से ज्यादा अंतराल के बाद भी आज 'द किड' दुनिया को संबोधित कर रही है। दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, सिनेमा बदल गया है, लेकिन जैकी नहीं बदला। उसकी मुस्कान आज भी वही है, उसके आंसू आज भी उतने ही सच्चे हैं और उसका प्रेम आज भी उतना ही निर्मल है। जैकी एक संघर्षशील बचपन का सार्वकालिक प्रतीक बन चुका है।

अनिद्रा एक विकार जल्द करें उपचार

भागदौड़ भरे जीवन में जिस तेजी से जीवन शैली बदली है, इससे बड़ी संख्या में लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। नींद न आने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं। दरअसल, आजकल तनाव और भविष्य की चिंता के कारण भी लोगों की नींद उड़ गई है। आर्थिक चुनौतियों, दूसरों से आगे निकलने की होड़ और अतिशय महत्त्वाकांक्षा के कारण होने वाली बेचैनी भी नींद गायब कर रही है। अनिद्रा कोई रोग नहीं, बल्कि एक विकार है।

अनिद्रा से बिगड़ती सेहत

अगर थोड़ा बेफिक्र हो जाएं और कुछ देर के लिए चिंता भूल जाएं, तो जीवन सहज होने लगता है। नींद भी अच्छी आती है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अनिद्रा न केवल मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सेहत पर भी असर डालती है। स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा होती हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, तो उसे इसकी वजह जानने का प्रयास करना चाहिए। यह अनिद्रा ही है जिसकी वजह से किसी का रक्तचाप बढ़ जाता है, तो किसी को अपच की समस्या पैदा होती है। मूड में उतार-चढ़ाव आना तो सामान्य बात है। हालांकि कुछ गंभीर रोगों की वजह से भी लोगों की नींद गायब हो जाती है।

भरपूर नींद जरूरी

दिन भर काम करने वालों के लिए भरपूर नींद जरूरी है। मगर अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी नींद नहीं ले पाते और अगले दिन वे कार्यस्थल पर पूरी दक्षता से काम नहीं कर पाते। कामकाज में उनसे गलतियां होने लगती हैं। दिन भर वे थकान महसूस करते हैं। आलस के भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग न केवल उदास दिखते हैं, बल्कि कई बार तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। यहां तक कि नींद पूरी न होने से स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है। जबकि पर्याप्त नींद से व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है और एकाग्र होकर काम करता है। वह थकता नहीं। दिनभर ऊर्जा भी बनी रहती है।

असरदार उपाय

नींद लाने के लिए कुछ नुस्खे आजमाए जा सकते हैं। रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर दालचीनी अथवा जायफल के पाउडर को मिला कर लें, तो इससे अच्छी नींद आती है। गरम दूध में शहद मिला कर भी लिया जा सकता है। इसी तरह एक छोटा चम्मच भूना जीरा लें और इसे एक कप गर्म पानी में मिला कर पांच मिनट तक ढक कर रख दें। रोज रात सोने से पहले इसका सेवन करने से अनिद्रा में आराम मिलता है। एक नुस्खा तलवों की मालिश का है। अगर रात में सरसों तेल या बादाम रोगन से मालिश कर लें, तो गहरी नींद आती है। एक और आसान नुस्खा है। एक गिलास पानी में थोड़ा सौंफ उबाल कर ठंडा करें और छान कर इसे दोपहर में दो बार लें।

आहार में बदलाव

कई बार गरिष्ठ भोजन करने से भी नींद नहीं आती। अगर आहार में बदलाव किया जाए, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। सुबह के नाश्ते में दूध-केला लेना अच्छा है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और

नुस्खे

पोटेशियम जल्दी सोने में मदद करते हैं। संतुलित मात्रा में चावल खाने से भी नींद अच्छी आती है। इसमें मौजूद सेरोटोनिन नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा भोजन के साथ सलाद लें। इसमें प्याज को भी शामिल करें। इससे अनिद्रा दूर होती है। सोने से कुछ घंटे पहले चेरी खाने से भी अच्छी नींद आती है। इसके अलावा चाय-काफी और शराब से भी परहेज करें।

जीवन का पाठ

पुस्तक-संस्कृति

मोनिका शर्मा

आधुनिक तकनीक वक्त के समांतर कायम रहने का एक जरिया होती है। मगर आज 'स्क्रीन स्क्रालिंग' यानी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अंगुलियां चलाते रहने की आदत ने दुनिया के हर हिस्से में बसे लोगों को पुस्तकें पढ़ने की सार्थक गतिविधि से दूर किया है। पन्नों पर उतरे शब्दों के माध्यम से कुछ सीखने-गुनने में हर आयु वर्ग के लोगों की रुचि घटी है। एक ओर तकनीकी उपकरणों का साथ समय लीलने लगा तो दूसरी ओर पुस्तकें पढ़ने को एक विशेष गतिविधि के रूप में मनाने की गंभीरता ने भी जीवन में किताबों की मौजूदगी कम कर दी। चिंतनीय है कि विचार-व्यवहार की नींव पक्की करने के पहले पड़ाव पर ही तकनीक जीवन को घेरने लगी है। तकनीकी गैजेट के साथ बीत रहा बच्चों का समय पुस्तकों से दूरी बढ़ने की बड़ी वजह बन गया है।

उम्मीद का अभियान

ऐसे में बच्चों को स्मार्टफोन और डिजिटल स्क्रीन से दूर कर किताबों की दुनिया से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार संग विभिन्न संस्थाओं द्वारा 'मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान' के अंतर्गत कई महत्त्वपूर्ण मुहिम शुरू की जा रही है। बचपन की मासूमियत और रचनात्मक भाव-चाव को सहेजने से जुड़े इस अभियान के तहत राजस्थान के हर सरकारी स्कूल में रोज तीस मिनट का समय केवल पठन गतिविधियों को दिया जाएगा। यह समय कहानी वाचन, कविता, समूह पठन और पुस्तक समीक्षा के लिए सुनिश्चित किया गया है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य कक्षा पहली से आठवीं तक के सत्तर लाख से अधिक विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करना है। साथ ही विद्यालयों में पाठक कोना और कक्षा पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे, ताकि किताबों के बीच बच्चों का भाव-बोध सहज बना रहे।

दरअसल, पुस्तकों का साथ ज्ञान, मान, स्वास्थ्य और सुकून सब कुछ देता है। बावजूद इसके तकनीक से घिरी इस दुनिया में 'स्क्रीन स्क्रालिंग' में समय गंवाने के बजाय किताब पढ़ने में मन लगाने के लिए विशेष प्रयासों की दरकार है। आज की भागमभाग भरी जीवनशैली में किताबें पढ़ना मन और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। अमेरिका में हुए एक शोध में पढ़ने की आदत को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। शोधकर्ता तंत्रिका विज्ञानी बरोनेस सुसान ग्रीनफील्ड के मुताबिक सोशल मीडिया और स्मार्ट गैजेट के इस दौर में किताबें पढ़ने की आदत दवा की तरह असर दिखा सकती है। किताबें पढ़ने से सोचने और परिस्थितियों को समझने की क्षमता बेहतर होती है। मन-मस्तिष्क पढ़े जा रहे शब्दों के भाव से जुड़ाव और प्रभाव को महसूस करते हैं। बच्चों के सधे-संतुलित व्यक्तित्व के विकास में पुस्तकों की भूमिका बेहद अहम है।

संसार के हर भूभाग पर पुस्तकें सदा से ही विचार-व्यवहार और संस्कार देने का माध्यम रही हैं। साथ ही ये भाषाई ज्ञान और मानवीय मन को परिष्कृत करने का साधन बनी हैं। यही वजह है कि जीवन के हर मोर्चे पर तकनीकी माध्यमों से घिरती नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़े रखना बेहद आवश्यक है। बखरती मनःस्थिति और उलझते रिश्तों के इस दौर में सामाजिक-पारिवारिक संबंधों को समझने से लेकर सामुदायिक जीवन से जुड़ने तक, नई पीढ़ी को भावनात्मक समझ की जरूरत है। अबाध सूचनाओं और अफवाहों के इस दौर में परिस्थितियों की सही समझ ही बच्चों को व्यावहारिक रास्ता दिखा सकती है।

छूटता धरातल

इतना ही नहीं, आज हर आयुवर्ग के लोग तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं का भी शिकार बन रहे हैं। व्यावहारिक धरातल से जुड़ी समझ का साथ छूट रहा है। संयम और संवेदना के भावों से दूर हो रहे हैं। यहां तक कि अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े विषयों की जानकारी रखने में भी हम पीछे छूट रहे हैं। जीवन के बदलते रंग-ढंग से जुड़ी इन परिस्थितियों से जूझने-समझने के लिए पुस्तकें पढ़ना बेहद जरूरी है।

असल में पाठ्यक्रम से अलग कुछ पढ़ने से बच्चों का सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है और रचनात्मक पुस्तकों के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही एक सकारात्मक मनःस्थिति भी बनती है। एक अध्ययन के मुताबिक, छह मिनट तक किताबें पढ़ने से तनाव पचहत्तर फीसद तक कम हो जाता है। शोध भी बताते हैं कि पढ़ने से किसी काम को करने के लिए दिमाग में विचार आने की गतिविधियां प्रखर होती हैं। यह क्रियाशीलता चुनौतियों को स्वीकारने का हौसला और निर्णय लेने का आत्मविश्वास देती है। ऐसे मनोभावों से विचार और भाव दोनों स्थायित्व पाते हैं। विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक, ऐसे कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि अकेलेपन की साथी, अपनी-सी सलाहकार और ज्ञान का भंडार कही जाने वाली किताबें पढ़ते समय पन्नों पर दर्ज हर शब्द की आवाज, गंध और स्वाद तक को भी हमारा मस्तिष्क महसूस करता है, उसे जीता है, समझता है। इसीलिए किताबें रिश्तों से लेकर सेहत तक, जिंदगी के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ती हैं।

> **आजकल इस बात पर लोगों का ध्यान जाने लगा है कि स्मार्ट गैजेट की वजह से बच्चों की स्मरण शक्ति भी घट रही है। स्कूली बच्चों को रोजमर्रा के काम करने, खेलने, किताब पढ़ने और यहां तक कि किसी से बातचीत करने जैसी सहज गतिविधियों के लिए भी एकाग्र रहने में मुश्किल आने लगी है।**

घटती स्मृति

आजकल इस बात पर लोगों का ध्यान जाने लगा है कि स्मार्ट गैजेट की वजह से बच्चों की स्मरण शक्ति भी घट रही है। स्कूली बच्चों को रोजमर्रा के काम करने, खेलने, किताब पढ़ने और यहां तक कि किसी से बातचीत करने जैसी सहज गतिविधियों के लिए भी एकाग्र रहने में मुश्किल आने लगी है। डिजिटल जीवनशैली में न तो बालमन कहीं टिकता है और न ही दिमाग किसी काम में पूरी तरह संलग्न हो पाता है। ऐसे में दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए भी किताबें पढ़ना आवश्यक है।

कहा जाता है कि इंसानी जीवन का नियंत्रण केंद्र व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। ऐसे में रचनाशीलता को विस्तार देते हुए कई मुद्दों को समझने और जानने की सतर्क समझ देने वाली किताबों से बच्चों का जुड़ना जरूरी है। अबाध सूचनाओं और अफवाहों के दौर में सही समझ ही बालमन को व्यावहारिक रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए स्कूल परिसर हो या घर, किताबों से बच्चों की मित्रता होनी ही चाहिए। यह साथ बालमन को जीवन की हर परिस्थिति से जूझने का जज्बा देता है।

लक्ष्य से भटकना, सफलता से दूरी

जीवन शैली

जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। इसी से व्यक्ति यह तय कर पाता है कि उसे किस दिशा में जाना है। कई बार हालात जीवन में विभिन्न तरह की परेशानियां खड़ी कर देते हैं, मगर सफलता उसी को मिलती है, जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपनी राह खुद बनाता है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी महत्त्वपूर्ण पहलू है। बार-बार लक्ष्य बदलना राह से भटकने की निशानी है, इससे भीतर की ऊर्जा बिखर जाती है, समय की बर्बादी होती है और हर बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। इससे आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप सफलता की संभावना भी क्षीण पड़ जाती है। प्रयासों में कुशलता और परिपक्वता तभी आती है, जब एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ा जाए।

मार्गदर्शन का अभाव

आज की आपाधापी में किशोर और युवा अपने जीवन में कई बार बिना सोचे-समझे आगे बढ़ जाते हैं। वे अपने लिए सबसे महत्त्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में भटक जाते हैं। इसका कारण है सही मार्गदर्शन का अभाव। आजकल अक्सर बच्चों के लक्ष्य माता-पिता तय करते हैं। इस क्रम में कई दफा यह भी नजरअंदाज कर दिया जाता है कि बच्चे की रुचि किसमें है, वह जीवन में क्या करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि बच्चा अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और विफल होने पर लक्ष्य को ही बदल दिया जाता है। इससे समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो जाते हैं।

सचेतन निर्णय

सचेत रहने का अर्थ है- सोच-समझकर ऐसे निर्णय लेना जो जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण हों और हमारी क्षमता के अनुरूप हों। सचेत रहने से हमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने, स्पष्टता का अनुभव करने तथा लक्ष्यों के निर्धारण एवं उन्हें हासिल करने में मदद मिलती है। इससे हमारा ध्यान, एकाग्रता और प्रतिबद्धता मजबूत होती है। असफलता से डरने के बजाय, सचेत रहने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। सचेतन अवस्था में हम उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे अहम हैं। लक्ष्य भी इनमें से एक है। जब अपनी रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय किया जाता है, तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है।

> ***कई बार हालात जीवन में विभिन्न तरह की परेशानियां खड़ी कर देते हैं, मगर सफलता उसी को मिलती है, जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपनी राह खुद बनाता है।***

बाधाओं का आकलन

बार-बार लक्ष्य बदलना राह से भटकने जैसा है। इसके लिए जरूरी है कि लक्ष्य निर्धारण का एक हिस्सा कार्य योजना तैयार करना भी होना चाहिए। इस दौरान लक्ष्य की समय सीमा और अपने प्रयासों की गति तय करना जरूरी है। कार्ययोजना बनाते समय यह आकलन करना आवश्यक है कि कौन सी चीजें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगी और कौन-सी बाधाएं लक्ष्य से भटका सकती हैं। हालांकि, यह भी सच है कि कई बार अथक प्रयासों के बावजूद लक्ष्य हासिल करने में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन इससे निराश होने के बजाय उन कमियों को सुधारने की जरूरत होती है, जो विफलता का कारण बनी हैं।

पौष्टिकता के साथ, स्वाद मजेदार

रसोई

दाल मखनी

यह उत्तर भारत का स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है। इसे मक्खन, मलाई और सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका जायका बहुत ही मजेदार होता है। विवाह समारोह, त्योहार और अन्य विशेष मौकों पर बनने वाले व्यंजनों में दाल मखनी भी शामिल होती है।

सामग्री

उड़दः 200 ग्राम, राजमाः 100 ग्राम, जीराः एक चम्मच, लौंगः दो-तीन, टमाटरः दो, काली इलायचीः एक, दालचीनीः एक इंच, तेज पत्ताः एक, अदरक-लहसुन का पेस्टः दो-तीन चम्मच, नमकः स्वादानुसार।

विधि

साबुत उड़द दाल और राजमा को पांच-छह घंटे तक भिगो लें। इसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में अच्छी तरह उबालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस बीच, मिक्सर में टमाटर डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। इसी तरह अदरक-लहसुन का पेस्ट भी बना लें। अब एक कड़ाही में मक्खन गरम करें। आंच को मध्यम-धीमी रखें। फिर जीरा, लौंग, काली इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता डालें। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालें। इसे करछी से लगातार चलाते हुए भूनें। फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और इसे तब तक भूनें, जब तक इसकी कच्ची महक गायब न हो जाए। इसके बाद टमाटर का पेस्ट , हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी से मध्यम आंच पर तब तक भूनें, जब तक कि यह किनारों से तेल छोड़ने न लगे। अब उबली हुई उड़द दाल और राजमा इसमें डाल दें। साथ ही आवश्यकतानुसार पानी मिलाएं। इसे बिना ढके धीमी आंच पर पकाएं। जब दाल गाढ़ी होने लगे, तो उसमें नमक डालें और साथ ही तीन-चार चम्मच मलाई डाल दें। फिर इसमें कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं। अब दाल मखनी बनकर तैयार है। थोड़ा ठंडा होने पर इसे चपाती, नान या चावल के साथ परोसें।

मटर कोफ्ता

हरे मटर की सब्जी स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसके कोफ्ते बनाए जाएं तो स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। इन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। मटर में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए सेहत के लिए भी ये फायदेमंद हैं।

सामग्री

हरे मटरः 250 ग्राम, बेसनः आधा कप, अदरकः एक इंच, हरी मिर्चः चार-पांच, लहसुनः छह-सात कलियां, भूना जीरा पाउडरः आधा चम्मच, प्याजः दो, टमाटरः दो, धनिया पाउडरः आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडरः आधा चमचम, गर्म मसाला पाउडरः एक चम्मच, नमकः स्वादानुसार।

विधि

सबसे पहले हरे मटर को अच्छी तरह धो लें और उसमें से पानी निकाल दें। अब मिक्सर जार में मटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर उसे दरदरा पीस लें। इसे एक थाली में निकालकर उसमें थोड़ा सा बेसन, मसाले, भुना जीरा पाउडर और नमक डालें। इसे हाथ से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि बेसन और मसाले मटर के साथ घुलमिल जाए। अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और मटर के मिश्रण के छोटे-छोटे कोफ्ते बनाकर उन्हें सुनहरा रंग आने तक तलें। सारे कोफ्ते इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को मोटे टुकड़े में काट कर मिक्सर जार में डालें और उसका पेस्ट बना लें। अब उसी कड़ाही में दो-तीन चम्मच तेल गरम करें और उसमें कटा हुआ प्याज तथा तेज पत्ता भूनें। फिर लहसुन-टमाटर का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर मिलाएं। इन्हें चम्मच से चलाते हुए भूनें और फिर थोड़ा सा पानी डालकर तीन-चार मिनट तक पकाएं। जब तरी गाढ़ी हो जाए, तो उसमें नमक मिलाकर मटर के कोफ्ते डाल दें। इसे ढक्कन रखकर दो-तीन मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इस दौरान बीच-बीच में कोफ्तों को पलटते रहें। अंत में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गरमागरम चपाती या चावल के साथ परोसें।

मानसून की नमी अस्थमा का खतरा

सेहत

बारिश के दिनों में अस्थमा रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल, इन दिनों हवा में नमी और फंगस बढ़ने से अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं। सांस की नलियों में सूजन और जकड़न बढ़ जाती है। गौरतलब है कि अस्थमा रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। ठीक से उपचार न होने के कारण हजारों मरीजों की हर साल मौत हो जाती है। धूम्रपान करने वालों को इस रोग का जोखिम तो होता ही है, लेकिन देश में बढ़ रहा वायु प्रदूषण भी बड़ी वजह है। इससे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। पर्यावरण में आ रहे बदलाव ने भी फेफड़े पर बोझ बढ़ा दिया है। कई बार तो मरीज इलाज से भी पूरी तरह ठीक नहीं हो रहे। यह चिंता की बात है। अब न केवल सर्दियों में बल्कि साल भर मरीज अस्थमा की वजह से परेशान रहता है। बारिश के दिनों में भी दिक्कत बढ़ जाती है।

लापरवाहियों का सिरा

ज्यादातर लोग अपनी लापरवाही के कारण भी अस्थमा की चपेट में आते हैं। अगर वे सिगरेट-बीड़ी पी रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो एक तरह से अपने फेफड़े को जोखिम में डाल रहे हैं। वे कभी भी दमा के मरीज बन सकते हैं। घर-बाहर किसी भी तरह की धूल-मिट्टी और पशु-पक्षियों के बालों से भी समस्या की शुरुआत हो सकती है। बारिश के मौसम में सर्दी-जुकाम ज्यादा दिनों तक बने रहने से अस्थमा अपनी जड़ जमाने लगता है। वहीं उमस के दौरान धूल में पनपने वाले कीड़े बिस्तर, कारपेट और पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। ये भी अस्थमा की वजह बनते हैं। इन दिनों दीवारों और कोनों में बनी फंगस भी समस्या बढ़ाती है।

लक्षणों की पहचान

'ग्लोबल अस्थमा नेटवर्क' के मुताबिक शुरुआती लक्षणों वाले 82 फीसद और गंभीर अस्थमा वाले 70 फीसद मरीजों का पता नहीं चलता। यानी ये लोग लापरवाही कर रहे होते हैं। निराशा की बात यह है कि बहुत कम रोगी ही 'इन्हेलेशन थेरेपी' का उपयोग करते हैं। यों हर व्यक्ति में अस्थमा के लक्षण अलग-अलग होते हैं। सामान्य रूप से एलर्जी से अस्थमा होने का पता चलता है। सीने में जकड़न और सांस छोड़ते समय घरघराहट तथा सांस लेने में कठिनाई ये सभी अस्थमा के लक्षण हैं। कुछ मरीजों में सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है। यह भी एक पहचान है। अस्थमा किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकता है। गंभीर बात यह है कि अस्थमा रोगियों में निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है।

कुछ जरूरी उपाय

अस्थमा रोगी अपना इलाज तो कराएं ही, लेकिन कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जहां तक संभव हो कमरे में कालीन न रखें। बिस्तर साफ-सुथरा रखें। गद्दे और तकिए पर खोल चढ़ाएं। चादरों और कंबलों की समय-समय पर सफाई कराते रहें। घर में कहीं भी फफूंद न जमने दें। कमरों में हवा के आने-जाने की उचित व्यवस्था करें। नमी रोकने के हरसंभव उपाय करें। कमरे में किसी तरह का स्प्रे या कीटनाशकों का छिड़काव मरीज की उपस्थिति में न करें। उसके कमरे में किसी तरह का धुआं नहीं होना चाहिए। मरीज को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। घर से निकलते समय दवा यानी इन्हेलर साथ रखें। धूल और धुएं से बच कर रहें।

मरीजों का आहार

अस्थमा मरीज का आहार संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। जरूरत से अधिक वह भोजन न करे। ध्यान रहे कि भोजन बासी या ठंडा नहीं होना चाहिए। समय पर और नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से मरीज दूर रहे। दवाइयां लेने के साथ 'इन्हेलर' का ठीक से इस्तेमाल करना जरूरी है। ज्यादातर मरीज इसका ठीक से उपयोग करना नहीं जानते। रोग के दौरान मरीज अपना सामान्य कामकाज कर सकता है। बचाव के लिए टीके के संबंध में चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)